CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XVII, Eighth Session, 2016/1938 (Saka) No. 10, Friday, May 06, 2016/Vaisakha 16, 1938 (Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER	
Reported death of 10 persons and injuries to 150 others due to thunderstorm followed by heavy rains in Simhastha Kumbh, Ujjain, Madhya Pradesh on 5 May, 2016	6
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 181 to 188	7-70
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 189 to 200	71-129
Unstarred Question Nos. 2071 to 2300	130-567

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	569-584
MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND	
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA	585
STANDING COMMITTEE ON ENERGY 17 th Report	586
STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 13 th Report	586
STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE 235 th Report	586
BUSINESS OF THE HOUSE	587-594
CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE Recent Disclosure by the court of Appeals, Milan, Italy on alleged irregularities in Agusta Westland Helicopter Deal, 2013	595-667
Shri Anurag Singh Thakur	595, 606-618
Shri Manohar Parrikar	595-606

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION Steps to ensure welfare of Employees	
Provident Fund pensioners	668-716
Shri N. K. Premachandran	669-690
Dr. Kirit P. Solanki	692-695
Shri Konda Vishweshwar Reddy	696-700
Shri Om Birla	701-704
Shri Prahlad Singh Patel	705-709
Shri Bhairon Prasad Mishra	710-712
Shri C. R. Chaudhary	713-714
Shri P. P. Chaudhary	715-716
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	746
Member-wise Index to Unstarred Questions	747-752
<u>ANNEXURE – II</u>	
Ministry-wise Index to Starred Questions	753
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	754

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K.H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, May 06, 2016/Vaisakha 16, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER

Reported death of 10 persons and injuries to 150 others due to thunderstorm followed by heavy rains in Simhastha Kumbh, Ujjain, Madhya Pradesh on 5 May, 2016

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 5 मई, 2016 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में भारी वर्षा और आंधी के कारण सिहस्थ कुम्भ क्षेत्र में कई पंडालों के गिर जाने के कारण 10 व्यक्तियों के मारे जाने और 150 से अधिक व्यक्तियों के घायल होने की दुःखद घटना की सूचना है।

सभा इस दुःखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है, जिसके कारण मृतकों के परिवार वालों को कट और पीड़ा हुई है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है।

सभा यह भी कामना करती है कि शे। सिंहस्थ कुम्भ निर्विघ्न और निर्बाध रूप से सम्पन्न हो। अब सभा दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में कुछ देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

11.01 3/4 hours

(The Members then stood in silence for a short while)

11.02 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 181, Prof. Richard Hay.

(Q. 181)

PROF. RICHARD HAY: Madam Speaker, I appreciate the Government for implementing a mammoth programme, DBT, in this largest democracy and DBT is doing wonders in our country.

Basically, the aim of the Government is to reach out to the last person but there is a possibility of potential beneficiaries being excluded if they do not have a bank account. This Government is planning to reach out to all the unbanked poor under the PMJDY but there are only one-twelfth rural bank branches for India's six lakh villages. To stretch out to the poor living in the remote areas, is the Government planning any other mechanism to reach out to these people who do not have any bank account? Is the Government planning to open more rural banks to serve the poor especially to see that the DBT helps the poor to lead a decent life which is the intention of the Government?

SHRI JAYANT SINHA: Madam Speaker, what we are attempting to do through DBT and through the social security platform that we are building up is an absolute revolution in delivering benefits to the citizens of this country in all the far-flung and remote areas of our country. Apart from making sure that a variety of programmes are able to deliver cash directly into citizens' bank accounts which of course we have accomplished through the hon. Prime Minister's Jan Dhan Yojana where 100 per cent of Indian households have now bank accounts, we have equipped each of our post offices with ATMs and micro ATMs so that it is easy to access bank accounts. We are increasing and expanding the number of bank mitras so that their business correspondents can service our citizens. Then of course, through the payment banks, we are making it possible to be able to do all digital transactions through mobile phones.

So, alongwith Jan Dhan Yojana, the network that we are building out to be able to have access to your account is going to be revolutionary in its scope and nature.

PROF. RICHARD HAY: Madam, at present, 59 schemes across 14 Ministries are using DBT route to reach out to 30.78 crore beneficiaries and it is a whooping success during the short span of time by any Government. Savings of the poor have touched a very high due to this people friendly programme. What are the hurdles noticed by the DBT Mission in implementing this mass programme? What are the measures taken by the Government to reach out to all the citizens of our country? There is a room to expand this noble scheme. Is the Government planning to extend DBT Mission to newer schemes; if so, the details may be furnished. Does the Government find any laxity on the part of the State Governments implementing this pro-poor scheme, especially the Government of Kerala?

SHRI JAYANT SINHA: Madam, Speaker, hon. Member wanted to ask about two things; one is what are the challenges in implementing this very revolutionary approach towards social security towards direct benefits transfer and secondly how do we expand the scope of this to cover additional programmes. I will answer both questions.

First of all, the UPA Government had of course started the DBT Programme but it had only extended to 43 districts. It had not gone across the country. By implementing Jan Dhan Yojana and ensuring that 50 per cent of the Indians who did not have access to bank account were able to have a bank account, we were able to massively expand the scope of DBT and that was the first challenge which we have overcome.

The second challenge that we had to overcome and which we are in the process of working and completing in the next year or two is to ensure that every citizen has a bank account and can easily access the bank account. That is why we

are equipping each post office with an ATM, micro-ATM and we are building out the Bank Mitra and so on. Those were the two principal challenges.

Now, of course, once this platform is available, it is easily accessible and convenient for all of our citizens we can in fact provide more benefits in this way. So far the major benefits that we are providing are NREGA payments as well as PAHAL, direct subsidy cash transfer and scholarships. But in the future we have already started to pilot certain programmes, such as for example the health insurance programme that we might be able to offer on this platform as well as other social security benefits like pension that we may be able to offer. And, many of these will be done in collaboration with the States.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इस देश में वर्षों से फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने वाले उद्योगपितयों ने किसान के नाम पर फिक्टिशियस बिल बनाकर हजारों करोड़ रुपया ले लिया। किसान को उसका कोई फायदा नहीं हो पाया क्योंकि उसे फर्टिलाइजर बाहर से मंगाना पड़ता था। जब मोदी सरकार बनी, तब फैसला किया गया कि हम किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि किसानों को फर्टिलाइजर में डायरेक्ट सब्सिडी देने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया गया है? अगर बनाया गया है तो वह सब्सिडी कब दी जायेगी? इसी तरह फसलें संभाल कर रखने के लिए, गोडाउन्स बनाने के लिए सब्सिडी देने की बात थी, तो कितने किसानों को गोडाउन्स बनाने के लिए सब्सिडी मिली? जहां तक मुझे जानकारी है, उसके अनुसार उद्योगपित या सरमायेदार लोग ही उस सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे मैकेनिज्म बनाने का हमने जो वायदा किया था, उस पर कितना अमल हुआ है और आगे क्या होगा, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री जयंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि हम फर्टिलाइजर सब्सिडी पर सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे और इस साल ट्रायल्स हो रहे हैं। किसान के जो अधिकार हैं खासकर फर्टिलाइजर सब्सिडी के अधिकार हैं, वे भी हम डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिलवायें। अगर हम उन्हें इस तरीके से दिलवा देते हैं तो उन्हें सुविधा होगी। उन्हें जल्द से जल्द सब्सिडी भी मिल जायेगी और बचत भी होगी, क्योंकि जो थोड़ी बहुत लिकेज होती थी, उस पर भी हम काफी रिस्ट्रक्शन्स लाकर उसे कम कर देंगे। हमारी इस तरीके से कोशिश जारी है और हम देख रहे हैं कि कौन-कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के माध्यम से दे सकते हैं।

SHRI R.K. SINGH: Madam, one of the biggest subsidy schemes is the food

subsidy scheme. The Food Security Act provides that cash transfers will be made

to the beneficiaries wherever the concurrence is given by the State Governments.

Madam, I would like to inform the House and the hon. Minister that the biggest

scam or the biggest diversion in the subsidy schemes happens in the food subsidy

scheme. The fair price shop system is thoroughly corrupt and almost 50 per cent of

the subsidy is diverted to the pockets of middlemen.

My question to the hon. Minister is: What is the progress made in bringing

the food subsidy into the Direct Benefit Transfer as envisaged in the Food Security

Act? The States were supposed to give their concurrence. Have the States been

asked for their concurrence? If not, why?

SHRI JAYANT SINHA: Hon. Member is exactly right. One of the features that

was discussed in the Food Security Act was the potential of doing cash transfers

instead of distribution of food grains through the Food Security Act. This has been

experimented with. There are pilots that have been run in the Union Territories of

Chandigarh, Puducherry and Dadra and Nagar Haveli where these trials are going

on and we are collecting evidence to that effect.

Hon. Member will also be pleased to know that we are in the process of

computerising and providing biometric authentication in all of the fair price shops

so that some of the leakages and the diversions that he is talking about can be

restricted in that fashion.

HON. SPEAKER: Q. 182.

Shri Mullappally Ramchandran: Not present.

(Q. 182)

श्री ओम बिरला: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश में कैंसर किस प्रवृत्ति के हो रहे हैं और किस आयु में अधिक हो रहे हैं? जिस इलाके में कैंसर है, क्या उस ब्लॉक में सरकार स्पेशल कैंसर युनिट बनाने की कोई योजना बना रही है? एक रिपोर्ट के अध्ययन के मुताबिक 0-14 वर्ष के बच्चे बड़ी मात्रा में कैंसर पीड़ित पाए गए हैं और कई बच्चों की मौत कैंसर से हुई है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। क्या सरकार इन ब्लॉकों में कैंसर के कारणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन करा रही है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, देश में कैंसर का प्रिविलेंस रेट 30 लाख है और ईयरली इंसीडेंस 10 लाख है, साल भर में कैंसर के कारण मार्टेलिटी पांच लाख है। इसमें एज़ वाइज़ डाटा नहीं है कि कैंसर किस उम्र में ज्यादा है। पुरुषों में ओरल और स्टमक कैंसर ज्यादा कॉमन है और महिलओं में ब्रैस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर मोस्ट कॉमन है।

जहां तक कैंसर से बचाव का सवाल है, इस दृष्टि से नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में बनाया जा रहा है। यह लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसका काम शुरु हो गया है और वर्ष 2018 तक काम पूरा हो जाएगा। इसका कम्पलीशन हो रहा है।

इसी तरह चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट का सैकिण्ड कैम्पस लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसका काम प्रोग्रेस में है और इसे हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, हमने 20 स्टेट्स कैंसर इंस्टीट्यूट्स डेवलप करने और 50 टरिशयरी कैंसर केयर सैंटर्स बनाना तय किया है। इस दृष्टि से 45 करोड़ रुपए टीसीसीसी और एससीआई में लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 47 प्रपोजल्स हैं, जिसमें से 14 प्रपोजल्स तैयार हो चुके हैं यानी पैसा दे दिया गया है, एप्रूव कर लिया गया है। बाकी में कुछ किमयां हैं, उसे देखकर पूरा कर रहे हैं।

श्री अजय मिश्रा टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को कार्य योजना में रखा है। निश्चित रूप से अस्पतालों और अन्य बातों के साथ सामाजिक जागरुकता का कार्यक्रम भी चलाया है। सिगरेट और तम्बाकू के पैकेट्स पर भी लिखकर लोगों को चेतावनी दी जा रही है। माननीय सदस्य ओम बिरला जी ने कैंसर से पीड़ित बच्चों से संबंधित प्रश्न पूछा है।

माननीय अध्यक्ष : छोटा प्रश्न पूछिए तो उत्तर भी छोटा आएगा। बहुत माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं इसलिए उत्तर भी छोटा होना चाहिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने 7 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किए इंद्रधनुष मिशन से प्राप्त उपलब्धियों का आकलन किया है? क्या सरकार मां व बच्चों को बीमारियों से बचाने हेतु गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्यक्रम में इस मिशन को नियमित चलाने के साथ कुछ अन्य टीकों को शामिल करने जा रही है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न आगे लगा हुआ है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि मिशन इन्द्रधनुा में हम लोगों ने रूटीन इम्युनाइजेशन करते हुए लेफ्ट-आउट्स को ढूंढ़ने का प्रयास किया है। 45 लाख माताएं और 45 लाख बच्चे इसमें एडिशनली इम्युनाइज किए गए हैं और ईयरली एक परसेंट इम्युनाइजेशन बढ़ता था, इस बार वह 5-7 प्रतिशत बढ़ा है, जिसकी आथंटीफिकेशन होनी बाकी है, हम उसे कर रहे हैं। हमने चार तरीके के वैक्सीनंस जोड़े हैं - मीज़ल्स रोबेला, जेई एडल्ट्स, रोटावायरस और आईपीवी।

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL: Thank you, Madam, for giving me an opportunity. I would, through your kind offices want to ask the hon. Minister this. It is laudable that more than 25 National Cancer Centres are being set up. Will the Minister be kind enough to tell us by 2019 like Chajjar and West Bengal, even Assam will get one National Cancer Centre?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: As far as Cancer Centre is concerned, we are very clear that 20 State Cancer Institutes are to be opened; 50 Tertiary Care Centres are to be opened. The proposals we have got is only of 47. If we get the proposal, we will go through it. Accordingly, we will work on it.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Thank you, Madam, for giving me this opportunity to say on Cancer problem. In West Bengal there is only one Cancer Institute - CNCI. This Institute is located in the heart of the city itself. There is no scope of expansion. That is why the Government of India took a decision that another Cancer Institute would be set up in Kolkata. For that matter, as hon. Minister has said, sufficient land as required was given by the Government of West Bengal to the Government of India long back. Now the problem is thereafter, it is not progressing at all. The hon. Minister has just told that it is progressing. But I would like to tell you that I live by the side of the new site. The earlier

Minister of the UPA Government had gone there and laid the foundation stone.

Thereafter, it was being told by the earlier Government that second Cancer Campus would be set up very soon.

माननीय अध्यक्ष: आप बहुत लम्बा प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको उत्तर कब मिलेगा?

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: New Government is also telling that it is progressing. My point is that nothing has been done so far.

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, अभी बताएंगे।

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: So far nothing has been done. Only the landscape is there. The last time when I talked to the Secretary, Health, he told me that it is in the pipeline.

माननीय अध्यक्ष: आप सिर्फ यह पूछिए कि काम कब शुरू होगा।

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: My pointed question, Madam, is this. So far nothing has been done.

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न समझ आ गया है। Not such a long question.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Tenders have been opened and the work is in progress. We are going fast on it. A monitoring committee has been set up to resolve the day to day issues. Not only that, a new AIIMS is also coming up in West Bengal which has got an Oncology Super Speciality Department.

(Q. 183)

श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष महोदया, सरकार बधाई की पात्र है। This Government deserves congratulations that it decided to be gender neutral relating to recruiting fighter pilots. The Government of India has decided to induct women pilots to fly its helicopters and transport aircraft and induct them into fighter combat stream as Short Service Commission Officers on an experimental basis for a period of five years, while USA, Britain, Israel and even Pakistan have been allowing their women pilots to fly combat jets decades ago. इसलिए मैंने कहा कि यह सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि इस सरकार ने विमेन को फाइटर पायलट बनाने के लिए जेन्डर न्यूट्रल किया है।

So, I would like to know from the Government as to what are the Government's reservations not to induct women pilots into fighter combat stream on a permanent basis and why this decision has been taken so late as compared to other countries, particularly when the Government is committed to gender equality in the country.

SHRI MANOHAR PARIKKAR: Madam Speaker, we have already taken the decision to induct them on an experimental basis and the reasons for this is that we are trying to ascertain what are the difficulties we will face so that we can ensure that the difficulties are taken care of before we induct them on a permanent basis and I assure the Member that this decision would be taken very soon once we induct the three women pilots who have been selected.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, my second supplementary relates to the shortage of fighter pilots. The reply says that the shortage of fighter pilots has been reduced to 164 as on 1st February, 2016. The general perception is that we do not have adequate trainers or adequate training aircraft or those advanced fighter training aircraft as Hawk-132 or Kiran MK1A. I would like to know from the Government whether the Government has chalked out the two-pronged strategy accepted worldwide so as to retain and attract the best talent to reduce the shortage of pilots in the Indian Air Force, particularly when private airlines are offering

lucrative packages. If the Government has any programmes to retain them, the Government may share it with us as to their plan to retain the best pilots and to attract the best talented youth of our country.

SHRI MANOHAR PARIKKAR: Madam, the shortage was 550 in the year 2010. I am pleased to inform the House that the shortage has now been reduced to 164 and we have found that pilots leaving Indian Air Force is reducing, the number is on a downward trend indicating that we have provided better facilities. The total number of personnel in the Flying Branch is 4,528. So, 164 is a very small number and if the same trend continues, we expect this shortage to be completely wiped off.

Madam, one of the reasons why we have decided to introduce gender neutral policy is because the scope becomes almost double and there are many women pilots who are ready to join the Air Force for combat duty. I think once the initial trials are conducted, by next year we should be able to make it thoroughly acceptable and then there will not be any shortage and probably the Air Force will be staffed almost to the extent of 100 per cent.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, इंडियन एयर फोर्स में पायलट्स की कमी पर आज जो प्रश्न आया है, जिस पर मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। 164 पायलट्स की जो शॉर्टेज़ है, उनको भी परा करने का आश्वासन उन्होंने दिया है।

में आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मिग-21 विमानों की जो कैजुअल्टी होती है, इसके कारण लड़कियाँ फाइटर प्लेन की ट्रेनिंग लेने में थोड़ी डरती भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदया : नहीं, ऐसा नहीं है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Member, do not say anything like that.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Minister, do you agree with him?

... (*Interruptions*)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I do not agree with him.

HON. SPEAKER: Thank You.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैडम, मैं एनसीसी के कैम्प में भी गया हूँ, क्या इस संबंध में कोई जागरुकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा? ...(व्यवधान) मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं एनसीसी के कैम्प में भी गया, क्या वहाँ पर जागरुकता के संबंध में इनके द्वारा कोई प्रयास किया जाएगा ताकि वह डर निकले। वे डरती नहीं हैं, लेकिन कभी स्कूलिंग लेवल पर जो डर बैठ जाता है, वह डर निकले, इसके लिए मंत्री जी कोई प्रयास करेंगे ताकि उनके अंदर जो संकोच है, वह निकले।

श्री मनोहर पर्रिकर : उसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछले आठ-दस महीने में एक भी दुर्घटना नहीं हुई है। मिग-21 सिंगल इंजन वाला फाइटर प्लेन है। इसके इंजन में जब कोई प्रौब्लम हो जाता है तो पायलट को नार्मली बेल-आऊट करना पड़ता है। इसलिए क्रैश होने का खतरा हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष : उसमें पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के लिए खतरा है।

SHRI MANOHAR PARIKKAR: I would like to mention here that we have stressed on improved quality maintenance thereby in the last year we have managed to get the lowest accident rate. In the last ten years, except 2013 when it was titled over, while flying more, almost 2,62,000 hours, by about 10 per cent over the earlier years, we have still reduced the accident rate to 0.22 per lakh flying hours. इसलिए दुर्घटना की संख्या कम हो गयी है। चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। जो फाइटर प्लेन फ्लाई करने के योग्य नहीं है, उसे नहीं उड़ाया जाता है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि पुरुषों से अधिक महिलाएँ रिक्रूट हों। माननीय अध्यक्ष: वे हो रही हैं। उन्होंने यह कहा है।

श्री मनोहर परिंकर : इसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से मुझे फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं, ...(व्यवधान) इसका एक्सपेरिमेंट जून-जुलाई में होता है, जिसमें तीन लड़िकयाँ फाइटर स्ट्रीम में फाइनली इंडक्ट हो रही हैं। उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि इसमें उनकी संख्या कम होगी। फाइटर प्लेन के पायलट के लिए यह पहली बार हो रहा है, उसके बाद there will be flood of applications. I am very much sure about it.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मेघवाल जी के प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय समाज की महिलाओं की मानसिकता वर्षों से इस प्रकार की हो

गयी है कि कभी-कभी उनको लगता है कि यह काम हमारा है ही नहीं। इसलिए शायद उनका ऐसा कहना होगा। ...(व्यवधान)

मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहूँगा कि आजकल बहुत-सी महिलाएँ पायलट बनती हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। ऐसी महिलाओं को सरकार प्रोत्साहित करके एयर फोर्स में लाने की कोई व्यवस्था करेगी?

माननीय अध्यक्ष : वह ऐसा कह तो रहे हैं।

श्री मनोहर परिकर : मुझे लगता है कि I do not have to even encourage them. There is so much enthusiasm. We are getting a very good feedback that even without encouraging them there will be enough applications. The time may come when they will outnumber the males.

(Q. 184)

श्री राहुल शेवाले: माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि समाचारों से जानकारी प्राप्त हो रही है, अमेरिका के नेवाडा में नेलिस एयरबेस में बहुराष्ट्रीय रेड-फ्लैग अभ्यास में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के आकाश पर अपना परचम लहराया है। पहली बार भारतीय वायुसेना अपने आठ सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान और आईएल-78 विमानों के साथ शामिल हुआ था। संयुक्त अभ्यास के दौरान इन दोनों लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी वायुसेना के एफ-16 और एफ-15 लड़ाकू विमानों को कड़ी टक्कर दी। अभ्यास के अंतिम वार्म-अप राउंड तक पहुंचने वाली भारतीय वायुसेना को अमेरिका ने विश्वस्तरीय वायुसेना का दर्ज़ा दिया है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना की बहादुर गरूड कमान्डों फोर्स ने भी पश्चिमी देशों से अपना लोहा मनवाया है। युद्धाभ्यास के दौरान अपनी शक्ति दिखाने के साथ-साथ अपनी कमजोरी आंकने का भी मौका मिलता है। देश को अपनी वायुसेना पर गर्व है, हमारे वायुसेना में इरादे की कमी नहीं है। अगर कोई कमी होगी तो वह रक्षा उपकरणों या जरूरी सामान की हो सकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में क्या कमियां उजागर हुई हैं और उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें विदेशी उपकरणों पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ताकि सेना सशक्त और आत्मनिर्भर बने।

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Hon. Speaker, I would like to inform the hon. Member that it is not in Nevada but it is in Alaska. पिछली बार वर्ष 2008 में जो अभ्यास हुआ था, वह नेवाडा में हुआ था, इस बार अलास्का में चल रहा है। यह अभी 28 अप्रैल से चालू हो गया है और 13 मई तक चलेगा। इसका प्रोसीजर ऐसा होता है कि एक्सरसाइज पूरी होने के बाद जब डिइंडक्ट हो जाते हैं, जून महीने में वहां से डिइंडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद में उसका अभ्यास किया जाएगा और अगर उसमें कोई किमयां रही हैं तो उनके बारे में जो कुछ करना है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट्स हैं, our pilots are performing exceedingly well. उनको इस एक्सरसाइज से काफी बेनिफिट हो रहा है।

श्री राहुल शेवाले: मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वायुसेना आगे भी इस प्रकार के युद्धाभ्यास में शामिल होने का विचार रखती है? भारत भी रेड फ्लैग अभ्यास की तर्ज पर देश में इस तरह के युद्धाभ्यास करवा सकता है। युद्धाभ्यास के साथ-साथ वायुसेना को अपने प्रतिठानों

को अभेद्य बनाना है, उन्हें किसी भी घुसपैठिया हमले से बचाने की भी आवश्यकता है। इसके लिए सरकार किस तरह के उपाय और अभ्यास कर रही है?

श्री मनोहर पर्रिकर: इस तरह के अभ्यास बाईलैटरली काफी होते रहे हैं। फ्रांस, सिंगापुर, ओमान, रिशया, यूके, यूएसए, यूएई आदि कई दोस्त राष्ट्रों के साथ ऐसे अभ्यास होते हैं, लेकिन यह अभ्यास थोड़ा अलग है। इसमें मल्टी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूएसए के अलावा डेनमार्क, नार्वे और नाटो फोर्सेज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। We are getting experience and also coming to know as to what are our strengths and weaknesses in fighting ability, close combat position of fighters like F16 and F18, which are very important for India on the Western front. HON. SPEAKER: Shri Adhalrao Patil Shivajirao – not present.

Prof. Saugata Roy.

PROF. SAUGATA ROY: Hon. Speaker, Madam, this year, joint Indo-US Air Force exercises are taking place after seven years. The last joint exercise was held in Agra, India, as was informed by the hon. Minister.

The Minister has said that participation in such exercises allows IAF to fly against multiple types of platform and to evaluate their capability in a realistic scenario. Now, in this exercise, four Su-30 MKI, four Jaguars, two x-IL-78 aircraft and two C-17 aircraft, I think, both of them are cargo planes, are taking part.

May I ask the hon. Minister as to why you do not insist on Indian pilots flying the more advanced planes? For instance, Pakistan is negotiating with America for F-16s. If our pilots do not get to fly the American planes, what is the benefit that we get from flying our planes in far away place, Alaska with the American planes? Our pilots have no exposure of actually flying the American planes. In any joint exercise, the opportunity should be to fly their planes. Otherwise, our pilots can fly our own planes here on the air strip of Agra or wherever you want to. This joint exercise will open our Air Force armory to the Americans whereas we will be getting no benefits of actually learning and working with their aeroplanes.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam, the hon. Member has asked a very good

question. But the question is not in the right direction. First of all, this is not a

bilateral exercise. The exercise in Agra was a bilateral exercise. This is multi-

countries exercise where there are Denmark, Norway, NATO Forces besides US.

The most important point is not the experience of flying F-16. The

experience of flying against F-16, that is what we require. We are not going to

induct F-16. At least, as of now, we have not inducted in our Air Force. I

basically assume that we do not have to do it, but if at all we require, we will have

to fly against F-16. So, we are getting the very important exercise of close combat

and offensive counter air as well defensive counter air and dynamic targeting

experience against the aircraft, which is held by our adversaries.

So, it is important that I get an experience against the aircraft, which is

going to flying on the other side. By flying it, I do not get that experience. My

aircraft should be able to pick up the electronic signature. I do not go into the full

details. But electronic signature is important. It is found that first 10 crashes,

wherever there is a war, are the most crucial things where most of the aircraft are

lost. That is because you do not have experience and you cannot recognize the

capability of the enemy aircraft. Here, we are getting very crucial and important

data about flying against aircraft, which are there in the stockpile of our

adversaries.

So, we actually learn how to counter them.

HON. SPEAKER: Very good.

(Q. 185)

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, today, Yoga and Naturopathy is globally relevant because of its holistic approach towards healthcare. Last year, we had witnessed a massive celebration of International Yoga Day where our hon. Prime Minister himself performed yoga in front of thousands of people, including Ministers, foreign delegates, students, NCC cadets and many others.

So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is planning to introduce yoga as a compulsory subject in the schools.

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने फर्स्ट योगा डे की बात की है। एक अच्छा कार्यक्रम देश के लिए हुआ था। दो वर्ल्ड रिकार्ड भी प्रस्तावित किए गए हैं। हिन्दुस्तान में योग दिन मनाने के बाद, देश ही नहीं पूरी दुनिया में 109 देशों में योग दिन मनाया गया। इसके बाद हम वहीं रुके नहीं। हमने, नेशनल आयुा मिशन के तहत हर गांव और डिस्ट्रिक्ट में योग के बारे में कुछ न कुछ हो, यह प्रावधान किया है कि एक योग वेलनेस सेंटर बने और सभी लोग योग को सीख और समझ सकें। इसके लिए हमने एक योजना भी तैयार की है। हम दूसरा योग दिवस मनाने जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम उसको भी धूमधाम से मनाएं। जिसके लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग कोर्स चला रहे हैं। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि हर स्कूल और कॉलेज में क्या योग को कम्प्लसरी किया जाएगा? हमारे जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां हमने इसको कम्प्लसरी किया हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट ने योग को कम्प्लसरी किया है। डिफेंस में भी योग को कम्प्लसरी किया जा रहा है। हाल ही में हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने सभी राज्यों को योग कम्प्लसरी करने के लिए नोटिस भेजा हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले सैशन से यह सभी स्कूल में शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी सभी स्कूलों में कम्प्लसरी नहीं किया गया है। लेकिन हमने उन्हें यह भेजा हुआ है कि जिसे योग करना है, वह योग करे, अन्यथा फिजिकल ट्रेनिंग उसी पीरियड में एडजस्ट की हुई है।

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: There is no denying that yoga has immense heritage. It helps in tackling the life disorder diseases. That is why, it is not only popular in India but also all over the world. Medical tourists have increased to the tune of 3.2 millions recently and it has generated the market value which may cross four billion dollars. I would like to ask the hon. Minister,

through you, whether the Government has any plan to introduce medical tourism to promote yoga.

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो कहा है, हमारी मंशा भी वही है। उन्होंने सही मुद्दा उठाया है। आप जानते हैं कि इंडिया एक वर्ल्ड टूरिस्ट स्पाट है, यहां बहुत टूरिस्ट्स आते हैं। मैं जिस राज्य से आता हूं, आप जानते हैं कि गोवा वैसे भी एक वर्ल्ड टूरिज्म स्पाट है। हम चाहते हैं कि यदि हम वैलनैस टूरिज्म को आगे लेकर जाएं तो हमारा टूरिज्म और बढ़ने की आशा है। इसलिए सभी टूरिज्म मिनिस्टर्स चाहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाएं, जिसमें टूरिज्म हो, आयुष हो, एग्रीकल्चर हो। इन सबको साथ मिलाकर एक ऐसी परिभाषा हम तैयार कर रहे हैं, तािक ज्यादा से ज्यादा लोग यहां वैलनैस के लिए भी आएं, इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA: Thank you hon. Speaker for giving me this opportunity.

I come from a place called Araku where 70 per cent is the forest area and there is a research conducted in this area and many medicinal herbs are available in this area. Previously, there was a proposal to establish Ayur Research Centre in Araku. I would like to ask the hon. Minister, through you, whether any proposal is pending to establish research centres in Andhra Pradesh. If so, is there any proposal to set up in Araku?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: महोदया, हमारे विभाग को मंत्रालय का दर्जा मिलने के बाद रिसर्च सैंटर्स को बढ़ाने की हमारी कोशिश है और यह कहीं आंध्र प्रदेश में है या कहीं और है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि वहां जरूरत पड़ेगी और सरकार की तरफ से यदि प्रपोजल आएगा तो हमारा मंत्रालय जरूरत को देखते हुए वहां भी रिसर्च सैंटर खोलने की कोशिश करेगा। हमारे 10-12 रिसर्च सैंटर्स पूरे देश में चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक प्रपोजल अभी पाइपलाइन में है और निश्चित रूप से हमने उसे एश्योरेंस भी दिया है कि योग और नेचुरोपैथी का रिसर्च सैंटर आंध्र प्रदेश में प्रपोज्ड है।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। सबसे पहले हम सब लोगों को इस देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय मोदी जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहिए कि उनकी पहल पर दुनिया के 192 देशों ने पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। मैं माननीय मंत्री जी और उनके

अधिकारियों का भी बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने नेशनल बोर्ड और प्रमोशन एंड डैवलपमैन्ट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी किया।

मेरा सवाल यह है कि जैसा हमारे माननीय सदस्य, श्री भामरे भी पूछ रहे थे, आज के डाक्टर कहते हैं कि 90 से 95 परसैन्ट जो दुनिया की बीमारियां हैं, उन मूल कारण साइको सोमाटिक डिसीजेज हैं। हमारे आयुर्वेद में चरक ऋषि ने लिखा है - प्रज्ञापराधो हि मूलं सर्व रोगाणाम्। इसका मतलब है कि मन के कारण ही बीमारियां आती हैं। मेरा कहना यह है कि योग की परिभाषा ही यही है - योगश्चित्त वृत्ति निरोधः।

मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मन का इतना बड़ा कारण है, क्या भारत सरकार एक नेशनल योग इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड बनाने का प्रयत्न करेंगी या नहीं?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : आपका बहुत अच्छा सुझाव है। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं और इसके बारे में जैसा आपने कहा है कि क्या एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर योग करने लगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम योग करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसका भी प्रावधान करेंगे। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी का उपचार भारत के गांव-गांव एवं घर-घर तक प्रचालित है, इससे सुलभ और सस्ते में उपचार होता आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नए-नए केंद्रों की स्थापना कर के इस पद्धित को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है? दूसरा, क्या सरकार मुंगेर विश्व योगा केंद्र को विशेष सुविधा दे कर आगे बढ़ाना चाहती है?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदया, जैसा कि सदस्य ने पूछा है, वैसे ही हमारी योजना है कि योग और नैचुरोपैथी घर-घर पहुंचे। इसके लिए आयुष मंत्रालय कार्यरत है। आप सबके सहयोग से हम आगे जाना चाहते हैं। मुंगेर योगा केंद्र का बहुत नाम है। उन्होंने पूरे विश्व में योग की साधना फैलाने की कोशिश की है। इसलिए इस केंद्र को आयुष मंत्रालय की जिस भी तरीके से जरूरत पड़ेगी तो मंत्रालय उनको मदद करने के लिए तैयार है।

(Q. 186)

श्री पंकज चौधरी: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के भाग क" में सरकार इस बात से अवगत है कि निजी क्षेत्र के अस्पतालों में भारी संख्या में जाने में लोग अक्षम हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 11 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में दस प्रतिशत लोग किसी न किसी बीमा योजना में कवर हैं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना सिंहत स्वास्थ बीमा पॉलिसी के तहत कवर व्यक्तियों की संख्या 28.60 प्रतिशत है। देश में हृदय रोग, किडनी, लीवर और कैंसर जैसे तमाम गंभीर इलाजों के लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते हैं। एम्स और पीजीआई जैसे अस्पतालों में लंबी लाइन होने की वजह से लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार गरीब तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के व्यक्तियों के इलाज के लिए कोई ऐसी बीमा योजना लाएगी, जिससे उनका तत्काल इलाज या ऑपरेशन हो सके?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, उसके लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एनएचएम के माध्यम से हमने चाइल्ड एण्ड मदर की दृष्टि से विशेष कार्यक्रम लिए हैं और आज मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि जहां तक मदर एण्ड चाइल्ड के प्रोटेक्शन का सवाल है, उसको हम लोगों ने ज्यादातर पब्लिक फैसेलिटीज़ के तहत लिया है और खर्चा उसमें 1/10 कम हुआ है। उसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी फैसिलीटीज़ को भी हम फ्री डायग्नोस्टिक्स, हैल्थ को प्रोवाइड करना राज्य की जिम्मेवारी है। उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देते हैं तो वह देने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में हैल्थ प्रोटेक्शन स्कीम सन् 2016-17 में अनाउंस की है। जिसके तहत हम गरीब परिवारों को एक लाख रूपये सालाना, फैमिली को फ्लोटर बेसिस पर और उसकी कैपिंग में जो सीनियर सिटिज़ंस हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनको 30 हज़ार रूपये का एक एक्स्ट्रा हैल्थ कवरेज देने का हमने तय किया है। उस दृष्टि से सीनियर सिटिजंस को तो अभी हमने कवरेज़ देना शुरू कर दिया है। बाकी हम उसकी मोडैलिटीज़ बना रहे हैं। बहुत जल्द यह कार्यक्रम फूल-प्रूफ तरीके से भारत की जनता को मुहैया होगा।

HON. SPEAKER: Very good.

श्री पंकज चौधरी: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2.3 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों 2 प्रतिशत लोग ने वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण चिकित्सा परामर्श प्राप्त नहीं किया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 71 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों 81 प्रतिशत परिवार निजी अस्पतालों का उपयोग कर रहे हैं। निजी अस्पतालों में कहीं न कहीं चौगुना खर्चा आता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि

ऐसे में गरीबों को इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए क्या सरकार स्वास्थ नीति, स्वास्थ के मौलिक अधिकारों में शामिल करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, साधारण व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले, टर्शरी केयर सैंटर की दृष्टि से, उसके लिए सरकार ने पिछले दो सालों में बहुत प्रयास किए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम नए एम्स खोल रहे हैं। ये सभी एम्स एक हज़ार करोड़ रूपये की लागत से ऊपर हैं।

हर स्टेट को हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तीन एम्स का ऑपरेशनल होने की दृष्टि से उनका काम शुरू हो गया है। जो छह एम्स थे, वे ऑपरेशनल हो गए हैं, उनमें जो स्टॉफ की जरूरत थी, हमने उन्हें पूरा किया है। उसी तरीके से जो हॉस्पिटल्स थे, वहाँ हम उनको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेजेज खोलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने फंडिंग शुरू की है। जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेज हैं, उनमें भी हम सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक्स खोल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि पब्लिक फैसेलिटी में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेज को हम स्ट्रेंग्थन करें, वहाँ सुपर स्पेशिएलिटीज खोलें तािक आम व्यक्ति को उसकी सुविधा मिल सके। एक बात जरूर कहूँगा कि इसमें हमारी तरफ से फाइनेन्शियल सपोर्ट मिलता है, बाकी उसकी इम्प्लिमेंटेशन का जो काम है, वह स्टेट्स के पास है।

मैं आपके माध्यम से सभी स्टेट्स से गुजारिश करूँगा कि वे सभी प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स समय पर भेजें और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी समय पर भेजें तािक हम जल्द से जल्द उस काम को पूरा कर सकें।

श्री उदय प्रताप सिंह: महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने गरीब आदमी, उसकी बीमारी, सरकार की जो जिम्मेदारी है इस देश के बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए, उसके बारे में बहुत विस्तारपूर्वक जानकारी सदन के सामने रखी है।

में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विगत दो वर्षों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो देश में अनियमितताएं होती थीं, उस पर भी नियंत्रण लगा है और मानीटिरंग कमेटी जो सांसद की अध्यक्षता में बनी है, उससे निचले स्तर पर लाभ भी हुआ है। यू.एन. के साथ जो एसडीजी हिन्दुस्तान ने साइन किया है, उसमें तीसरे या चौथे नम्बर पर स्वास्थ्य प्राथमिकता में है। में जानना चाहूँगा कि हमारी सरकार की अगले 15 साल में हेल्थ सेक्टर में क्या प्रायोरिटीज हैं, जो कि आम आदमी, गरीब आदमी के लिए हम उसको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि आगामी 15 वर्ष, चूँकि माननीय मोदी जी की सरकार 5 वर्ष के लिए प्लान नहीं कर रही है, वह लांग टर्म प्रोसेस के ऊपर काम कर रही है, अगले 15 वर्ष में हमारा एसडीजी में यू.एन. के साथ जो

साइन किया गया है, उसके तहत हम गरीब आदमी के लिए इस देश में क्या करने जा रहे हैं, हमारी क्या प्रायोरिटी रहेगी?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमारा हेल्थ की दृष्टि से तीनों क्षेत्रों में काम चल रहा है। प्रिवेन्टिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव इन तीनों क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं और टर्शरी केयर में भी, सेकेंडरी हेल्थ केयर में भी और प्राइमरी हेल्थ केयर में भी काम कर हैं। सबकी दृष्टि से हम उसको वर्कआउट कर रहे हैं। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि एमएमआर, आईएमआर और टीएफआर इन तीनों में हमने बहुत अच्छा किया है और जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उसके टारगेट के हम बहुत नजदीक पहुँचे हैं। खुशी की बात यह है कि इंटरनेशनल स्टेंडर्ड्स में जो पैरामीटर्स थे, जिसमें गिरावट एमएमआर में, टीएफआर में और आईएमआर में आनी चाहिए थी, उससे फास्ट भारत ने किया है। इसको मैनटेन करते हुए हम एसडीजीज में भी जा रहे हैं। उसी दृष्टि से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एनसीडीज को कन्ट्रोल करना, इन सारी चीजों पर हम एक, जिसको बोलते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच और एक काम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटजी लेकर जा रहे हैं so that we take care of the primary health care, we take care of the secondary healthcare and we also provide tertiary healthcare and quality healthcare.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Thank you, Madam Speaker. My supplementary is related to Clause 3 Part (C) of the original question, which is regarding the disparity in the cost of medical treatment in public hospitals and private hospitals. There is a huge difference in the figure. The poor people and the vulnerable sections of society are not able to afford this huge expenditure. My specific question to the hon. Minister is whether the Government will institute a regulatory mechanism to oversee the expenditure being imposed by private hospitals on the poor patients.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, there is already a regulatory system available. The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act is very much there. It is the States which have to adopt it. It is a very good question. I would request all the hon. Members of Parliament to see to it that their respective State Governments adopt this Act and see to it that they come under that purview. Only then they will be regulated by that system. This system is going to take care

of the poor also. This is one thing. The second one is that we are expanding our facilities to provide quality health services, as I said, in primary, in secondary and in tertiary healthcare. If we are going to expand, the load and the number of people going towards the private side is going to be reduced.

(Q. 186)

श्रीमती रीता तराई: सम्माननीय वाचस्पति महोदया, मेरी मातृभाषा उड़िया है परन्तु मैं हिन्दी में सवाल पूछ रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ कीजिए।

में मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर पढ़ चुकी हूँ। वर्तमान समाज में जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक प्रगित और शहरीकरण के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएँ आई हैं, इसलिए मानसिक रोगों में वृद्धि हो रही है। मंत्री जी के उत्तर के अनुसार हमारे देश में टोटल 15 मानसिक रोग चिकित्सा केन्द्र हैं जो कि जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम हैं। मेरे राज्य की स्थिति के उनुसार क्या वहाँ कोई मानसिक चिकित्सा केन्द्र या सुपर स्पैशियैलिटी हॉस्पिटल बनाने में कोई दिक्कत है? श्री जगत प्रकाश नख्डा: माननीय अध्यक्ष महोदया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि जहाँ तक मैंटल हैल्थ केयर का सवाल है, उसकी दृष्टि से मैंटल हैल्थ पॉलिसी भी एनविसाज्ड है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेज़पुर में और बंगलूरू में निमहैंस और वैस्ट बंगाल में इसके नेशनल सैन्टर्स हैं। इतना ही नहीं, हम हरेक स्टेट सैन्टर और इंस्टीट्यूट्स को प्रायारिटीवाइज़ सपोर्ट भी कर रहे हैं। इनका मैंटल हैल्थ इंस्टीट्यूट, एस.ई.बी. मैंडिकल कालेज कटक को हमने अभी 27 करोड़ रुपये दिये हैं और ये आगे इसको खर्च करेंगे तो हम और भी देंगे। ओडिशा में हमने कटक को 27 करोड़ रुपये दिये हैं कि excellence in mental healthcare.

श्रीमती रीता तराई: मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेरे संसदीय क्षेत्र जाजपुर जिला में कोई भी मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। क्या इसके कारण मंत्री जी बता सकते हैं।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, इसका कारण यह है कि प्रदेश सरकार को हमें प्रपोज़ल देना होता है। प्रदेश सरकार अपने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वहाँ की ज़रूरतों को पहचानती है। उसको पहचानने के पश्चात् वह हमको प्रपोज़ल देती है। इस प्रकार का कोई प्रपोज़ल आएगा तो गवर्नमैंट ऑफ इंडिया हमेशा आगे बढ़कर इसमें काम करेगी।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदया, हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि एम्स की बात आई है और झारखंड राज्य के निर्माण को लगभग 16 वर्ष होने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एम्स के लिए यह प्रश्न नहीं है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: मानसिक स्वास्थ्य की भी बात है। मेरा सवाल यह है कि हमारे यहाँ एम्स का जो निर्माण होना है, क्या राज्य सरकार द्वारा आया है?

माननीय अध्यक्ष: वह एम्स वाला प्रश्न हो गया है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: साथ-साथ जो मानसिक रोगियों की बात है, कांके में एक हास्पिटल है, क्या वहाँ के बारे में भी कुछ डिमांड राज्य सरकार के द्वारा आई है कि वहाँ और सुविधा बहाल की जाए?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष महोदया, इसमें दोनों बातें हैं। एक तो जहाँ तक राँची का सवाल है, उसका हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इन्होंने एम्स का प्रश्न पूछा है, वह हमारी प्रायारिटी पर है। जैसा कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत में विशेषकर हैल्थ फैसिलिटीज़ को एनहैन्स करना है। उसमें रायपुर में एम्स ऑपरेशनल हो गया है, वैस्ट बंगाल में एम्स का काम चल पड़ा है। असम में एम्स की ज़मीन ढूँढ़ ली गई है और जम्मू कश्मीर में दो जगह एम्स बनना शुरू हुआ है। झारखंड टाप प्रायारिटी पर है। यही एक बच गया है। ओडिशा में एम्स का काम आपरेशनल है। सिर्फ एक झारखंड बच गया है और टाप प्रायारिटी पर इसको रखा गया है।

(Q. 188)

माननीय अध्यक्ष: ज्योतिरादित्य जी, एक शॉर्ट क्वश्चन पूछो तो सम्भव हो सकता है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: जिस तरीके से उत्तर दिया गया है, जिस तरीके से एडवरटाइज़मेंट्स में मिसलीडिंग खबरें आती हैं, क्या सख्त कदम यह सरकार उठाना चाहती है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर: जिस तरह से मार्केट में कम्पीटीशन बढ़ रहा है, एडवरटाइज़मेंट्स भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कहीं पर भी किसी इश्तिहार के अन्दर गलत क्लेम अगर कोई कर रहा हो, किसी तरह से मिसलीड कर रहा हो तो वह एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ को हम दो तरह से काबू कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ इन्फोर्मेशन ब्रॉडकॉस्टिंग है । टी.वी. पर अगर कोई गलत इश्तिहार चलता है तो उसके लिए हमने आस की एक सैल्फ रैगुलेटिंग बॉडी बनाई हुई है। अगर प्रिण्ट के अन्दर कोई गलत इश्तिहार आता है तो उसके लिए प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया भी उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने यहां तक कि एक पोर्टल गामा बनाया है, उस पोर्टल के अन्दर कोई भी व्यक्ति अपनी कम्प्लेण्ट डाल सकता है। उस पोर्टल के अन्दर 2015-16 में, अभी पिछले साल में तकरीबन एक हजार कम्पलेण्ट्स आई हैं और उनमें से काफी का निदान हो चुका है।

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Prof. Saugata Roy and Shri N.K. Premachandran on different issues.

The matters, though important, do not warrant interruption of Business of the day. The matters can be raised through other opportunities. Today, I am saying 'other opportunities'.

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, a brutal rape and murder of a girl from Kerala has taken place. Kindly allow me to speak. ... (*Interruptions*) HON. SPEAKER: I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

... (Interruptions)

12.01 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table. Item No. 2, Shri Arun Jaitley.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table a copy of the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 418(E) in Gazette of India dated 13th April, 2016 under sub-section (3) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

[Placed in Library, See No. LT 4731/16/16]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Medical Services Society, New Delhi, for the year 2014-2015.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Medical Services Society, New Delhi, for the year 2014-2015.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4732/16/16]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi, for the year 2014-2015, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi, for the year 2014-2015.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 4733/16/16]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, for the year 2014-2015.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.
 - [Placed in Library, See No. LT 4734/16/16]
- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006:-
 - (i) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2014 published in Notification No. F. No. P.15025/261/2013-PA/FSSAI in Gazette of India dated 16th November, 2015 together with a corrigendum thereto published in Notification No. F. No. P.15025/261/2013-PA/FSSAI dated 4th April, 2016.
 - (ii) The Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI in Gazette of India dated 4th November, 2015 together with a corrigendum thereto published in Notification No. F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI dated 12th February, 2016.
 - (iii) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016 published in Notification No. F. No. 11/12/Reg/Prop /FSSAI-2016 in Gazette of India dated 15th January, 2016.
 - (iv) The Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2016 published in Notification No. F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI in Gazette of India dated 6th January, 2016 together with a corrigendum thereto published in Notification No. F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI dated 4th April, 2016.

(v) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. P. F. No. P.15025/263/13-PA/FSSAI in Gazette of India dated 4th November, 2015.

- (vi) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI in Gazette of India dated 4th November, 2015 together with a corrigendum thereto published in Notification No. F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI dated 4th April, 2016.
- (vii) The Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2016 published in Notification No. F. No. 1-10(6)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013 in Gazette of India dated 6th January, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4735/16/16]

(8) A copy of the Indian Medical Council (Post-graduate Medical Education Committee) Rules, 1961 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.120(E) in Gazette of India dated 14th January, 2016 under sub-section (2) of Section 32 of the Indian Medical Council Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 4736/16/16] THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA): I beg to

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rampur Raza Library, Rampur, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

lay on the Table:-

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rampur Raza Library, Rampur, for the year 2014-2015.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4737/16/16]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Zone Cultural Centre, Patiala, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Zone Cultural Centre, Patiala, for the year 2014-2015.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 4738/16/16]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Culture Fund, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Culture Fund, for the year 2012-2013.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 4739/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2015 together with Auditor's Report thereon:-

- (i) Chhattisgarh Gramin Bank, Raipur
- (ii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4740/16/16]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-
 - (i) The Income-tax (19th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 3312(E) in Gazette of India dated 8th December, 2015, together with an explanatory memorandum.
 - (ii) The Income-tax (20th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.3357(E) in Gazette of India dated 11th December, 2015, together with an explanatory memorandum.
 - (iii) The Income-tax (21st Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.978(E) in Gazette of India dated 16th December, 2015, together with an explanatory memorandum.
 - (iv) The Income-tax (22nd Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O.3545(E) in Gazette of India dated 30th December, 2015, together with an explanatory memorandum.
 - (v) The Income-tax (1st Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. S.O. 127(E) in Gazette of India dated 14th January, 2016, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 4741/16/16]

(4) A copy of the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 314(E) in Gazette of India dated 16th March, 2016under sub-section (3) of Section 114 of the Insurance Act, 1938.

[Placed in Library, See No. LT 4742/16/16]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:-

- (i) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd's India) Regulations, 2016 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg./4/116/2016 in Gazette of India dated 17th March, 2016.
- (ii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Third Party Administrators-Health Services) Regulations, 2016 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg./5/117/2016 in Gazette of India dated 17th March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4743/16/16]

- (6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-
 - (i) G.S.R.423(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2016 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Normal Butanol or N-Butyl Alcohol', originating in, or exported from European Union, Malaysia, Singapore, South Africa and United States of America for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(ii) G.S.R.434(E) published in Gazette of India dated 21st April, 2016 together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on Barium Carbonate, originating in, or exported from China PR pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

[Placed in Library, See No. LT 4744/16/16]

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994:-
 - (i) G.S.R.419(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.
 - (ii) The Service Tax (Determination of Value) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.420(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2016, together with an explanatory memorandum.
 - (iii) The Point of Taxation (Third Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.421(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2016, together with an explanatory memorandum.
 - (iv) The Service Tax and Central Excise (Furnishing of Annual Information Return) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.167(E) published in Gazette of India dated 15th February, 2016, together with an explanatory memorandum.
 - (v) The Service Tax (Second Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.283(E) published in Gazette of India dated 8th March, 2016, together with an explanatory memorandum.

(vi) The Service Tax (Third Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.948(E) published in Gazette of India dated 9th December, 2015, together with an explanatory memorandum.

- (vii) The Service Tax (Fourth Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.987(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2015, together with an explanatory memorandum.
- (viii) G.S.R.173(E) published in Gazette of India dated 17th February, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 22/2015-Service Tax dated 6th November, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4745/16/16]

(8) A copy of the Senior Citizens' Welfare Fund Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.322(E) published in Gazette of India dated 18th March, 2016 under sub-section (2) of Section 130 of the Finance Act, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4746/16/16]

- (9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-
 - (i) S.O.617(E) published in Gazette of India dated 29th February, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
 - (ii) Notification No. 36/2016-Customs (N.T.) dated 3rd March, 2016, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.
 - (iii) S.O.1104(E) published in Gazette of India dated 15th March, 2016, together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

- (iv) Notification No. 41/2016-Customs (N.T.) dated 17th March, 2016, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.
- (v) S.O.1269(E) published in Gazette of India dated 31st March, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (vi) Notification No. 47/2016-Customs (N.T) dated 4th April, 2016, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.
- (vii) Notification No. 48/2016-Customs (N.T.) dated 7th April, 2016, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.
- (viii) S.O.1425(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (ix) Notification No. 55/2016-Customs (N.T.) dated 21st April, 2016, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian

currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.

[Placed in Library, See No. LT 4747/16/16]

(10) A copy of the Debts Recovery Tribunal (procedure) Amendment Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.407(E) in Gazette of India dated 6th April, 2016 under sub-section (3) of Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993.

[Placed in Library, See No. LT 4748/16/16]

- (11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970/1980:-
 - (i) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2016 published in Notification No. S.O.1215(E) in Gazette of India dated 28th March, 2016.
 - (ii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2016 published in Notification No. S.O.1216(E) in Gazette of India dated 28th March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4749/16/16]

(12) A copy of the Purvanchal Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. 2015-16/Per/545-PRELIMINARY in Gazette of India dated 29th May, 2015 under sub-section (2) to Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976.

[Placed in Library, See No. LT 4750/16/16]

- (13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-
 - (i) The CENVAT Credit (Fifth Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.422(E) in Gazette of India dated 13th April, 2016, together with an explanatory memorandum.

(ii) The CENVAT Credit (First Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.132(E) in Gazette of India dated 1st February, 2016, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 4751/16/16]

(14) A copy of the Public Provident Fund Scheme (Amendment) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.332(E) in Gazette of India dated 22nd March, 2016 under Section 12 of the Public Provident Fund Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 4752/16/16]

(15) A copy of the Notification No. G.S.R.350(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th March, 2016, notifying that the subscriptions made to the fund on or after the 1st day of April, 2016 and the balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.1 per cent per annum issued under Section 5 of the Public Provident Fund Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 4753/16/16]

- (16) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959:-
 - (i) The Kisan Vikas Patra (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.330(E) in Gazette of India dated 22nd March, 2016.
 - (ii) The National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 2016published in Notification No. G.S.R.331(E) in Gazette of India dated 22nd March, 2016.
 - (iii) The Kisan Vikas Patra (Amendment Rules), 2016 published in Notification No. G.S.R.353(E) in Gazette of India dated 29th March, 2016.

(iv) The National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment Rules), 2016 published in Notification No. G.S.R.354(E) in Gazette of India dated 29th March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4754/16/16]

- (17) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873:-
 - (i) The Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.356(E) in Gazette of India dated 29th March, 2016.
 - (ii) The Sukanya Samriddhi Account Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.323(E) in Gazette of India dated 18th March, 2016.
 - (iii) The Post Office (Monthly Income Account) Amendment Rules,
 2016 published in Notification No. G.S.R.349(E) in Gazette of
 India dated 29th March, 2016.
 - (iv) The Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.351(E) in Gazette of India dated 29th March, 2016.
 - (v) The Post Office Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.355(E) in Gazette of India dated 29th March, 2016.
 - (vi) The Sukanya Samriddhi Account (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.352(E) in Gazette of India dated 29th March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4755/16/16]

(18) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

- (i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.369(E) in Gazette of India dated 30th March, 2016, together with an explanatory memorandum.
- (ii) The Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.384(E) in Gazette of India dated 31st March, 2016, together with an explanatory memorandum.
- (iii) The Foreign Exchange Management (Remittance of Assets)
 Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R. 388(E) in
 Gazette of India dated 1st April, 2016, together with an explanatory memorandum.
- (iv) The Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R. 389(E) in Gazette of India dated 1st April, 2016, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 4756/16/16]

- (19) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Foreign Exchange Management Act, 1999:-
 - (i) G.S.R.274(E) published in Gazette of India dated 3rd March, 2016, together with an explanatory memorandum containing corrigendum to the Notification No. G.S.R.920(E) dated 2rd December, 2015.

06.05.2016 45

(ii) G.S.R.417(E) published in Gazette of India dated 12th April, 2016, together with an explanatory memorandum containing corrigendum to the Notification No. G.S.R. 166(E) dated 15th February, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4757/16/16]

12.02 hours

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

""In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Anti-Hijacking Bill, 2016 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 4th May, 2016."

2. Madam Speaker, I lay on the Table the Anti-Hijacking Bill, 2016, as passed by Rajya Sabha on the 4th May, 2016."

12.02 1/4 hours

STANDING COMMITTEE ON ENERGY

17th Report

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदया, मैं जल विद्युत, एक संधारणीय, स्वच्छ और हरित विकल्प के बारे में ऊर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति (2015-16) का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.02 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 13th Report

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): महोदया, मैं पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सम्बन्धी स्थायी सिमिति के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) का कार्यकरण विषय के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.02 ¾ hours

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE 235th Report

SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): I beg to lay on the Table the Two Hundred Thirty-fifth Report on Demands for Grants (2016-17) of Ministry of Shipping (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture.

12.03 hours

BUSINESS OF THE HOUSE

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, आपकी अनुमित से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 9 मई, 2016 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:

- 1. वर्ष 2016-17 के लिए बजट (उत्तराखंड) का प्रस्तुतीकरण;
- 2. वर्ष 2016-17 के लिए बजट (उत्तराखंड) पर सामान्य चर्चा;
- 3. वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान की मांगों (उत्तराखंड) पर चर्चा और मतदान;
- 4. उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016 का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना-अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए:
- 5. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में यान हरण निवारण विधेयक, 2016 पर विचार और पारित करना;
- 6. उत्तराखंड राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 27 मार्च, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा;
- 7. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 पर विचार और पारित करना;
- 8. लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार और सहमति देना; और
- 9. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राजेन्द्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 पर विचार और पारित करना।

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): I request you to include following issues for discussion in the List of Business for the next week:

- 1. Ghar Ghar Main Sauchalaya in Mumbai and urban metro cities. Urban Development Ministry is to execute time bound action plan/programme for individual toilet block under Swachch Bharat Abhiyan in corporate township;
- 2. Aggressive installation awareness of solar power resulting into drastic fall in the solar power cost. Recent bidding in India shows Rs.4.37 per unit while in Dubai solar power cost came down to Rs.2 per unit. Government must take up aggressive steps to achieve our hon. Prime Minister's dream to have one lakh megawatt solar power in India.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु सबिमशन पेश करता हूं।

- 1. माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान केन्द्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले बजट की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले बजट को 32% से बढ़ा कर 42% कर दिया गया है जबिक पूरे देश में करोड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं उनकी सहायिकाएं, शिक्षा प्रेरक, शिक्षा अनुदेशक, सरकारी विद्यालयों में भोजन बनाने वाले/वाली रसोइयों, चौकीदारों, जानवरों का इलाज करने वाले पैरावेट, विशेष शिक्षक, उर्दू शिक्षक, आशा बहुओं, किसान मित्र, ग्राम रोजगार सेवक, होमगार्ड्स, पी.आर.डी. के जवान, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षक तथा राज्यों के सभी विभागों में कार्य करने वाले संविदाकर्मियों को न्यूनतम वेतन उनके पदों के अनुसार देने के लिए राज्यों को 10% बढ़ाए गए बजट में से देना सुनिश्चित करने के लिए विधेयक सदन में लाया जाए।
- 2. केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग किस-किस मद में राज्यों की सरकारें करती हैं, इसकी जवाबदेही देने के लिए सुनिश्चित करने का विधेयक सदन में लाया जाए। श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): अध्यक्ष जी, निम्निलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ा जाए -
 - 1. हीरक चतुर्भुज रेल परियोजना का उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर में लिलतपुर से रामटेक तक रेल लाइन विस्तार करने का कार्य प्रारंभ हो ताकि उत्तर से दक्षिण की दूरी 200 कि.मी. कम हो सके।

2. नर्मदा नदी से केन नदी को जोड़ कर कोपरा-व्यरमा-सोनार नदी में जल पहुंचा कर बुंदेलखंड क्षेत्र को पेयजल एवं सिंचाई की समस्या से निजात दिलाएं।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The following items may be included in the List of Business commencing from 9th of May, 2016:

- 1. Pyrotechnic tragedy at Puttingal Devi Temple at Paravoor, Kollam in my constituency in which 109 people lost their lives;
- Conducting National Entrance-cum-Eligibility Test for admission to undergraduate Medical and Dental Course in two phases directed by the Supreme Court.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह के कार्य सूची में शामिल किया जाए -

- 1. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत जादुगोड़ा UCIL कम्पनी है जो भारत सरकार के अधीन है। यहां पर अति महत्वपूर्ण यूरेनियम खनिज पदार्थ पाया जाता है। ये माइंस सबसे पुरानी जादुगोड़ा के नाम से है लेकिन ये कम्पनी विगत दो वर्षों से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण बंद पड़ा है। जिससे वहां पर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी है।
- 2. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर में टाटा कम्पनी है जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच में स्थित है तथा बड़ी कम्पनी होने के कारण प्रतिदिन बड़ी-बड़ी हजारों गाड़ियों का आना-जाना लगा रहता है तथा इसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग 40 से 50 हजार है। जिसके कारण शहर में जगह-जगह पर ट्रैफिक जाम की समस्या लगी रहती है और जिसके कारण औसतन प्रति वर्ष 400 दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें 300 लोगों की मौत होती है। पूरे टाटा शहर में एक भी फ्लाई ओवर नहीं रहने के कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जबकि वहां के लोगों की यह मांग वर्षों पुरानी है।

माननीय अध्यक्ष : श्री गोपाल शेट्टी जी।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): क्या 377 पर बोलना है?

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं। यह 377 नहीं है। यह सबिमशन है। आपको सबिमशन दी गयी होगी।

श्री गोपाल शेट्टी: मेरे पास जो कागज़ हैं, उन्हें देखा है। उसमें इसके कागज़ नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप उसे ढूंढ़ लीजिए। आपको बाद में बुलाती हूं।

श्री अश्विनी कुमार चौबे।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदया।

माननीय अध्यक्ष: गोपाल शेट्टी जी, क्या आपको वे कागज मिल गए?

श्री गोपाल शेट्टी: जी।

माननीय अध्यक्ष: अश्विनी जी, आप उनके बाद बोलिएगा।

गोपाल शेट्टी जी, बोलिए। थोड़े-से अलर्ट रहना।

श्री गोपाल शेट्टी: महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए: -

- महाराष्ट्र सरकार ने निदेशक (एफ.सी.डी.), 13वां वित्त आयोग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य में वाटर सेक्टर मैनेजमेंट (जल प्रबंधन क्षेत्र) के लिए 92 करोड़ रुपए का अनुदान प्रति वर्ष प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने से संबंधित विषय।
- 2. महाराष्ट्र राज्य को पिछले काफी समय से सूखे का सामना करना पड़ रहा है। जिससे कृषि फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और किसान भी भूखे मरने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य में किसानों ने एक बहुत बड़ी तादाद में कृषि फसल बर्बाद होने के कारण अपनी जानें दी हैं। महाराष्ट्र राज्य के प्रभावित किसानों के लिए आर्थिक पैकेज स्वीकृत किए जाने से संबंधित विषय।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदया, मैं अगले सप्ताह की विषय सूची में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जनहित में सम्बद्ध करना चाहता हूं:-

- 1. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का कोई भी केन्द्र बिहार में नहीं है। अतएव महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर में वेद अध्ययन हेतु देवभाषा संस्कृत संस्थान का एक केन्द्र तथा काशी हिन्दू वि0 वि0 की भी एक शाखा बक्सर (मिनी काशी) में स्थापित की जाए, जिससे बक्सर सहित शाहाबाद क्षेत्र के हजारों छात्र-छात्राएं जो काशी हिन्दू वि0 वि0 में पठन-पाठन करते हैं तथा जो वहां जाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें भी उच्चतर शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा जिससे वे गौरवान्वित होंगे।
- 2. हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर शहर अन्तर्गत पुराना सदर अस्पताल को विगत पांच-छः वर्षों से बन्द कर शहर से काफी दूर सुनसान जगह में नया सदर अस्पताल स्थानान्तरित किया गया है जिससे शहर वासियों को चिकित्सा कराने में भारी संकट का सामना करना पड़ता है। विशेषकर रात्रि में अचानक किसी की तबीयत खराब होने पर तथा महिलाओं के प्रसव हेतु काफी कट उठाना पड़ता है।

अतएव जनिहत में केन्द्र सरकार से आग्रह है कि राष्ट्रीय (शहरी) स्वास्थ्य मिशन (एन०यू०एच०एम०) अन्तर्गत पुराना सदर अस्पताल परिसर में "शहरी प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र" तथा दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए अत्याधुनिक संयंत्र के साथ एक "ट्रॉमा सेन्टर" भी स्थापित किया जाए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए।

- 1. भोजन, पेय पदार्थ, दवाइयों और अन्य उपभोक्ता पदार्थों की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के उपयोग की सुविधा अब इंसान के अस्तित्व के लिए खतरा बन गयी है। नान बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से संग्रहित सामग्री, मिट्टी और पानी में हानिकारक रसायनों और भारी धातुओं का रिसाव करता है जो कैंसर, जन्म दोष, टाइप 2 मधुमेह, श्वसन और हृदय की बीमारियों का कारण बनता है, जो कि स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। अतः प्लास्टिक उत्पादों की पूर्ण बंदी हेतु सख्त नियम बनाया जाएं।
- 2. वर्ष 2011 से 2015 तक संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा में CSAT का भेदभावकारी पेपर जारी रहा जिसका व्यापक विरोध ग्रामीण पृष्ठभूमि और मानविकी विषय के छात्रों द्वारा निरंतर किया गया। वर्ष 2015 में यूपीएससी के नोटिफिकेशन में CSAT पेपर को क्वालीफाइंग कर दिया गया जो कि स्वागतयोग्य कदम था, लेकिन जिन छात्रों ने अपना मूल्यवान समय एवं प्रयास इन 5 वर्षों में खो दिया उनके अवसर एवं हित की अनदेखी न्यायोचित नहीं होगी। अतः इन प्रभावित ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को यूपीएससी की परीक्षा में पुनः तीन अवसर प्रदान करने हेतु सख्त नियम बनाया जाए।

श्री मुकेश राजपूत (फरूखाबाद): महोदया, कृपया मेरे निम्नलिखित कथन को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

हमारे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाली गंगा, रामगंगा व काली नदी से होने वाले कटान को रोकने के लिए बंधा बनाए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

गंगा नदी में शहर का दूषित जल न जाए इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने के सन्दर्भ में।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : महोदया, मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सिम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं:-

1. मेरा जिला नागौर एवं लोक सभा क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। पिछले नौ वर्षों से केन्द्रीय विद्यालय का प्रस्ताव विचाराधीन है। पन्द्रह एकड़ जमीन केन्द्रीय विद्यालय के नाम से नामान्तरित एवं वैकल्पिक भवन की व्यवस्था कर दी गई है। अतः 35 लाख की आबादी एवं सैनिकों की भूमि में केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार किया जाए।

2. जिले में ग्रामीण आबादी ग्रामों के साथ-साथ ढ़ाणियों में बस रही है। खेतों पर ही लोगों ने घर बना रखे हैं। इन ढ़ाणियों में बच्चों की पढ़ाई, रात्रि में उजाला एवं घरेलू कार्य हेतु बिजली की आवश्यकता है। अतः या तो ढ़ाणियों को विद्युत सिंगल फेस कनेक्शन से जोड़ा जाए अथवा 90 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर सोलर सिस्टम की व्यवस्था दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के तहत किए जाने का प्रस्ताव विचारार्थ लिए जाने का कष्ट करें।

12.14hours

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Recent disclosure by the Court of Appeals, Milan, Italy on alleged irregularities in Agusta Westland Helicopter deal

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Sir, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"Recent disclosure by the Court of Appeals, Milan, Italy on alleged irregularities in Agusta Westland Helicopter deal, 2013."

रक्षा मंत्री (श्री मनोहर परिंकर): अध्यक्ष महोदया, मैंने रिटेन स्टेटमेंट सभा पटल पर रख दिया है लेकिन उसके प्रमुख बिन्दु की ओर सभागृह का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगस्टा वेस्ट लैंड के पूरे मामले को प्रायः दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक, ऑर्डर देने के समय तक जो कुछ हुआ और दूसरा, ऑर्डर देने के बाद जब वर्ष 2012 में न्यूज पेपर में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे, उसके बारे में है। दूसरा भाग जो है, उसमें जब गवर्नमेंट वर्ष 2014 में बदली, उसके बाद जो अभी तक का मामला हुआ है, उसके बारे में है।

मैं इसमें पहले बोलना चाहता हूं कि जब वर्ष 1999 में अटल जी की सरकार थी, उस समय यह वीआईपी प्रोक्योरमेंट का प्रोसिजर चालू हुआ। एमआई -8 हेलिकॉप्टर थोड़े पुराने हो गये थे और वर्ष 2002 में इसके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मतलब टेंडर इश्यू किया गया था। लेकिन, उससे जो निकला, 11 वेंडर्स को टेंडर दिए गए थे, लेकिन केवल चार सामने आ गये, उनमें से तीनों ने जो कोट दिया था, उसका विश्लेषण किया गया, केवल दो वेंडर्स फाइनल स्टेज तक आये। जब उसका फील्ड इवैलुएशन ट्रायल हो गई तो केवल ईसी-225 हेलिकॉप्टर्स पास हुए। सिंगल वेंडर होने के कारण, उस समय के सरकार ने इसको रद्द कर दिया। वर्ष 2003, दिसम्बर में, उस समय के पीएमओ ने डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरफोर्स को लिखा कि इसमें आपने जो एसक्यूआर, जो रिक्वायरमेंट्स लिखे हैं, वे काफी टाइट हैं, इसके लिए आपने रिक्वायरमेंट के लिए 6000 मीटर की जो सिलिंग लगाई है, उसको कम करके 4500 मीटर तक कर दीजिए तो ब्रॉड बेस्ड हो जायेगा, वेंडर्स ज्यादा आ जायेंगे। उन्होंने उसके साथ यह भी सूचित किया था और मैं यहां यह बिंदू सभी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उसके साथ 6000 मीटर तक की सिलिंग, will be

a preferential, desirable character लेकिन कम्पलसरी कैरेक्टर में मत लाओ। उसके साथ एक और सजैशन दिया था कि कैबिन हाइट डिजायरैबल कैरेक्टर में 1.8 मीटर तक बना दें। इसमें कई जगह थोड़ा कंफ्यूजन करने की कोशिश है कि 1.8 मीटर और 4500 मीटर से जो कम कर दिया, इसके लिए सब आगे का हो गया, इसके लिए आगे नहीं हुआ। वर्ष 2005 में एक निर्णय लिया गया, उसमें उसकी सिलिंग हाइट 6000 मीटर से कम करके 4500 मीटर तक कम कर दिया गया। जिसके कारण, the vendor base is expanded. लेकिन उसके साथ एक नया एसक्यूआर, एशेंसियल एसक्यूआर डाल दिया गया कि इससे केबिन हाइट 1.8 मीटर और यह बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, 1.8 मीटर केबिन हाइट उसमें कम्पलसरी एसक्यूआर डाला गया। जब 1.8 मीटर कम्पलसरी एसक्यूआर डाला गया तो ऑटोमैटिकली उससे पहले से जो सेलेक्ट हुआ था, एफईटी में जो हेलिकॉप्टर ईसी-225 पास हुआ था, यह ऑटोमैटिक रेस में से बाहर निकल गया। It was virtually thrown out of the race by specific requirement of 1.8 metre which was introduced on 9th May, 2005 by UPA-I Government. अगस्टा वेस्ट लैंड का एडब्ल्यू 101 को हाइट सिलिंग के कारण अंदर प्रवेश दिया गया।

अटल जी के समय दो वैंडर बेस बड़े बनाने के लिए हाइट सीलिंग कम करने को कहा था। उससे वैंडर बेस बड़े बन गए, लेकिन 1.8 कैंबिन हाइट डालने के कारण वैंडर बेस और भी स्निक हो गए। इसका फाइनली एओएन (ऐक्सैपटैंस ऑफ नैसेसिटी) 3 जनवरी, 2006 में दिया गया जिसमें केवल 6 वैंडर को आरएफपी या टैंडर डौक्यूमैंट दिए गए। पहली बार 11 वैंडर थे, अभी 6 वैंडर पर नीचे आ गए क्योंकि एसक्यूआर 2005 में और रिस्ट्रिक्टिव बनाया गया। जब एओएन दिया था, उस समय इस हेलिकॉप्टर परचेज़ की कीमत 793 करोड़ रुपये बताई गई थी।

मैं इसमें एक चीज पूरे सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 793 करोड़ रुपये कैसे कैलकुलेट किए गए। इसमें प्राय: तीन हेलिकॉप्टर्स लिए गए थे जिसका प्राइस लिया गया था। एक एमआई-17 ब्लॉक 5 रिशयन हेलिकॉप्टर जिसकी कीमत तकरीबन 35 करोड़ रुपये ऐस्टीमेट की गई थी। दूसरा, एस-92 सिकोरस्की का, जिसकी कीमत तकरीबन 60 करोड़ रुपये दी गई थी और तीसरा, एडब्ल्यू-101 अगस्ता वैस्टलैंड का जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये दिखाई गई थी, उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से तकरीबन 15 मिलियन यूरो रोजर थे। इसकी मीड़ वैल्यू निकालकर एओएन में पूरे परचेज़ की कीमत 793 करोड़ रुपये दिखाई थी। एओएन में एसओसी यानी स्टेटमैंट ऑफ केस में अगस्ता वैस्टलैंट का प्राइस 100 करोड़ रुपये दिखाया गया है जिसका मतलब 15 मिलियन यूरोज़ है। यह सिलिसला पूरी बात में चलता रहा। कई कनसेशन दिए गए और वे सब कनसेशन अगस्ता वैस्टलैंड को दिए गए। थोड़े एस-92 को भी दिए गए।

उसमें से पहला फील्ड इवैलुएशन ट्रायल जो टैंडर्ड इक्विपमेंट या आरएफपी में लिखा था कि यह ट्रायल आपको भारत में करना है और उसका कारण है। इस देश की वैदर कंडिशन, एक्सट्रीम टैम्परेचर, सभी टैम्परेचर में जहां यह यूज होने वाला है, वहां सभी जगह इसका ट्रायल लेना है। जब आरएफपी में लिखा था कि भारत में होना है, उस समय दोनों वैंडर ने कहा कि यह हम अपने देश में करेंगे। उस समय के रक्षा मंत्री ने काफी रैज़िस्टैंस किया था। उन्होंने लिखा था कि यह बराबर नहीं है। लेकिन बाद में न जाने क्यों उन्हें कनविंस किया गया। पेपर, फाइल में सब लोगों ने लिखा यह करना जरूरी है। उन्होंने बाद में इसे यूके में करने के लिए सहमति दे दी। इस प्रकार एफईटी टैंडर्ड डीक्यूमैंट में लिखे हुए क्लॉज़ के खिलाफ देश के बाहर हुआ। कई लोग कहते हैं कि आरएफपी में अभी भी जो 16 में आया है, उसमें बाहर करने से बंधन नहीं है, there is no ban; I agree with it. लेकिन टैंडर्ड डॉक्यूमैंट में लिखा था कि इस देश में करना है।

एक और अजीब चीज हो गई थी कि टैंडर्ड डौक्यूमैंट जो छ: वैंडर को दिए गए थे, वह अगस्ता वैस्टलैंड, इटली को दिया गया था। लेकिन जो टैंडर भरा, वह अगस्ता वैस्टलैंड इंटरनैशनल लिमिटेड (एडब्ल्यूआईएल), यूके कम्पनी ने भरा। इसके कई लीगल इमप्लीकेशन हैं। उसके बाद भी इसके लीगल इमप्लीकेशन सामने आए हैं जिसमें एक में इस कम्पनी ने अपने जवाब में कहा है कि हमारा और उनका क्या, वे अगर करण्शन में हैं तो हमें क्यों उसमें खींच रहे हैं। वे बाद में जब जवाब दे रहे थे, उस समय उन्होंने कोट किया है। They are going to use this in a legal battle whenever it takes place. लेकिन इससे पहले और इसके बाद भी मैंने कभी नहीं देखा कि टैंडर्ड डॉक्यूमैंट एक कम्पनी को दिया हो और टैंडर कोट करने वाली कम्पनी अलग हो। ...(व्यवधान) यह स्पष्ट चीज से सामने आया है। मैं बोलना चाहता हूं कि एडब्ल्यूआईएल उनके ओन एडिमशन के हिसाब से यह कम्पनी केवल कस्टमर रिलेशन और कस्टमर को डिज़ाइन करने वाली कम्पनी है। यह कम्पनी ओईएम नहीं है, ओरिजनल इक्विपमैंट मैनुफैक्चरर नहीं है, उनके पास ओईएम की फैसिलिटी नहीं है। उन्होंने बाद में ये सब कौन्ट्रैक्ट अगस्ता वैस्टलैंड को ट्रांसफर कर दिए। इसके पूरे डौक्यूमैंट हमें इटली कोर्ट से, जब हम सिविल पार्टी बन गए थे, उसमें पूरे डौक्यूमैंट हमें इटली कोर्ट से, जब हम सिविल पार्टी बन गए थे, उसमें पूरे डौक्यूमैंट मिले।

फेयर ट्रायल के बाद ध्यान में आया कि 12 में से 4 नॉन वीआईपी हेलीकॉप्टर और 8 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर थे, इसमें दो कंडीशन हेलीकॉप्टर कंपनी मीट नहीं कर रही थी यानि दो कंडीशन पूरे नहीं हो रहे थे। सिरकोस्की एस-92 में चार कंडीशन मीट नहीं हो रहे थे, डीपीपी का 75 पैरा के तहत कन्सेंसन दे सकते हैं, आठ-दस कलाऊजेज को रिलेक्सेसन दिया गया जिसका इम्पैक्ट सैलेक्शन पर हुआ। इसमें केवल

अगस्ता वेस्लैंड को कन्सेसन दिया गया, दो कंडीशन मीट नहीं हो रहे थे उसमें उनको रिहाई दी गई।

लेकिन एस 92 को रिहाई नहीं दी गई, एक्चुअली यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाउज है क्योंकि 1975 से कन्सेसन देते हैं लेकिन यह रेअरली यूज होने वाला क्लाऊज है extraordinary powers to be used in a rare condition. You cannot give it in a resultant single vendor case. उसको कन्शेसन देकर सिंगल वेंडर को ही फाइनलाइज कर दिया गया, अगर एस 92 को भी 4 कन्शेसन दे देते तो में समझ सकता था लेकिन एक ही कंपनी को कन्सेसन दिया और उसे सिंगल वेंडर बना दिया। बाद में सीएनसी हो गया और प्राइस का बेंचमार्किंग हो गया। उसमें आपने जो प्राइस दिखाया वह प्राइस छह गुना ज्यादा था जो एओएन में प्राइस दिखाया था। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोल रहा है कि ओपन सोर्सेज 2010 में बेस हेलीकॉप्टर एडब्ल्यू 100 का 18 मिलियन 2010 में दिखा रहे हैं। यह कोर 2008 में था। एओएन में बेस प्राइस एयरफोर्स ने 15 मिलियन दिखाया था उस समय सीएनसी बेंचमार्किंग करने वाली टीम थी उन्होंने उसका बेस प्राइस 27 मिलियन पकड़ा था। जब आप सिंगल वेंडर सिच्युएशन में कन्सेसन देने के बाद यह सब चीज करते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि price is a very important factor. क्योंकि सिंगल वेंडर को कम्पेयर करने के लिए दूसरे को नहीं होना चाहिए था इन लोगों ने एओएन में 100 करोड़ प्राइस दिखाया था यानि 15 मिलियन यूरो दिखाया था उसे दो वर्ष के गैप में 27 मिलियन क्यों लिया इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। इन्होंने 27 मिलियन बेस्ड लिया और फाइनली इसे बढाकर 4877.50 करोड़ रुपये का बेंचमार्किंग कर दिया यह एस्टिमेटेड प्राइस है, यह डिफेंस के प्रोक्यूरमेंट में प्रोसिजर है। इस प्रोसिजर में थोड़ी-बहुत रिलेक्सेसन मिलेगा अगर आप मल्टी वेंडर हैं लेकिन एक वेंडर होगा तो benchmarking is a criteria. जो एस्टिमेटेड टेंडर था उससे बेंचमार्किंग आगे कर दी गई थी, एओएन के हिसाब से कई गुना कर दी। दो गुना-ढाई गुना समझा जा सकता है लेकिन छह गुना कर दिया। में अभी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूं, एयरफोर्स के एक्सपटर्स हैं मुझे बता रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर को जिस कन्डीशन में हम लेना चाह रहे थे उस समय के प्राइस के हिसाब से 25-26 मिलियन यूरो ठीक प्राइस

जिस कन्डीशन में हम लेना चाह रहे थे उस समय के प्राइस के हिसाब से 25-26 मिलियन यूरो ठीक प्राइस होता। बेंचमार्किंग इतनी हाई क्यों कर दी? उसका कारण बहुत सीधा है। जब टेंडर का इन्वेलेप खोला उस समय प्राइस 592 मिलियन यूरो निकला। अभी अप्रूव करने में इजी हो गया क्योंकि बेंचमार्किंग उससे ज्यादा था। फाइनली सब कुछ करते -करते 556.26 मिलियन यूरो पर प्राइस तय हो गया और आर्डर दे दिया गया। यह उसका पहला चेप्टर है। दूसरे चेप्टर में पेमेंट का कंडीशन था, 8 फरवरी, 2010 को 15% एडवांस पेमेंट डिलीवर हो गया। मार्च, 2011 में 30 % पेमेंट दिया गया था। पहले का पेमेंट था 84.44 मिलियन यूरो और 166 और दोनों का 250.32 मिलियन यूरो पेमेंट कंपनी को चला गया था। Without that they asked

the Embassy to find that out. लेकिन वर्ष 2012 की फरवरी में, जो दूसरा चैप्टर है, वह बहुत महत्व का है। पहले चैप्टर में कंपनी को फेवर करने के लिए अलग-अलग क्लॉजेज कैसे चेंज कर दिए गए, इसका ब्यौरा मैंने अपने रिटन स्टेटमेंट में दे दिया है, लेकिन में अब क्लीयरली इसलिए बता रहा हूं, ताकि लोगों के ध्यान में आए कि हरेक जगह, जब इस कंपनी को काँट्रेक्ट नहीं मिल रहा था, तो उस समय क्लॉजेज रिलैक्स की गईं।

महोदया, दूसरा ब्यौरा फरवरी, 2012 से शुरू हुआ। पहले न्यूज पेपर में आ गया कि इसमें भ्रटाचार हुआ है और नवम्बर, 2011 में इसके ऊपर इटली में केस रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन शुरू में किसी के ध्यान में यह बात नहीं आई। फरवरी, 2012 में मामला तब सामने आया, जब सरकार ने एम्बैसी को थ्रू एम.ई.ए. लिखा। अब आप देखिए कि आपने काँट्रेक्ट कंपनी के साथ किया है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंपनी को कुछ नहीं लिखा। कंपनी को लिखने की बजाय they asked Embassy to find out.

कभी-कभी जोक में हम लोग बोलते हैं कि जब आपको कुछ करना नहीं होता है, तो आप उस समय कमेटी बना देते हैं। ...(व्यवधान)... सुनिए, सुनिए।

स्पीकर मैडम, जो मैं बोल रहा हूं, उसके पूरे डॉक्युमेंट्स मेरे पास अभी यहां हैं। एम्बेसी को लिख दिया, एम्बेसी की ओर से गवर्नमेंट को लिख दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि यह इन्वेस्टीगेशन है। इसलिए आप इन्वेस्टीगेशन के पास जाइए। जब इन्वेस्टीगेशन वालों के पास गए, तो उन्होंने कहा कि प्रिलिमिनरी चालू है, सीक्रेसी है। इसलिए क्या इन्वेस्टीगेशन चल रहा है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते हैं। यह सब चल रहा था, लेकिन कंपनी को किसी ने नहीं लिखा। ...(व्यवधान)... वह तीसरे पार्ट में बताऊंगा। ...(व्यवधान)... मगर कुछ नहीं किया। ...(व्यवधान)... सैकिंड पार्ट का अभी ए भाग चालू है। लिखते गए, लिखते गए, लेकिन कंपनी से नहीं पूछा।

महोदया, एक्चुअली, फरवरी, 2012 में ही अगर इमीडिएटली एक्शन लेते, तो शायद कुछ हो सकता था। वर्ष 2005 में डैवल नाम की साउथ अफ्रीका की कंपनी ने कुछ घोटाला किया। जब इस प्रकार की न्यूज पेपर्स में आई, तो उन्होंने उसे तीन महीने में ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसी सरकार के समय में वर्ष 2005 में उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट की सूची में डाल दिया गया था। इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले से प्रीसीडेंस नहीं है। इससे पहले सरकार ने ऐसे केसेस के बारे में कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। वर्ष 2012 में ही अगर यह डील रोक दी गई होती, तो आगे कई चीजें होती ही नहीं।

महोदया, एक तो जब आपको वर्ष 2012 में ही मालूम हो गया था, तो you should have stopped the supplies of these helicopters. Instead of that the Government did

nothing. They did not write to the company and the result was that in December 2012 three helicopters were delivered. एक्चुअली, वर्ष 2012 के दिसम्बर महीने में तीन हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए गए। In December 2012 three helicopters were delivered and were accepted by us. Now, this had further legal complications. पहला एक्शन हुआ 12 फरवरी, 2013 में। एक्शन होने का कारण क्या था, ओरसी, The Chief Executive of M/s Finmeccanica was arrested with a warrant and his house was searched. जब प्री दनिया में यह न्यूज फ्लैश हो गई, तो Within few hours our Defence Minister picked up all the files, wrote a letter to the CBI and sent it to the CBI immediately. It is an action which was compulsorily forced by an arrest of Chief Executive of Finmeccanica. अगर उन्हें अरैस्ट नहीं किया जाता, तो कुछ नहीं होता। उन्हें अरैस्ट करने के बाद एक दिन के अंदर पुरा केस सी.बी.आई. के पास चला गया और सी.बी.आई. के पास प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी होने के बाद, इस केस में 12 मार्च, 2013 को एफ.आई. आर. दर्ज हो गई। On 15th February, 2013, the first notice of stopping the deal and further payment was issued. लेकिन वे वापस उधर ही बैठ गये और आगे कुछ नहीं हुआ। There were notices being exchanged. Finally, चार ...(व्यवधान) अभी पार्ट थ्री न होकर पार्ट ट्र(ए) है। ...(व्यवधान) On 4^{th} December, 2013, the AWIL, namely, AgustaWestland International Limited issued a notice to the Ministry of Defence that they intend to appoint Justice Srikrishna as their arbitrator and they asked us to appoint our arbitrator within 30 days. The matter was sent to the learned AG. उन्होंने एडवाइज कर दिया कि जो आर्बिट्रेशन क्लॉज इसमें नहीं आता, तब भी उन्होंने जब डिमांड की, It will be in the interest that हम भी आर्बिट्रेटर एप्वाइंट करें। As per the Clause, it has to be done in 30 days. मतलब 3 जनवरी, 2014 से पहले आपको आर्बिट्रेटर एप्वाइंट करना होगा और उसके साथ या उसके पहले प्रिफरेब्ली कांट्रैक्ट टर्मिनेट करना होगा। So, it was a fait accompli situation that contract had to be terminated because of legal position on 1st January, 2014. It is again not a pro-active step. It was a forced action. तब तक कुछ नहीं किया था। ...(व्यवधान) उसके बाद termination automatically resulted into ...(व्यवधान) यह जो फोर्स्ड एक्शन हो गया, उसके साथ बैंक गारंटीज भी रिवोक करनी होगी। इसकी भी एडवाइज दी गयी थी. तो वह रिवोक हो गयी। उसमें जो परफोर्मैंस गारंटी 27.81 मिलियन

यूरो थी और वारंटी की गारंटी भी 27.81 मिलियन यूरो थी। It is five per cent each and दोनों मिलकर 10 परसेंट थी। जो कांट्रैक्ट परफोर्मैंस फेल्योर के कारण दोनों इन्कैश हो गयी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली में एक इंटीग्रिटी पैक्ट के ऊपर तीन करोड़ रुपये की गारंटी दी गयी थी, वह भी रिवोक हो गयी। लेकिन 250.32 मिलियन यूरो which were given as an advance was not allowed to be paid by Italian Court in Milan.

Now, I do not understand why the bank guarantees were enforceable in Deustche Bank in Milan and why not in India. हमारी एक क्लॉज है, सभी बैंक जो गारंटीज आती हैं, except in case of Russia and one or two cases are there where there are some technical problems, we want these bank guarantees to be encashable and counter-guaranteed by an Indian Bank. यह मिलान में गारंटी थी, लेकिन मिलान में हम जब कोर्ट में गये और हमने कोर्ट में आर्ग्यूमैंट कर दिया, उस समय ...(व्यवधान) मिलान कोर्ट में जब आर्ग्यूमैंट कर दिया, तो कोर्ट ने कहा कि दोनों गारंटी मिलकर 199.62 मिलियन यूरो आपको मिल सकते हैं। इसके ऊपर का अमाउंट 50.7 मिलियन यूरो proportionate to the three helicopters accepted by you will not be paid. यह गलत है कि हमने पूरा एडवांस रिकवर कर दिया। उसमें से 50.7 मिलियन यूरो अभी भी बैंक गारंटी के वहां अटके हुए हैं, जो कोर्ट ने एलाऊ नहीं किये। जो टोटल अमाउंट 255 मिलियन यूरो के समर्थिंग आया है, उसमें दस परसेंट परफोर्मैंस फेल्योर का है। वह यहां एडवांस के अगेन्स्ट काउंट नहीं कर सकते।

स्पीकर मैडम, यह होने के बाद भी आगे-पीछे फाइल चलती रही। फाइनली 12 मई को, टू(ए) का एंड हो जाता है, जब एक दिन में 12 पेज का नोट लगाकर The Defence Minister finally approved to keep on hold which he could have done in February, 2012. सभी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ...(व्यवधान) On 12^{th} May, 2014, the last day of the polling, eight pages note आफिसर का है।

उसके बाद सबके पास 12 तारीख को पास होकर 12 तारीख को चला गया। मुझे लगता है तब तक एग्जिट पोल भी आ गया था।...(व्यवधान) 2ए खत्म हो गया। लेकिन 2ए में एक और महत्वपूर्ण चीज है, सीबीआई ने 12 मार्च 2013 में केस दर्ज किया था, उसकी कॉपी मांगने के बावजूद दिसंबर तक एन्फोर्समेंट डायरेक्टर को भेजी नहीं गई थी। जब दिसंबर में भेजी गई, उस समय एन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने कहां डाल दी, मुझे मालूम नहीं।...(व्यवधान) Do not take it in a wrong way. अपने एनवैलप या झूर

में कहीं लॉक की होगी, जब तक एनडीए की सरकार न आ जाए, जेटली जी जब तक डिफेंस या फाइनेंस मिनिस्टर न बनें। On 3rd July, 2014 finally the Enforcement Director registered a case under the Money Laundering Act. एन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने उसके बाद कन्टीनुअस एक्शन लिया, 11 करोड़ अटैच भी किए, केस कोर्ट में मनी लांड्रिंग का डाला गया। आईडीएस के ... *और कई लोगों के खिलाफ ऑफेंस है। देश में प्रापर्टीज़ जो ... * की हैं, करीब 11 करोड़ की प्रापर्टी अटैच की गई है। उनके खिलाफ रैड कार्नर नोटिस इश्यू किया गया है, उनके खिलाफ इंटरपोल को लैटर रोगेट्री गए हैं।

अभी तक सीबीआई के पास जो डॉक्युमेंट हैं, इटालियन कोर्ट से जो डॉक्युमेंट हैं, 1 लाख 21 हजार और कुछ पेजिस हैं, मतलब 1,22,000 से कम पेपर्स आए हैं। Out of that only 42,000 and odd pages are in English. Along with those English materials around 57 pages of Hindi documents are also there. मतलब यहां से किसी ने चुरा कर दिए होंगे। अभी बाकी के डॉक्युमेंट्स ट्रांसलेट करना ईजी नहीं है। ...(व्यवधान) I also face the same problem. They are lucky. I am not. I could not get a proper translator to get them translated from Italian to English. आज तक ऑथेन्टिकेटिड ट्रांसलेशन अभी भी हमारे पास पूरा नहीं है, पार्ट है।...(व्यवधान) ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने के बाद हमने सीबीआई और ईडी को कहा है कि इसमें आप बराबर पकडो।

इसमें एक चीज ध्यान में आती है कि अगस्टा वैस्टलैंड को आर्डर देने के लिए सब चीजें की गई, इसकी एस्टीमेटिड जेनुअन कॉस्ट से ट्वाइस रेट से ज्यादा में उनको कांट्रेक्ट दिया गया। इसके लिए जो कुछ रिलैक्स करना था, वह किया गया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्यों शोर कर रहे हैं? किसी का नाम नहीं लिया है।

...(व्यवधान)

श्री मनोहर परिकर: जब यह चोरी ध्यान में आ गई,...(व्यवधान) उस समय उस कंपनी के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं की, जब तक it was made almost compulsory by circumstances that you act. Then only action was taken, whereas this Government has already initiated the action. We have already taken action.

में गारंटी देता हूं, The investigations which are being held against some people now are very small people. हिंदी में कहावत है - बहती गंगा में हाथ धो लेना।... * हो या ... * हो,

-

^{*} Not recorded.

इन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया है। बहती गंगा कहां जा रही है, इसे ढूंढने के लिए ही मैंने ईडी को यह बताया। ...(व्यवधान) वह कहां जा रही है, यह उस दिन राज्य सभा में स्पष्ट हो गया। मराठी में कहा जाता है, जो अकु खातो, इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अरबी का पत्ता होता है।

श्री मनोहर पर्रिकर: आप ट्रांसलेट कीजिए। मराठी में कहते हैं कि जो अकु की भाजी खाता है उसका ही गला खुजता है। ...(व्यवधान)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अदु को हिंदी में अरबी कहते हैं। अरबी का पत्ता होता है।

...(व्यवधान)

श्री मनोहर परिकर: महोदया, किसके गले में खुजली हो रही है, वह समझ गया है। मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया है और किसी का नाम नहीं लिया है।...(व्यवधान) मैंने हर एक डेट के साथ, फिगर के साथ जो कहा है, वह आपके रिकार्ड में लिखा हुआ है।...(व्यवधान) I have not referred to them but I can vouch on the figures without even referring to the papers. It is our endeavour that we will take action....(व्यवधान) Put them on hold. Defence Ministry is initiating procedure to blacklist them. ब्लैक लिस्ट करने के बाद अगर मैं ऐसा स्लोगन दे रहा हूं तो इन्हें चिंता करने की क्या जरूरत है।...(व्यवधान) "बहती गंगा में हाथ धोना" इस स्लोगन से इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनमें चिंता क्यों पैदा हुई है, क्योंकि इन्हें पता है कि इस स्लोगन का क्या मतलब है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर(हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, जिस तरह से रक्षा मंत्री जी ने अपनी बात रखी है, मैं समझता हूं कि देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। मैं जिस राज्य से आता हूं, उसे वीरभूमि भी कहा जाता है, जो वीरों की वीरता और बलिदान के लिए पूरे देश में जानी जाती है।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, आप बैठ जाएं। किसी मुद्दे को रेज़ करने के बाद दोबारा उस पर बोलना होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाएं, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह टाकुर: महोदया, ऐसा लग रहा है कि प्रोसिक्यूटर के बाद एक्यूज्ड को बुलाना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया, आपके कहने पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ ज्यादा मत कहिए, केवल अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया, जिस तरह रक्षा मंत्री जी ने अपनी बात रखी है उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। मैं जिस राज्य से आता हूं वह वीरभूमि के नाम से जानी जाती है और जिसे वीरों की वीरता के लिए और बलिदान के लिए जाना जाता है। चाहे वर्ष 1962, 1965, 1971 का युद्ध हो या कारिगल की लड़ाई हो, हिमाचल के लोगों ने अपनी वीरता दिखाई है। कारिगल की लड़ाई में चार परमवीर चक्र मिले तो उनमें से दो परमवीर चक्र हिमाचल के नौजवानों को मिले। जहां एक ओर वीरों की बलिदान की गाथा है वहीं दूसरी तरफ त्यागी और त्याग की देवी की घूस की गाथा की बात आती है। किसने घूस खाई, कितनी खाई, किस मामले में खाई और यह केवल... *तक रुक गई या उसके आगे भी गई।...(व्यवधान)

महोदया, इतना ही नहीं, इसमें जिस तरह से आफिसर, सैन्यकर्मी, राजनीतिज्ञ, मीडिया के लोग शामिल हैं, इसमें केवल पैसा का लालच ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को किस तरह से भ्रष्ट बनाया गया, यह भी देखने को मिलता है। यह स्पष्ट तौर से दिखता है कि पिछली यूपीए की सरकार ने किस तरह से पूरी व्यवस्था को खराब किया। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पता चलता है कि व्यक्तिगत हितों के लिए राष्ट्रीय हित को बलिदान किया तो पिछली यूपीए सरकार ने किया है। देश में वीवीआईपीज़ के लिए हैलीकाप्टर्स खरीदे जाने थे, उसमें भ्रष्टाचार बढ़चढ़ कर किया और इतना ही नहीं इनका नारा है खाओ और खाने दौं लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से ऐसा हो रहा है कि न खाएंगे और न खाने देंगे और एक ईमानदार व्यक्ति रक्षा मंत्री बनकर यहां आए हैं। यह पहली बार नहीं है कि रक्षा घोटाले में कांग्रेस का या यूपीए सरकार का नाम आया हो।...(व्यवधान) चाहे वर्ष 2012 में टाटा ट्रक्स स्कैम की, नेवल वार रूम की, स्कोर्पियन सब-मरीन की बात हो, बोफोर्स कांड हो, उससे पहले सब-मरीन डील की बात हो, जितने भी डिफेन्स स्कैम की बात हो, उनमें कांग्रेस की पिछली सरकारों को देखेंगे तो अपने आप में स्पष्टट रूप से

^{*} Not recorded.

नज़र आएगा कि इनका किस तरह से उसमें हाथ रहा है। किस तरह से इनके अपने लोग थे और केवल कौन लोग थे, जो पूर्व में कांग्रेस के सांसद रहे, मंत्री रहे, उनके परिवार के लोग उन डिफेन्स डील्स के साथ जुड़े रहे या उनकी क्या भूमिका रही है, इसे देश ने आज तक जाना है। पूर्व सांसदों का बेटा हो या एक पूर्व मंत्री हो, जो कोल स्कैम में भी था, उसके परिवार के लोगों को आईडीएस इंफोटेक में किस तरह से पैसा पहुंचा, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आज पूरे देश का मीडिया इसे बता रहा है।

क्या कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ बता पा रही है कि किस तरह से, who are the people behind it? Why was favouritism and protectionism given to Agusta Westland? किस तरह से अनुकूल परिस्थितियाँ बनायी गयीं और संरक्षण दिया गया एक कंपनी को, टेंडर लेने के लिए। यह स्पष्ट तौर पर दिखता है, जिस तरह से रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर पहले यूरोकॉप्टर- ईसी 225, छः हजार मीटर तक उड़ने के लिए क्वालीफाई करता था, तो 4500 मीटर तक इसलिए तय किया गया ताकि ज्यादा कंपनीज इसमें भाग ले सके, दाम भी कम हो और ज्यादा कंपीटिटिव बिडिंग होगी तो उससे देश को लाभ मिलेगा। लेकिन सारी कंपनीज़ को दर-किनार करके केवल केबिन की हाइट बढ़ाने के चक्कर में, उसकी हाइट 1.8 मीटर करके अपने घूस के दाम भी बढ़ाने का काम किया तो साथ के साथ आप लोग वह भी करते चले गये। ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि अभी भी कहीं न कहीं जानकारी का अभाव है। माननीय अध्यक्ष : अनुराग जी, डिफेन्स मिनिस्टर ने स्पीकर को संबोधित करते हुए अपनी सारी बातें कही हैं। इसलिए आप भी उसी को फॉलो कीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं रक्षा मंत्री जी से केवल इतना पूछना चाहूंगा कि आखिरकार हाईट 1.8 मीटर क्यों की गयी? क्या दुनिया भर में हाईट 1.8 मीटर ही चलत है या 1.45 मीटर से भी काम चलता है? आपके समय में कौन-से इतने लम्बे वीवीआईपी थे, जिनके लिए हाईट 1.8 मीटर करनी पड़ी, जिसके कारण घूस के दाम बढ़ाने पड़े? मेरा पहला प्रश्न यह है।

जिस प्रकार से, स्पष्ट तौर पर कहा गया कि सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को ब्रॉड बेस्ड रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज उसमें भाग ले सके। Then, why SQRs were made so restrictive which narrowed down the choices to limited range of helicopters? यह कारण है कि ये किस प्रकार से फेवरिटिज्म की तरफ आगे बढ़े, किस तरह से इटली की कंपनी को, पता नहीं इटली के साथ इनका कैसा प्यार है कि वहाँ की कंपनी को एक बहुत बड़ा लाभ दिया गया। ...(व्यवधान) क्यों डिलीट किया जाए, ऐसा क्या है इटली में, जो डिलीट किया जाए।

टैक्नीकल इवैलुएशन का टाइम फ्रेम चार महीने का था, लेकिन उसमें भी दस महीने लगा दिये। जिस तरह से ये लगातार आगे बढे हैं और जिस प्रकार से रक्षा मंत्री जी ने कहा कि इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने आरएफपी डाक्युमेंट खरीदा। यूपीए सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनैशनल लिमिटेड युके की कंपनी को ठेका दे दिया? बार-बार इटली के कोटर्स में ब्रिटिश हाई-कमीशनर की बात आती है कि उनको बातचीत करने के लिए कहा गया, तो क्या इससे स्पष्ट तौर पर संकेत नहीं मिलते हैं कि कौन-कौन लोग उसमें जुड़े हुए थे, किस तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया गया, किस तरह से ... *से बात करने के लिए उस समय के इटली के ... * को कहा जाता है। आखिरकार, इसमें कौन-कौन लोग इंवोल्व थे, ये सारी बातें देश के सामने और विस्तार से रखनी चाहिए। यदि वह कंपनी ऑरिजनल इक्वीपमेंट मैनयूफैक्चरर नहीं थी, तो आप लोगों ने उनको क्यों ठेका दिया? आप लोगों की क्या मजबूरी थी कि एडब्ल्यूआईएल, यूके को आपको ठेका देना पड़ा? सारी कंपनीज को दर-किनार करके उस कंपनी को ठेका दिया गया, जिसने न आरएफपी डाक्युमेंट खरीदा और जो दूसरे देश में कंपनी है, जिसने बैंक गारंटी भी हिन्दुस्तान में देने की बजाए मिलान में जाकर दिया। ऐसी क्या मजबूरी उस समय कांग्रेस पार्टी की रही, उस समय की सरकार की रही कि पैरा 75 के अंतर्गत जितनी छूट देनी थी, सारी छूट देकर उस कंपनी को ठेका दिया गया? क्या इसमें स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार की बू नहीं आती? इसी कंपनी के ऊपर ...(व्यवधान) बहुत सारे टीवी चैनल्स ने दिखाया है कि अगस्ता वेस्टलैंड ने हिन्दुस्तान के सीक्रेट डाक्यूमेंट्स विदेश तक कैसे पहुंचाए? ऐसे कौन लोग पिछली सरकार में थे, जो देश के सुरक्षा दस्तावेज देकर देश के साथ गद्दारी कर रहे थे? घूसखोरी एक तरफ है, लेकिन देश के साथ गद्दारी दूसरी ओर है, आप वहां पर भी पीछे नहीं रहे।

यही नहीं, जो फील्ड इवैलूएशन टेस्ट है, अगर वह देश के अंदर होना था, उसमें भी कहा गया कि जो "नो कॉस्ट-नो किमटमेंट" बेसिस पर सारा खर्च उन कंपनीज को करना था तो इनकी सरकार को क्या तकलीफ थी? जो टेस्ट छः से 12 महीने के लिए होना था, उसे कम करके फील्ड इवैल्यूएशन टेस्ट केवल दो महीने क्यों कराया गया? छः से 12 महीने तक के इवैल्यूएशन टेस्ट को केवल दो महीने क्यों कराया गया और इसे विदेश में क्यों कराया गया? आखिरकार यहां की परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होना था। अगर उसे यहां गर्म मौसम में उड़ना था तो वह विदेश की परिस्थितियों में, ठण्डे मौसम में कैसे सही पता चलता? किस उंचाई पर उड़ना था, क्या दो महीने के लिए जो अधिकारी यहां से गए, उन्होंने सही मायने में जाकर उसका टेस्ट कर भी पाए या फिर वे घूमने-फिरने के टूर के लिए गए थे? यहां पर जो

-

^{*} Not recorded.

तीन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल के लिए आए, यहां पर रिपोर्ट में कहा गया कि ये हेलीकॉप्टर उस उंचाई पर उड़ने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह भी स्पष्ट तौर पर एक प्रश्नचिह्न खड़ा करता है कि किस तरह से उस समय की सरकार ने पैरा 75 का दुरूपयोग किया। ऐसा बार-बार क्यों किया गया, इसका भी मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूं।

इसी तरह से सिंगल वेडर की बात आई, जब मंत्री जी ने कहा कि एस92 सरकोज़ी के जो हेलीकॉप्टर थे, वे भी चार पैरामीटर्स पर फेल हुए और जो एडब्ल्यू101 हेलीकॉप्टर है, यह दो पैरामीटर्स पर फेल हुआ तो केवल एक कंपनी को ही पैरा 75 के अंतर्गत रियायत क्यों दी गयी? आखिरकार यह चीज कहीं न कहीं यह संकेत देती है कि आप पहले दिन से चाहते थे कि हम एक ही कंपनी को सारी सुविधाएं दें, किसी न किसी तरह से वह कंपनी क्वालीफाई करे और हम उसका सामान खरीद सकें। मंत्री जी ने बताया कि जनवरी, 2006 में 793 करोड़ रुपये कोट किए गए और सितम्बर, 2008 तक आते-आते उसकी कीमत 4,870 करोड़ रुपये दिखा दी गयी, जो छः गुना ज्यादा है। उस पर इन्होंने एक कांट्रैक्ट निगोशिएशन कमेटी बैठाई। क्या यह कांट्रैक्ट निगोशिएशन कमेटी थी या कमीशन निगोशिएशन कमेटी थी? आप क्या निगोशिएट कर रहे थे? कमीशन? आपको इसका उत्तर देना होगा कि आप उस समय तक क्या करते रहे? क्यों इसे इतना ज्यादा रखा गया? अगर 3966 करोड़ रुपये में अगस्ता वेस्टलैंड ने अपना प्राइस कोट किया तो आप लोगों ने इसे ज्यादा क्यों रखा?

जो लोग इसमें इनवाल्ख्ड थे, उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने उस समय क्या किया? चाहे उस समय के एसपीजी चीफ थे, एनएसए थे या उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी थे, आज वे लोग ऐसे कांस्टीट्यूशनल पदों पर बैठे हैं कि उनको इन लोगों ने इम्यूनिटी तक प्रदान कर दी तािक उनसे कोई पूछताछ न हो पाए। जब यह जांच चल रही थी, उस समय आपके ही लॉ मिनिस्टर ने यह कहा कि उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, उनसे जांच न की जाए। जब यह बात दुनिया भर में स्पष्ट हो गयी कि घूस दी गयी और घूस ली भी गयी तो घूस देने वाले तो जेल में हैं, तो फिर घूस लेने वाले खुले तौर पर क्यों घूम रहे हैं?...(व्यवधान) इसका जवाब आप लोगों को भी देना होगा क्योंकि दो साल आपके पास थे। यह घटना वर्ष 2011 में बाहर आ गयी तो उसी समय आपने वह डील कैंसिल क्यों नहीं की? ...(व्यवधान) यह प्रश्न इस पर खड़ा होता है कि इन्होंने दो साल का लम्बा समय क्यों दिया? दो सालों में ये क्या तय कर रहे थे? डिप्लोमैटिक चैनल के माध्यम से तीन-तीन बार इन्होंने सम्पर्क करने का प्रयास किया। वह प्रयास केवल इसलिए किया गया कि समय लिया जाए और उन दो सालों कहीं इटली की कोर्ट से राहत मिल पाए और इनके नेताओं एवं बाकी अधिकारियों पर बात न आ पाए और घूस की बात बाहर न आए। क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रयास किया? क्या इसीलिए इन सभी लोगों को इम्यूनिटी दी गयी, आज कोई गवर्नर है, कोई

सीएएंडजी के पद पर है तो उससे पूछताछ न की जाए। मैं रक्षामंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस जांच को कितनी तेजी के साथ बढ़ाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी भी यह मानती है कि पूर्व के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है,...(व्यवधान) इनके पूर्व के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हां, इसमें पैसा लिया गया, इसमें भ्रष्टाचार हुआ।

13.00 hours

अगर भ्रष्टाचार हुआ तो हम कहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस जांच का विरोध क्यों करती है? जब भी इसकी बात की जाती है तो वे इसके खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं?...(व्यवधान) यही नहीं जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि नवम्बर, 2012 में यह लक्षण बाहर आ गए थे और इटली में तो पता चल गया था कि इस केस में भ्रष्टाचार हुआ है, आपको दो साल तक किसने रोक कर रखा था? इस बात का भी जवाब देना होगा कि क्यों उसमें केवल वर्ष 2006 तक की जानकारियां दी गयीं, जबिक पैसा वर्ष 2012 तक जाता रहा। इटली के कोर्ट ने भी कहा कि अगर पैसा वर्ष 2012 तक दिया गया तो पूर्व की सरकार ने एक-एक साल विलम्ब करके केवल वे लिमिटेड डाक्युमेंटस क्यों दिए जो पब्लिक डोमेन में पहले से ही अवलेबल थे और बाकी जो डॉक्युमेंट्स थे वे नहीं क्यों नहीं दिए? इस जांच को क्यों रोका गया? सीबीआई नौ महीने तक रोक कर रखती है और ईडी को जांच आगे बढाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं देती है। आगे ईडी भी आठ महीने तक काम नहीं करती है तो क्यों रोका गया? जहां एआईआर-2 में कागज रखे गए, वहां आग क्यों लगती है? बाकी कहीं आग नहीं लगती है, लेकिन जहां ये दस्तावेज रखे गए वहां आग लग जाती है। पूरे सबूत मिटाने का प्रयास किया जाता है। दो साल तक कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन 12 मई को एक दिन में, कृपया मंत्री जी इसको बताएं कि पांच दफ्तरों में यह फाइल कैसे पहुंच जाती है, जबकि दो साल में कोई कदम नहीं उठाया जाता है। ऐसी क्या मजबूरी बन गयी थी? क्योंकि चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे और देश में यह पता चल गया था कि अब तो मोदी जी की सरकार आने वाली है। आज तो आपने औपचारिक तौर पर जेल की गिरफ्तारी दी है, लेकिन जैसे-जैसे इसकी जांच आगे बढ़ेगी, भ्रष्ट लोगों को जेल में जाना ही पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष : आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अनुराग सिंह टाकुर: महोदया, मैं केवल दो बात करके अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

महोदया, अभी हाल ही में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, एक मिडिल मैन ... *दुबई में रहते हैं, वह उनसे मिलने गए। क्या केन्द्र सरकार की जानकारी में यह है? क्या वह वहां जाकर उनसे मिले थे? उनकी

-

^{*} Not recorded.

उनसे क्या बातचीत हुई? कितने लम्बे समय तक उनकी बातचीत होती रही? जजमेंट में बार-बार एक नाम आता है...(व्यवधान) चार बार उनका नाम आया।...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : आप नाम बताइए।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ढाकुर: मुझे लगता है कि आपको अपने लोगों से नाम पूछ लेना चाहिए...(व्यवधान)

मैडम, उसमें जो दस्तावेज, जो आज सारे टीवी चेनल्स पर देखने को मिल रहे हैं कि किन-किन लोगों को पैसा दिया गया, कौन-कौन अधिकारी थे, कौन-कौन से पॉलीटिकल लोग थे, कौन-सी फैमिली थी...(व्यवधान) किस की फैमिली का नाम बार-बार आता है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। कौन फैमिली थी, यह जानकारी देश को चाहिए...(व्यवधान) इसके बाद कहा गया कि तीस-तीस मिलियन किसको दिया गया?...(व्यवधान) इस पर भी जानकारी दीजिए।

मैडम, एक नाम चार बार कोर्ट में आया है। ए.पी. भी आया है। एक और बड़ा नाम भी आया है। वह बड़ा है या छोटा है...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : आप नाम लेने से डर क्यों रहे हैं? डर किस बात का है, नाम ले लीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, यह क्या है? यह कोई तरीका है? No, this is not fair. I am sorry to say this.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Anuragh Singh ji, you please conclude now.

... (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आप जब पर्सनली अटैक करते हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई पर्सनली अटैक नहीं कर रहा है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए, आप केस के ऊपर जाइए और केस में क्या है, वह बोलिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: लेकिन इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जून खड़गे: आप इसकी बजाय इंडीविज्अल अटैक कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप क्यों इंडिविज्अल ले रहे हैं? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उन्होंने कहा है...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Khargeji, nobody has taken any name. Now, please sit down.

... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उन्होंने नाम लिया है, वह पार्टी का नाम लेते जा रहे हैं...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. Anurag Thakur, have you completed now?

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह टाकुर: मैडम, वह कुछ बोल रहे थे, इसलिए मैं रुक गया।

HON. SPEAKER: I am sorry. Nobody has taken any name.

... (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष महोदया, जिस व्यक्ति का नाम चार बार उस रिपोर्ट में आया है, अगर उससे इतनी पीड़ा कांग्रेस पार्टी को है और विशेष तौर पर हमारे वरिष्ठ नेता खड़गे जी को है तो मैं नहीं चाहता, मैं खड़गे जी का बड़ा सम्मान करता हूं, वह समझ गये किसकी बात हो रही है।

HON. SPEAKER: Mr. Anurag Thakur, please conclude, now.

... (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं और बगैर किसी का नाम लिये अगर इतनी पीड़ा है, अगर नाम आ जाए तो न जाने कितनी पीड़ा हो जायेगी। इसलिए हम यह चाहते हैं कि अगर हमारे रक्षा मंत्री जी ने किसी के ऊपर तथ्यों के अलावा कोई आरोप नहीं लगाया तो इसकी बधाई मैं रक्षा मंत्री जी को देता हूं। हमने न ही कोई आरोप-प्रत्यारोप करने की बात कही। लेकिन अगर देश की गूढ़ कमाई का पैसा भ्रटाचार में, घूस में इटली की कंपनी को तय किया जाता है, उसमें कर दिया जाता है और उस पर आप रोकते हैं कि उसे उठाया भी न जाए तो उसमें स्पष्ट नजर आता है कि उसमें कौन लोग संलिप्त थे। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हर कोई जानता है कि उस समय के डिफैंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को अगर यह ईमानदार कहते हैं तो उन ईमानदार व्यक्तियों से गलत काम किसने कराया, उस समय सरकार कौन चलाता था, यह देश में किसी से छिपा नहीं है, यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार बार जिनका नाम लिया गया है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि...

HON. SPEAKER: It is high time now that you conclude.

... (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, मैंने दो बातें बोलने के कहा था, मेरी पहली बात खत्म नहीं होने दी, खड़गे जी बीच में बार-बार खड़े हो गये। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, please conclude.

... (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मुझे लगा था कि आज धरना देकर आए हैं, इसलिए थोड़ी शांति होगी, लेकिन आज फिर शोर मचा रहे हैं।

मैडम, क्योंकि जिनका नाम चार बार आया है, कोर्ट में जिन-जिन लोगों के नाम आए, क्या उन लोगों के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी, जिन्होंने घूस खाई या इस डील को करवाने के लिए उन्होंने जितनी मदद अगस्ता वेस्टलैंड की की, उसके ऊपर उचित कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए।

इसके अलावा पिलाटस एयरक्राफ्ट, जिसके 75 एयरक्राफ्ट 2012 में खरीदे गये। चार हजार करोड़ रुपये की खरीद 2012 में की गई। इस खरीद में कौन लोग शामिल थे, क्या उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ और किस परिवार का नाम उस भ्रष्टाचार के मामले में आता है? 75 पिलाटस एयरक्राफ्ट खरीदे गये, उसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, क्या इसकी जानकारी भी मंत्री जी देंगे?

अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो जानकारी मंत्री जी ने देश के सामने रखी है, उसमें काफी जानकारी देश के सामने आई है कि किस तरह से अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड यू.के. को, जिसके पास आरएफपी डाकूमैन्ट भी नहीं था, उसे आउट ऑफ दि वे जाकर, फेवरेटिज्म करके, संरक्षण देकर जिस तरह से कांट्रैक्ट दिया गया, यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि उसमें घूस खाई गई और जिन लोगों का नाम इटली की कोर्ट में आया है, हमें केवल वहीं तक सीमित न रहकर इसकी जड़ तक जाकर हर दोषी को जेल में पहुंचाना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, माननीय रक्षा मंत्री ने जो बातें कहीं और जो बातें श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहीं मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मैं दो साल से पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का सदस्य हूं...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Khargeji, according to the list, I am calling the Members to speak.

... (Interruptions)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: आप सिर्फ उधर बोलने का मौका दे रही हैं, इधर मौका नहीं दे रही हैं।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: मेरी समझ में नहीं आता कि 197 के बारे में आप जानते हो।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am going as per the list. यह मेरे द्वारा नहीं बनाई गई।

... (Interruptions)

श्री निशिकान्त दुवे: दो साल से पीएसी में जब भी सीएजी की रिपोर्ट आती है...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You know better.

श्री अनुराग सिंह टाकुर: मुझे हमेशा लगता है कि सीएजी का जो नामकरण है, वह बदल देना चाहिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सारी बातें जानते हो।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे : उसका नाम... *कर देना चाहिए। इसकी जो किताब है, वह ... * हो जानी चाहिए और जब भी हम लोगों के सामने वह रिपोर्ट आती है तो सीएजी के बदले हमें लगता है कि वह कांग्रेस आ गई, वह रिपोर्ट पढ़कर लगता है कि कांग्रेस आ गई।

वह रिपोर्ट पढ़ कर लगता है कि कांग्रेस आ गई। संजय बारू की एक किताब है - The Accidental Prime Minister. यदि इसको हम देखेंगे, जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, वह स्टेटमेंट साफ दिखाता है कि जो संजय बारू साहब ने लिखा, उस वक्त के पी.एम.ओ. में ये सारी चीज़ें उसी का पार्ट थीं। मुझे आपके माध्यम से तीन-चार बातें रखनी हैं, जो बातें रक्षा मंत्री जी ने कही हैं। एक जो सबसे पहला सवाल कहा कि 1.8 और 1.5, इसमें सदन को जान लेने वाली बात है कि यह बात सत्य है कि सन् 2003 में उस वक्त के पीएमओ के प्रिंसिपल सैक्रेट्री ने, जिनको हमने पद्म विभूषण नहीं दिया, पद्म विभूषण किसलिए दिया, यह अब पता चलता है कि कांग्रेस ने उनको क्यों पद्म विभूषण दिया। उन्होंने कहा कि 1.8 ऑप्शनल होगा। यदि अंग्रेजी की भाषा ठीक-ठाक समझ में आती है, महताब साहब यदि बताएंगे ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, पॉइंट ऑफ आर्डर है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निशिकांत जी आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे : 1.8 उन्होंने ऑप्शनल कहा। लेकिन जब सन् 2005 में इनके जो नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि यह मैंडेट्री है। ऑप्शनल और मैंडेट्री का फर्क यदि कांग्रेस

^{*} Not recorded.

समझ जाएगी तो मुझे लगता है कि इसका स्कैम पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि जो नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, मैं आपको बताऊं कि कई एक पात्र आए हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जस्टिस श्रीकृष्णा को उन्होंने आर्बिट्रेटर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस कृष्णा आर्बिट्रेटर होंगे। ... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, पॉइंट ऑफ आर्डर है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: No point of order in rule 197

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे: उसी जस्टिस श्रीकृष्णा को आंध्र प्रदेश को कैसे डिवाइड करना है, उस कमेटी का अध्यक्ष. बना दिया। FSLRC का अध्यक्ष बना दिया।

माननीय अध्यक्ष: किस बात का पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, रूल बताइए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Show me the rule.

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, रूल नंबर 353 है।

माननीय अध्यक्ष: रूल नंबर 353। बताइए क्या है?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Procedure regarding allegation against any person - no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any member unless the member has given adequate advance notice to the Speaker. इन्होंने सीएजी के बोर में कहा। That should be stock of the record.

HON. SPEAKER: He has not made any allegation.

श्री निशिकान्त दुवे: मेरे पास सीएजी की रिपोर्ट है, इसका पेज नंबर - 9 और 26 पढ़ लीजिए कि पहले हमारे समय में यह ऑप्शनल था और आपने इसको मैंडेट्री किया था। मैंने कोई भी एलिगेशन बिना किताब को देखे नहीं किया। ...(व्यवधान) मैं सांसद हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। ...(व्यवधान) दूसरा सवाल यह है कि आठ हैलिकॉप्टर लेना थे, उनको 12 कर दिया। मेरा दूसरा सवाल यह है, जो मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है। ...(व्यवधान) इसमें जो सीएजी कह रही है, पेज नंबर - 26 में, वह कह रही है कि उस वक्त के एस.पी.जी. के चेयरमैन के कहने पर ये सारी चीज़ें उन्होंने आठ से 12 हैलिकॉप्टर की हैं। वह जो एस.पी.जी. का जो हैड था, वह मैडम के साथ बहुत वर्षों से था। सन 2004 में उसको दो

साल के लिए एस.पी.जी. का हैड बनाया गया था। क्या ऐसा कारण था, उस अधिकारी में कि सन् 2004 से ले कर 2011 तक सात साल तक वह एस.पी.जी. का हैड रहा और जब वह रिटायर हो गया तो सन् 2012 में उसको राज्यपाल बना दिया। क्या इससे इससे करप्शन की बू नहीं आती है? ...(व्यवधान) तीसरा सवाल यह है कि जो मंत्री महोदय ने कहा कि सी.बी.आई. को केस जाने के बाद भी सी.बी.आई. ने उसको रिजस्टर नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इस सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने किस आधार पर ... *को सी.बी.आई. का डायरेक्टर बनाया? ...(व्यवधान) मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ। ...(व्यवधान) उन्होंने इस केस को रिजस्टर नहीं किया। मैं आपको बड़े ऑथेंटिकेट तरीके से कहता हूँ कि उसकी रिटायरमेंट के बाद ये लोग उसको नैशन ह्युमन राइट्स कमीशन का सदस्य बनाना चाहते थे। नैशनल ह्युमन राइट्स कमीशन की मैंबरशिप में सुषमा स्वराज उसकी सदस्य हुआ करती थीं। उनके पास वे गए थे, मैंबर बनने के लिए, जिन्होंने कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को फंसाने का प्रयास किया और जब सुषमा स्वराज जी ने कह दिया कि मैं उस कमेटी में आपके काग़ज़ पर लिखने वाली हूँ कि you are the most corrupt person. सुषमा स्वराज जी की बात सही साबित हुई कि अभी जो सी.बी.आई. का केस चल रहा है, उसमें करप्शन का 700-800 करोड़ रूपये का केस चल रहा है। उन्होंने किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की और जब वह नैशनल ह्युमन राइट्स कमीशन का सदस्य नहीं बना पाए तो उनको उन्होंने यू.पी.एस.सी. का मैंबर बना दिया। क्या इससे करप्शन की बू नहीं आती है?...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जिस ई.डी. ने इस केस को रिजस्टर नहीं किया, जिस ई.डी ने इसको चाहा कि पहले फेमा में केस हो जाए और पीएमएलए का केस रिजस्टर के लिए 9 महीने का वक्त लगाया, क्या उस ई.डी. का सम्बन्ध ...*

HON. SPEAKER: No names will go on record.

श्री निशिकान्त दुवे : इन्होंने इस तरह से इस ई.डी. को, सीबीआई को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, सभी को इस केस के लिए जिस तरह से आब्लाइज करने का प्रयास किया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Madam, I have a point of order.... (*Interruptions*)

_

^{*} Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: मैंने नाम डिलीट करवा दिए हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, please conclude.

श्री निशिकान्त दुवे : इसके बाद मैं इटेलियन कोर्ट की बात करता हूँ।...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुडुडा: महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे: मैं आपको बताऊँ, यह इटेलियन कोर्ट का जजमेंट है।...(व्यवधान) इटेलियन कोर्ट का जजमेंट पेज नम्बर 193 पर है।...(व्यवधान) उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात कर रहा है।...(व्यवधान) पेज नम्बर 193 में और 204 पर है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए और बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे: पेज 163 और 164 में वह प्रधान मंत्री की बात कर रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे: पेज नम्बर 9 में वह ... *की बात कर रहा है।...(व्यवधान) आपको अफसोस होता है या नहीं होता है, हमें होता है कि हमारे देश के नागरिक का नाम इटेलियन कोर्ट में जा रहा है।...(व्यवधान) में यह कह रहा हूँ कि यह इटेलियन कोर्ट का जजमेंट है।...(व्यवधान) ये यह कह रहा है कि "Break up of bribe of Forces' officers, break up of bribe of bureaucrats or bribes paid to politicians." मैं यह कह रहा हूँ कि यह एयरफोर्स के आदमी का, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियन का रिलेशन है या नहीं है।...(व्यवधान) मैं केवल अंत में यह कहना चाहूँगा कि जो केस चल रहा है, एन्फोर्सेंट में जो केस चल रहा है, यह कम्पनियों का एक चार्ट है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि यह चार्ट है "Total payment of Euro 70' इसमें ... * को दिया गया, इसके बाद ... * को दिया गया, यह मैं ऑफिशियल कागज आपको कोट कर रहा हूँ। इसके बाद ... * को किया गया।...(व्यवधान) इसके बाद जो वेब कम्पनी बनाई गई, इसके बाद यह ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड, दुबई को दिया गया, जिस दुबई की बात कही कि दुबई में मिलने के लिए गए थे। इसके बाद दूसरा जो है 18.2 मिलियन, मैं इस कागज को ऑफिशियली ऑथेन्टिकेट करूँगा कि ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड, दुबई को दिया गया, इसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड ने ये एसपीए और आईडीएस, जो आपको बता दूँ कि 30 परसेंट एक क्लॉज होता है,

^{*} Not recorded.

ऑफसेट क्लॉज होता है कि यदि आप कहीं से कोई इक्विपमेंट लेंगे तो 30 परसेंट आपको इस देश में बनाना पड़ेगा। उस ऑफसेट क्लॉज का इस आईडीएस में वायलेशन किया गया, सीएजी ने इस बात को लिखा है, उसके लिए कौन सी जाँच है। ये सारी जो कम्पनियाँ हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि गौतम खेतान साहब का जो स्टेटमेंट है। मैं स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूँ।

"...*admitted that in 2009 on the request of ... * and ... * incorporated M/s Incrust Infotech Solution Private Limited with initial paid-up capital of Rs.1 lakh for taking over the IT Division from IDS, Chandigarh." जिसके माध्यम से यह सारा पेमेंट किया गया है। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि ... * को यदि आपने अरेस्ट कर लिया तो जिन लोगों को यह पेमेंट किया है, ये डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउन्ट हैं, यह बैंक अकाउन्ट किसका है। अकाउन्ट नम्बर 7358440 जो मॉरिशस का अकाउन्ट है, अकाउन्ट नम्बर 310001282 जो स्टेलर मॉरिशस का है। अकाउन्ट नम्बर 73528661 जो मॉरिशस का है, ये सारे अकाउन्ट किसके हैं, किसको यह पेमेंट हुआ है।...(व्यवधान)

इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ग्लोबल सर्विसेज दुबई लिमिटेड लिया गया, ... * ने टू इंडियन सिटिजन के साथ ... * और ... * ये लोग कौन हैं, किसके साथ ... * ने यह अकाउन्ट बनाया। उसमें से 6,56,872 जो है, वह मीडिया एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। इस मीडिया एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड का मालिक कौन है? ग्लोबल सर्विसेज को 663 लाख दिया गया। इसके बाद इन्होंने बनाया, ... * और ... * ने अट्रोमैट्रिक्स इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके साथ उसने ट्यूनिशिया के साथ वर्ष 2004 में एग्रीमेंट किया था। इसके बाद जो पेमेंट हुआ है, वह पेमेंट गोल्डन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। वे कौन लोग हैं?

इसके अलावा जो मंत्री महोदय आपने कहा, मेरा यह कहना है कि वर्ष 2011 से केस था और यह केस वर्ष 2012 में यदि समाप्त हो जाता तो हो जाता। आपने जो बात की है कि बैन किया गया, मेरे पास जो जानकारी है कि जब यह हेलिकॉप्टर अपने पास आ गया, यह बहुत सीरियस बात है, जब अपने पास यह हेलिकॉप्टर आ गया। प्रधान मंत्री साहब को जब पोखरन जाना था तो कहा गया कि यह हैलीकॉप्टर उड़ पाने की स्थिति में नहीं है जिसकी टैस्टिंग के लिए कहा गया, और 12 फरवरी 2013 को जबिक ओरसी पकड़ा गया इटली में, उसी दिन ...* एक एयरफोर्स का अधिकारी है, वह लिखता है कि जो पैरामीटर्स फैक्टर किए गए थे इस हैलीकॉप्टर के लिए, यह उसके लिए यूज़फुल नहीं है।

-

^{*} Not recorded.

में यह कह रहा हूँ कि यह कोई इटालियन कोर्ट के कारण नहीं किया गया। जब हमारे अधिकारियों ने यह बात कही कि हैलीकॉप्टर नहीं हो सकता है तो यह उन्होंने टैस्टिंग के लिए लिखा और टैस्टिंग के लिए डेट है 12 फरवरी, 2013 को कहा गया कि एम.आई. 17 की तरह ए.डब्लू. 101 है, यह सही बात है या नहीं है? इसके बाद 15 फरवरी, 2013 को इसकी क्लियरैन्स को रोक दिया गया और यह डेट जब आगे बढी तो 15 मार्च, 2013 को यह कहा गया कि अगस्ता वेस्टलैन्ड उड़ पाने की स्थिति में नहीं है। क्या इसके आधार पर एफ.आई.आर. हुआ? दुसरा सवाल यह है कि अगस्ता वेस्टलैन्ड के पहले यह कंपनी वेस्टलैंड थी या नहीं थी? उसने ब्रिटिश एग्रीमैंट के साथ पवनहंस को 22 हैलीकॉप्टर दिये थे या नहीं दिये थे, 21 हैलीकॉप्टर दिये थे या नहीं दिये थे। वे 21 हैलीकॉप्टर बुरी स्थिति में हैं। उनके तीन-चार मेजर एक्सीडैंट हुए या नहीं हुए? जब यह सिचुएशन थी तो किस आधार पर अगस्ता वेस्टलैंड को भारत सरकार ने लेने का प्रयास किया? इसके बाद मेरा यह सवाल है कि ये सारे जो पेमेंट हुए हैं, जो बात आपने खुद कही कि गंगा को आप पकड़ने के लिए जा रहे हैं कि गंगोत्री कहाँ से है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहाँ से है? इन लोगों को ...* या नहीं आती है, हमें ... * आती है। हमारे ... * का नाम आ रहा है,* का नाम आया है,...(व्यवधान) बड़े-बड़े लोगों का नाम आया है। देश में नेताओं की स्थिति खराब हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि इन सबकी जाँच करिए और इन लोगों को, यदि ...* नहीं है, ...(व्यवधान) इन लोगों ने यदि भ्रष्टाचार नहीं किया है तो कम से कम नेताओं को मुक्ति दीजिए और यह पता चले कि नेता साफ-स्थरे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत। ...(व्यवधान) HON. SPEAKER: Shri Jyotiraditya Scindia.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go in record except what Shri Jyotiraditya Scindia speaks.

... (Interruptions)... *

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उन्होंने ...* बोला। उसके बाद ... * बोला। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने कहा कि जल्दी करो ताकि ये नाम नहीं आएँ।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्या यह सब ठीक है? क्या आप इसको मानते हैं? उन्होंने बोला। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एलीगेशन नहीं लगाया है।

* Not recorded.

_

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्ज्न खड़गे: उसको एक्सपंज करना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये। आप एक्सपंज करना चाहें तो मैं ज़रूर करूँगी। उन्होंने इतना ही कहा कि ये सब नाम आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जल्दी करो। But it will be expunged. ...
*और ये सब एक्सपंज करो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। सबका बोलना ज़रूरी नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ आप बैठिये। उनको नहीं चाहिए तो एक्सपंज करो, क्या फर्क पड़ना है।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हमने इस सदन में देखा कि भाजपा की जो आदत है, झूठे, निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत, यह अच्छी तरह से आज हमने सदन में देख ली। ... (व्यवधान) जो मायाजाल बुनने की कोशिश दोनों सांसदों ने की है, हमने भी प्रतिज्ञा ली है कि उस मायाजाल को ध्वस्त करके ही हम आपके सामने रखेंगे और आपके द्वारा सदन के सामने और देश के सामने हम तथ्य रखने की कोशिश करेंगे। ... (व्यवधान) असलियत क्या है कि इस डील और इस अनुबंध की शुरूआत हमारी सरकार में नहीं हुई थी, इनकी सरकार में हुई थी जब ये यहाँ बैठे थे। वह 1999 में शुरू हुई थी। ... (व्यवधान) आइ एम नॉट यील्डिंग। ... (व्यवधान) सन् 1999 में शुरू हुई थी, अध्यक्ष महोदया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप थोड़ा बैठिये न।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अब थोड़ा सुनने का सब्र रखना होगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप बोलिये। यह दोनों तरफ से हो रहा है। अब आप बोलिये, मेरी तरफ ही देखिये। श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा हूं, अध्यक्ष महोदया। ...(व्यवधान) मैं वहां नहीं देख रहा हूं, मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं देखने में बुरी नहीं हूं, देखो।

^{*} Not recorded.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: आप तो मातृशक्ति हैं, अध्यक्ष महोदया।...(व्यवधान) आपका आशीर्वाद इस पूरे सदन को मिलना चाहिए और न्याय भी मिलना चाहिए। हम आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं। माननीय अध्यक्ष : आप शुरूआत तो करो।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: जो 1999 में शुरूआत हुई थी, 2003 में जो नियमों की बात इन्होंने की, 6000 मीटर से 4500 मीटर का जो नियम में परिवर्तन लाया गया था, वह यू.पी.ए. सरकार के द्वारा नहीं, लेकिन एन.डी.ए. सरकार के द्वारा 2003 में लाया गया था और 19 नवम्बर, 2003 को बैटक प्रधानमंत्री के कार्यालय में हुई थी, बृजेश मिश्रा जी ने सारे आई.एफ.एस.पी.जी. के सभी लोगों को बुलवाया था और उन्होंने कहा था कि यह नियम बदलना चाहिए और उसके बाद 22 दिसम्बर, 2003 को प्रधानमंत्री कार्यालय से चिटठी भी लिखी थी कि किस हिम्मत से आपने यह नियम बनाया, इसको आपको बदलना होगा और 4500 मीटर करना होगा। यह नियम बदलने का काम एन.डी.ए. सरकार ने करवाया था। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ, ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, इसकी आदत हमें नहीं है कि हर बात पर आश्चर्य लगाओ, पर प्रश्न जरूर उठते हैं। मुझे आश्चर्य तब हुआ, जब आज के अखबार में हमने पढ़ा कि जो ... * हैं, उन्होंने एक महीने पहले ही अगस्ता वैस्टलैंड को कह दिया था कि एन.डी.ए. सरकार 6000 मीटर से 4500 मीटर का नियम बदलेगी और हमें डील के अन्दर प्रवेश दिया जायेगा। आश्चर्य हमें हुआ और हम रक्षा मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं, जहां तक कार्रवाई की बात है, हमारा एक साल का कार्यकाल जरूर था और उसका ब्यौरा भी मैं आपको देना चाहता हूं, जब यह मीडिया की रिपोर्ट में आया था, अगले ही दिन भारत के दूतावास रोम को चिट्ठी लिखी गई कि जल्द से जल्दी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल यही नहीं, लेकिन 16 जुलाई, 2012 को नेपल्स के प्रोसीक्यूटर्स ऑफिस को भारत सरकार के द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी। नम्बर दो- 19 अप्रैल, 2012 को ही सी.बी.आई. और ई.डी. को कहा गया था कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक अनुबन्ध को निरस्त करने की बात है, 15 फरवरी, 2013 को भारत सरकार के द्वारा नोटिस अगस्ता वैस्टलैंड को दिया गया था और सारी गतिविधियों को पूर्ण रूप से धारण करने के बाद एक जनवरी, 2014 को कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार ने उस काँट्रैक्ट को निरस्त करके रख दिया। फैक्ट नम्बर चार-12 फरवरी...(व्यवधान) आपको अच्छा मौका मिला है, अनुराग, सुन लो भाई। ...(व्यवधान) 12 फरवरी, 2013 को ... (Interruptions)

-

^{*} Not recorded.

HON. SPEAKER: Only what Shri Jyotiraditya M. Scindia speaks will go on record.

... (Interruptions)... *

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: 12 फरवरी, 2013 को इस मामले को यू.पी.ए. सरकार ने सी.बी.आई. के हाथ में सौंपा और 12 दिन के अन्दर यू.पी.ए. सरकार ने पारदर्शिता के आधार पर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी सी.बी.आई. ने लॉज की, 25 फरवरी को 12 दिन के अन्दर और जुलाई के महीने में ...(व्यवधान) सुन लो, भइया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ज्योतिरादित्य जी, मैं केवल आपकी तरफ ध्यान दे रही हूं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, सी.बी.आई. ने जुलाई के माह में लैटर रोगेटरी इश्यू किये, मारीशस को, ट्यूनीशिया को, इटली को और आज जब आपकी सरकार की 24 महीने निकल गये, 720 दिन निकल गये, आपने 720 दिन में क्या किया? क्या एक रुपया आपने बरामद किया? क्या एक व्यक्ति को चिन्हित किया, जिसने उसमें भ्रष्टाचार किया है? सबसे ज्यादा आश्चर्य तो दो साल की मोहलत में जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने 19 अप्रैल, 2016 को सदन के सामने रखा है, मैं उनको कोट करना चाहता हूं:

"Letter of request was sent by ED and CBI to Mauritius, Tunisia, Italy, BVI, Singapore, UK वगैरह-वगैरह. The agencies are continuing to pursue responses to the LR from the countries concerned."

यह आठ दिन पहले की बात है तो दो साल में जो हमने एल.आर. भेजे, आज तक आपने उसके जवाब भी इन सारे देशों से नहीं लिए, दो साल के अन्दर यह आपकी गतिविधि रही है?

महोदया, फैक्ट नं - 6। इस सदन में पारदर्शिता की बात की जाती है, जवाबदेही की बात की जाती है और की जानी चाहिए, क्योंकि यह देश इसे जरूर जानना चाहता है। हम कभी इस बात से पीछे नहीं हटे हैं कि उस डील में भ्रटाचार हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री ने सदन में कहा था कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी इंक्वायरी हम करवाएंगे। यह हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था।

मार्च, 2013 में पारदर्शिता के आधार पर, जवाबदेही के आधार पर हम सदन में प्रस्ताव लेकर आए थे कि ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी गठित होनी चाहिए ताकि सदन के सारे सदस्य भी उस इंकवायरी में शामिल हों। जब ये लोग इस तरफ बैठे थे तो उस जे.पी.सी. के प्रस्ताव का विरोध आपने क्यों किया? यह

^{*} Not recorded.

प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। जो लोग आज अपने आपको दूध में धुले हुए कहते हैं, आज उनसे देश की जनता के द्वारा प्रश्न किया जाना चाहिए कि आपने वर्ष 2013 में जे.पी.सी. का विरोध क्यों किया?...(व्यवधान) श्री निशिकान्त दुवे : जे.पी.सी. का विरोध इसलिए किया कि उसमें चेयरमैन आपका होता।...(व्यवधान) श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) हम यह प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि जो बैनिंग और ब्लैकलिस्टिंग की बात हुई, तो इसमें पहला कदम यू.पी.ए. सरकार ने उठाई थी। दिनांक 10 फरवरी, 2013 को बैनिंग और ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसकी फाइल नोटिंग है, जिसका संदर्भ रक्षा मंत्री जी ने दिया है, दिनांक 12 मई, 2014 का, कि बैनिंग और ब्लैकलिस्टिंग होनी चाहिए। स्वयं हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस सदन में दिनांक 11 मार्च, 2013 को कहा था कि अगस्तावेस्टलैंड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई नेगोशिएशन भविष्य में भी नहीं होगा। यह सदन के पटल पर लिखा हुआ वक्तव्य है।

जहां तक राशि की बात है, तो जब मीडिया में यह उछाला गया, उसके एक दिन बाद ही हमने दिल्ली में केस लॉज किया और डेढ़ साल की मेहनत के बाद 240 करोड़ रुपए भारत सरकार के हमने वापस लिए। रक्षा मंत्री जी ठीक कह रहे हैं कि इस डील में 45% राशि दी गयी थी, 1586 करोड़ रुपए दिए गए थे। हमने दिल्ली में बैंक गारंटी इन्कैश करके 240 करोड़ रुपए बरामद किए। वैसा ही केस यू.पी.ए. सरकार ने मिलान के कोर्ट में डाला और डेढ़ साल की मेहनत के बाद 228 मिलियन यूरो, मतलब 1,823 करोड़ रुपए मिलान के कोर्ट से, भारत सरकार के हम वापस लेकर आए। हम लोगों का मतलब, देश का आउटफ्लो 1,586 करोड़ रुपए था और देश का इंफ्लो 240 करोड़ और 1,823 करोड़, 2063 करोड़ रुपए हम देश के वापस लेकर आए हैं।

अध्यक्षा महोदय, केवल वह ही नहीं, 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त के अलावा इनके तीन हेलिकॉप्टर्स, एक-एक हेलिकॉप्टर 300 करोड़ के, तीन हेलिकॉप्टर्स को आज भी ज़ब्त करके भारत सरकार ने देश के अंदर रखा हुआ है। यह हमारा कथन है। आज हमने अपनी बैलेंस शीट आपके सामने रखी है। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनकी दो साल की बैलेंस शीट क्या है? दो सालों में आप तो यहां बैठ कर चीख-चीख कर कह रहे हैं। आप देश की जनता को बताएं कि दो सालों में आपने करके क्या दिखाया है? यह देश की जनता जानना चाहती है।

अध्यक्षा महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दो सालों में इन्होंने जो कदम उठाए हैं, वे आश्चर्यजनक कदम हैं। पहला कदम, जिस प्रतिबंध की बात रक्षा मंत्री करते हैं, जो एंटनी जी के निर्देश के अनुसार दिनांक 03 जुलाई, 2014 को जारी हुआ था, उस प्रतिबंध में जो लिखा गया था, उसे

में कोट करना चाहता हूं।...(व्यवधान) इस प्रतिबंध में लिखा गया था - "... Put on hold until further orders all procurement and acquisitions cases in the pipeline ... It has also been decided that in cases where the tender process has not yet been started, there shall be no dealing with the above companies till finalization of investigation, and सबसे महत्वपूर्ण - no Request for Information (RFI) and no Request for Proposal (RFP) shall be issued to any of the companies / entities." इसे दिनांक 03 जुलाई को एंटनी जी के निर्देश के आधार पर इस सरकार ने निकाला था। यह मैं कह रहा हूं। पर, वह एंटनी जी के निर्देश के आधार पर था क्योंकि वर्डिंग वही है जो एंटनी जी की फाइल की नोटिंग में है। रक्षा मंत्री जी स्वयं आपको इसका वक्तव्य दे देंगे।

अध्यक्षा महोदय, मैं रक्षा मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किठनाई हुई, चालीस दिनों के अंदर कौन-सा पहाड़ टूटा कि उस परिपत्र को, जो इसी सरकार ने दिनांक 03 जुलाई, 2014 को जारी किया था, कि चालीस दिनों के अंदर दिनांक 22 अगस्त, 2014 को आपने उन सारे प्रतिबंधों को अगस्तावेस्टलैंड से उठा दिया।

अध्यक्ष महोदया, मैं कोट करना चाहता हूं, प्रतिबंध में डेटेड 22 अगस्त, 2014, अनुच्छेद नंबर 6, लिखा है - "Where a vendor is a sub-contractor, should it matter that one of the sub-contractors is such a company?" उत्तर, आर्डर के अंदर it should not matter that a company under Finmeccanica Group of Companies, जिसका अगस्टा वेस्टलेंड पार्ट है, is a sub-contractor or supplier to a contracting party with the Government of India. इसका क्या मतलब है? आपने बैक डोर की एंट्री दे दी। ...(व्यवधान) कान ऐसे मत पकड़ना, पर कान वैसे पकड़ लेना। बात तो वही हो गई। इसी क्लॉज के अंतर्गत जो 22 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री और इनकी सरकार ने जारी की है, इसी के आधार पर सौ नैवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर दो बिलियन डॉलर की डील में अगस्टा वेस्टलैंड ने आरएफआई अपनी तरफ से डाला है। अगर वह ब्लैक लिस्टेड कंपनी है तो कैसे इन्होंने एलाऊ किया? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि नैवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में आरएफआई का प्रस्ताव अगस्टा वेस्टलैंड की तरफ से कैसे डाला गया? यह प्रेस में भी आया। The Company AgustaWestland has got a lifeline on the grounds of the Ministry of Defence proviso under which AgustaWestland and its parent company Finmeccanica can bid for Defence business, not as prime contractors, but as partners or sub-contractors to principal

vendors. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि मैं डॉयरेक्ट एक अनुबंध और कांट्रैक्ट मनोहर पर्रिकर जी से नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं एक अनुबंध मेरे भाई अनुराग ठाकुर के साथ कर सकता हूं और अनुराग ठाकुर का कांट्रैक्ट इनके साथ हो जाए तो मेरी तो पूरी फ्रीडम हो चुकी है भारत में हर डिफेंस डील में आने के लिए। ...(व्यवधान) यह स्थिति आज सरकार ने उत्पन्न कराई है, जिसका इनको जवाब देना होगा। यह रहा प्रश्न नंबर दो। ...(व्यवधान)

प्रश्न नंबर 3, मैं पूछना चाहता हूं कि 29 अप्रैल, 2016 में पीआईबी की रिलीज निकली थी कि ज्वाइंट वेंचर के लिए जो अगस्टा वेस्टलैंड को स्वीकृति दी गई थी एफआईपीबी की, वह यूपीए सरकार के समय में वी 2011 में दी गई थी। मैं मानता हूं कि हमने स्वीकृति दी थी, पर वी 2011 में अगस्टा वेस्टलैंड के विरूद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। आज इस सदन में आपके द्वारा मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण था कि 8 अक्टूबर, 2015 को एफआईपीबी की मीटिंग में अगस्टा वेस्टलैंड को एफआईपीबी की स्वीकृति इस सरकार ने क्यों दी, जब वह कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी? इसका उत्तर इस सरकार को देना होगा। रिकार्ड हमारे सामने हैं।

ये बात करते हैं 'मेक इन इंडिया की', 'मेक इन इंडिया' के लिए निमंत्रण इस सरकार ने स्वयं फिन मैकेनिका ग्रुप और अगस्टा वेस्टलैंड को दिया और उनको बोला कि बेंगलुरू एयरो एक्सपो में आप आओ। जिस कंपनी का विरोध ईडी कर रही है, जिस कंपनी का विरोध सीबीआई कर रही है, जिस कंपनी का विरोध भाजपा के एक-एक सांसद कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं, हर एक सांसद कर रहा है, उस कंपनी को आप 'मेक इन इंडिया' के एक्सपो में बुला रहे हैं। ...(व्यवधान) कम से कम कुछ मान-सम्मान अपने अध्यक्ष का तो आप रिखए। मैं यह सरकार से कहना चाहता हूं, इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने बोला कि यह बोगस कंपनी है और उस बोगस कंपनी को आप 'मेक इन इंडिया' में बुला रहे हैं। इसका उत्तर इनको देना होगा। जो अभी रक्षा मंत्री जी ने कहा ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज कांक्लूड।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, मुझे पांच मिनट दिए जाएं। इनको नॉर्म्स के बिना एलाऊ किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि रफेल की डील में जो दोनों पार्टीज टाइफून यूरोफाइटर और रफेल क्वालिफाइड थे, कांट्रैक्ट निगोसिएशन एग्रीमेंट जो मेरे भाई अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे, उनके बिना रफेल के साथ आपने डील ऑफ दि शेल्फ क्यों की? जो 126 की एयरक्राफ्ट थी, यूपीए सरकार ने 10 बिलियन डॉलर्स में डील के बारे में बात की थी, आपने केवल 36 एयरक्राफ्ट के लिए 9 बिलियन डॉलर्स की डील क्यों करवाई? यह बताना पड़ेगा आपको। ...(व्यवधान) जो आरोप मेरे भाई निशीकान्त दुबे जी ने

कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के ऊपर लगाया है, इन्होंने नाम लिया है। मैं पढ़ना चाहता हूं कि ... *की चिट्ठी में क्या लिखा है? ... * की चिट्ठी में लिखा है, "... * her closest advisers are the people the High Commissioner should target."

में हैरान हूं कि क्या इस सरकार का आशय यह है कि देश और विदेश के राजदूत भ्रष्टाचार के मामले में हमारे नेताओं के साथ मिलना चाहते हैं, इसका उत्तर इनको देना होगा। इस कागज के पर्चे के अलावा जिसके ऊपर हस्ताक्षर भी नहीं है, नेता का नाम एक भी जगह नहीं है, पूरे विश्व में पूरे किसी काँट्रैक्ट में, किसी भी डील में नहीं है।...(व्यवधान) इस एक वाक्य के आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब इनको विनम्रपूर्वक देना होगा। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कोर्ट ने भी इसी का संदर्भ दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भी नेता का नाम लिया जाता है तो इनको तकलीफ होती है। ...(व्यवधान) इसलिए डर भी आ जाता है कि यह शेरनी है।...(व्यवधान) इसलिए आपको शेरनी से डर आता है। ... (व्यवधान) शेरनी को खदेड़ोगे तो उत्तर क्या होगा, आपको मालूम हो जायेगा? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ...* ने स्वयं कहा है कि

"I have never met one single Gandhi ever in my life, not a phone call, not a letter, not a message, not a mention of me in a memo. I am absolutely sure that no money has been paid to the Gandhis."

जिस जज ने यह जजमेंट निकाला जिसका संदर्भ मेरे भाई लोग उस तरफ से कर रहे हैं, वही जज मेगा का वाक्य है :-

"We have no evidence against ... * only a mention of her in fax. ... * has only been indicated as someone who will fly in the VVIP helicopter."

फैक्स में हाई किमशनर की बात की गई है। ...(व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि जो परिवार की बात की, वह उसी इटालियन कोर्ट के जजमेंट में यह लिखा है कि परिवार केवल ... * के बारे में बात की जा रही है. ... * के बारे में बात नहीं की जा रही है।

में पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने दूसरा एविडेंस निकाला है, जो कागज का पीस है, जिसमें हस्ताक्षर भी नहीं हैं और ...* ने कहा है कि यह मेरे द्वारा लिखा हुआ नहीं है। उसमें लिखा गया है, मैं आश्चर्य हूं कि आज देश में यह स्थिति है कि जो लिखा जाए कि हमने इंटरनेट के सोर्स से मालूम किया

^{*} Not recorded.

कि ... *कौन हैं? हमारे देश में बहुत सारे ... * हैं, ... * हैं। ... (व्यवधान) बहुत सारे ... * हैं। वक्तव्य में लिखा गया है कि हमने इंटरनेट के सोर्स से लिया है और आज आप उसके आधार पर कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, आपको अफसोस होती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब गवाह ने स्वयं वक्तव्य में कहा है कि

"It is not clear what he meant by AP."

दूसरे, गवाह ने कहा है कि

"AP is the symbol from open sources. We could see on the internet that AP stands for Ahmed Patel."

आज उसके आधार पर यह सरकार आरोप लगा रही है। जज मेगा ने कहा है कि

"This is just a hypothesis, not direct evidence. We have no direct evidence."

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर यह सरकार हर विषय पर ... * की स्टेटमेंट लेगी ... (व्यवधान) क्या हमें ... * का स्टेटमेंट लेना चाहिए। उसने कहा है कि इटालियन मैरिन्स के केस में प्रधानमंत्री अपने समकक्ष के साथ मिले थे और कहा था कि गांधी परिवार पर सूचना दो, हम इटालियन मैरिन को रिहा कर देंगे।... (व्यवधान) तो आज इटालियन मैरिन्स रिहा हो गये और उनका जजमेंट भी आ गया। ... (व्यवधान) यह क्या संदर्भ है।

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, he should authenticate the document.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: ... * ने स्वयं कहा है, मैं उसका स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं

"It was made very clear to me through a number of obtuse channels that if I was willing to denounce a member of the Gandhi family relating to the so-called VVIP helicopters scandal, all charges and investigation against me would be dropped."

क्या हम इस पर विश्वास करें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, रक्षा मंत्री जी ने वर्ष 2002 के डिफेन्स प्रोक्योरमेंट, वर्ष 2006 के डिफेन्स प्रोक्योरमेंट रूल्स में फील्ड ट्रायल्स की बात की। वर्ष 2016 में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि फील्ड

-

^{*} Not recorded.

ट्रायल्स विदेश में नहीं हो सकता है। सिकॉरसकी हेलिकॉप्टर का फील्ड ट्रायल विदेश में हुआ था। ...(व्यवधान) आज इनको उत्तर देना होगा। ...(व्यवधान)

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक षडयंत्र बंद करो,...(व्यवधान) बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करो,...(व्यवधान) सूखा का जवाब दो...(व्यवधान) राजनीति की हत्या करने का जवाब दो...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए। ...(व्यवधान) हर तीन माह में सदन को रिपोर्ट दिया जाये। मैं कहना चाहता हूं कि क्या मिटाओगे सत्य के राही को, गिरेबां में देखो झांक कर, अपनी ही नीयत को।...(व्यवधान) धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Manohar Parrikarji, still Prof. Saugata Roy is there to speak. After that, you can reply.

... (Interruptions)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Hon. Speaker Madam, I am not replying to that. I want authenticated documents of what he has been claiming. It has already been denied on the floor of the House. He is quoting the same documents for which he needs to give authentication to the House. ... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, we have had a long discussion on the corruption in the Agusta Westland deal. I must start by complimenting the Minister of Defence that at least in his statement I have not found any untruth. In fact, he has revealed some truths which may not be helpful to the ruling party or palatable to the ruling party because the whole controversy on the Agusta helicopter is why the altitude of the helicopter which the Air Force wanted to be 6,000 metre so that it could go to Siachen, was reduced to 4,500 metre. Now, the Minister has clarified that point. He has said that PMO in December, 2003 observed that the framing of mandatory ORs had effectively led the acquisition into a single vendor situation. It was *inter alia* considered to make the operational altitude of 4,000 as mandatory and higher flying ceiling of 6,000 metres and cabin height of 1.8 metre as desirable operational requirements. So, these basic changes which belied what the Air Force wanted for our VVIP helicopters in the beginning was actually made at the behest of the Prime Minister's office during NDA regime. Thank you for admitting that.

13.49 hours (Shri Anandrao Adsul in the Chair)

Now, let me briefly state the facts of the case. Much has been spoken. This proposal to buy helicopters was mooted by the Army and Air Force in 1999-2000. Then, all these negotiations went on, altitude was raised, height was fixed. Then India signed a contract with Agusta Westland on 8th February, 2010 for 12 numbers of Agusta Westalnd-101 VVIP helicopters for Rs 3,600 crore. In the beginning of 2012, reports began appearing in Indian newspapers on corruption involved in the deal. Nothing was done by the Government then, but on 12th February, 2013 following the arrest of ... *... and ... *... on charges of bribing, the CBI registered The deal hold. case. was put on On 1st January, 2014, the then Government cancelled the chopper deal on grounds

* Not recorded.

that the integrity pact was violated. The Government recovered most of the money paid to the Italian Company. The ED registered a case on 3.7.2014.

Shri Parrikar had asked a question. उनका अरेस्ट होता या नहीं होता तो कुछ नहीं होता, इसका मतलब, he said that the Defence Minister Antony took the step because these people were arrested in Italy. मैं भी आपसे पूछ सकता हूं कि अगर मिलान में अप्रैल, 2008 में कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तो बीजेपी भी इस मुद्दे को नहीं उठाती और आप भी स्टेटमेंट लेकर नहीं आते। आपने पहले क्यों नहीं किया, इस सवाल पर मैं बाद में आऊंगा।

Now, the Milan court has given a 226-page judgement. Before that, it must be remembered that in August, 2013, after the deal was put on hold, the CAG said that the revision of IAF requirement in 2006 led to a single-vendor situation that benefited AgustaWestland. It pointed out the frequent revision of rules for awarding the contract. So, what was suggested by the Prime Minister's Office in 2003 was criticised by the CAG. This was not an act of the UPA Government.

One has to very carefully read the judgement. I have done it. The judgement has two parts: the conclusion where they sentence ... * for four and a half years in jail, where they sentence... * for four years jail; but it also has attached many papers. Those papers include handwritten notes by ... * Even a handwritten note has been found in ... * cell in the jail. Most of the quotations made by BJP Members, even of names, are from these handwritten notes which are not a part of the judgement but are just attachments to the main judgement. This is a point which has to be noted.

It is also mentioned in the handwritten note how money was distributed: IAF officers were allotted Euros six million; bureaucracy Euros 8.4 million; a category called 'POL' where Euros three million were earmarked for a person identified as 'AP'; and 'FAM' as Euros 15 to 16. Another handwritten note was recovered from ... * prison cell. It said, 'Call ... * in my name. Ask him to call ... *.'

.

^{*} Not recorded.

Here I quote a statement from the then Defence Minister A.K. Antony. On 25th March, 2013, speaking in Kochi, Antony said, 'Yes, corruption has taken place. CBI investigations are at a crucial stage now. We shall not show any mercy to anybody, whoever has taken money, however big he is.' Unfortunately, Shri Antony was not able to follow that up though he was Raksha Mantri for 14 months after that. But he said so and he admitted that corruption was there.

Unfortunately, the judgement in those attachments mentions certain people mentioned by Shri Nishikant Dubey. But I cannot go and one should not go by that. Fortunately, the Raksha Mantri has not mentioned that ...* is a fugitive from law in India. He was away in Dubai. So, even if he has written somebody's name it should not be taken as possible truth. My friends in the ruling Party should take it with a pinch of salt that what ... * said is not very important.... (Interruptions) that is not part of the judgement. प्लीज इतना कानून समझिए कि एक मैन जजमेंट के साथ अनैक्श्चर रहता है। कुमारी सुष्मिता देव यहां हैं। वे लंदन से बार एट लॉ हैं। वे आपको बताएंगी। ...(व्यवधान)... आप तो पहले सुनो। ...(व्यवधान)...यह 226 पेज का डॉक्युमेंट है। इसमें अगर उनका कोई हैंडिरिटिन नोट है, तो कुछ देख सकते हैं। So the matter is very serious because the total bribe amounts to Rs.125 crore in Indian money. So, I have several questions which I will put in a rapid fire way, like they do in quizzes like Kaun Banega Crorepati.

- Whether flying altitude was lowered; if so, when.
- Whether cabin height was increased.
- Whether price escalation was effected; if so, at what rate.
- Whether field trials were conducted.

It is said, and you have said correctly that field trials were not conducted in India.

• Whether court of appeal mentions any note of criticism of ... *, fugitive from India.

^{*} Not recorded.

Now, my principal question is to the Defence Minister. Shri Jaitley was the Defence Minister for six months. You came from Goa and became the Defence Minister. You have mentioned that there was corruption.

• What action have you taken in the one-and-a-half years?

You are shouting from the house top against corruption. Tell us specific instances of action taken by the CBI under your Government.

- Apart from the...*, who were specifically mentioned in the judgement, have you interrogated anybody? You have sent... * to jail for small bribe. Apart from... * have you interrogated anybody? Is this any investigation?
- You say that Rs.124 crore bribe has been paid. The Government recovered a lot of money but whether the bribe has been recovered. What has the CBI under your Government done in two years? If bribe has been paid, you should have recovered it.

You are trying to name politicians. ... (*Interruptions*) Not you, others. You have not named anybody. I have already complimented you that you have perfected parliamentary practice. I appreciate you for that.

13.59 hours (Hon. Speaker in the Chair)

- I want to ask whether you have questioned the DG procurement who is now holding a Constitutional post.
- Whether the Joint Secretary, who was then in bureaucracy and who is now occupying a UN post, has been questioned?
- How many names of political leaders have been mentioned in the court; if so, whose? And, whether you are going to take any action against them? Though I say, hand written notes are no proofs, no judgements etc. They are basically hearsay.

Lastly, I want to refer to paragraph 34 of your Statement.

_

^{*} Not recorded.

14.00 hours

Let me refer to paragraph 24 of the Minister's Statement. ... (*Interruptions*) Some times I suspect that in this country the big parties who come to power or go out of power have some sort of understanding. No inquiry took place during Shri Antony's tenure as Defence Minister and no inquiry has taken place in Mr. Parrikar's 18 months tenure as Defence Minister. He has remained totally inactive as far as the inquiry is concerned. This is confirmed in paragraph 24 of the Minister's Statement.

It says: "We must ask ourselves as to why when even though the reports of wrongdoing and unethical conduct by M/s. Finmeccanica in connection with the purchase of these helicopters and initiation of preliminary investigation against the Company in Italy surfaced since February 2012 followed by a report of arrest of M/s. Finmeccanica Chief, the action of putting on hold all procurement/acquisition cases in the pipeline with the entire Finmeccanica Group of Companies and other companies figuring in CBI FIR was approved on file by the then RM only on 12.05.2014 – while the UPA was still there – towards the fag end of the then Government's tenure. It was the present Government that finally issued the order on 03.07.2014."

So, you have only followed in the footsteps of what the earlier Government has done.

Lastly, I want to quote from the *Times of India* report of yesterday. It says that the Italian judge who delivered the verdict in the Agusta Westland chopper deal said on Wednesday that there was no 'direct evidence' linking any Indian politician with the alleged kickbacks to swing the deal in favour of the Anglo-Italian firm. Judge Marco Maria Maiga maintained that his verdict was only against senior officials of the company – he has already put them in jail – and middlemen who had paid bribes to some officials in India and that it was up to Indian sleuths to follow the money trail. Identifying Indian individuals was not in for judgement for Italian courts, he said, adding that his order was based on

92

documents which showed that the family of former IAF Chief S.P. Tyagi received the money till April 2012. Guido Haschke, Carlo Gerosa and middleman Christian Michel have been sentenced by the court. Asked about the cooperation from the Indian Government as he had mentioned 'substantial disinterest on clarification of facts in the case' on behalf of Indian side, he said, "all we had was a copy of the CAG, Request for Proposal and agreement copy".

The Defence Minister is a responsible person. I would request him not to go by insinuations and innuendos floated by people of your own Party. ... (*Interruptions*) Have a proper investigation done. I have asked my questions before. I want to know your reaction to the news report that there is no proof to link netas with bribes by Italy Judge. What is your reaction to that?

Madam Speaker, I think the truth should come out and honesty should prevail.

HON. SPEAKER: I am sorry. Shri Kirit Somaiya. Prof. Saugata Roy, you cannot speak so long.

PROF. SAUGATA ROY: Shri Anurag Singh Thakur spoke for 25 minutes.

HON. SPEAKER: You also spoke for more than 20 minutes.

PROF. SAUGATA ROY: What can I do? You allowed 15 minutes to Shri Nishikant Dubey and 20 minutes to Shri Jyotiraditya Scindia.

Thank you.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न उठे हैं और जो चर्चा हुई है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है - राम तेरी गंगा मैली हो गई। यह सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जिस आर्मी के प्रति देश का एक-एक नौजवान, एक-एक विद्यार्थी श्रद्धा से देखता है, आर्मी, नेवी का चीफ आज कटघरे में खड़ा है। देश की पीढ़ी को क्या संदेश जा रहा है?

अब बात आती है कि यह कहां से शुरु हुआ, कैसे शुरु हुआ?...(व्यवधान) एक बात सीएजी रिपोर्ट की आई। सीएजी की रिपोर्ट को हर व्यक्ति रैफर कर रहा है। अनेक लोगों ने पढ़ा, यह रिपोर्ट कहती है - In August, 2013, the C&AG Report said that revision of IAF requirement in 2006 restricted the competition. मेरा पहला रक्षा मंत्री जी से है कि जो सिंगल पार्टी वेंडर के लिए जो परिस्थिति निर्मित की गई, उसके बारे में आपने बहुत विस्तार में बताया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पुनः एक बार बताएं कि कैसे not only a single party, but a particular party. ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only Dr. Kirit Somaiya's statement will go on record.

... (Interruptions)... *

डॉ. **किरीट सोमेया:** माननीय अध्यक्ष जी, मुद्दा क्या है? बिंदु यह है कि भ्रष्टाचार हुआ तो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कितना हुआ और फायदा किससे हुआ? ...(व्यवधान) जो चर्चा चल रही है, फ्लो, द मनी ट्रेन।...(व्यवधान) में इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। Why should the investigative agencies, the Government and the *Raksha Mantri* sit on them? Who is benefited? Where has the money gone? मैं उसके बारे में कुछ फिगर्स और आंकड़े देना चाहता हूं। मेरे पास एक इटालियन आर्टिकल है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कन्कलूड कीजिए और प्रश्न पूछिए।

डॉ. किरीट सोमैया: मुझे इटालियन पढ़नी नहीं आती है। मैंने सरकार से कहा कि इटालियन कोर्ट के आफिशियल वर्डिक्ट का ट्रांसलेशन, डाक्यूमेंट्स स्पष्ट करे। मेरे मित्र सिंधिया जी बहुत अधिकृत तौर से उस फाइल के कोरेसपोंडेंट, तिथियां, जजमेंट, जज को रैफर कर रहे थे।

मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि सिंधिया जी ने जो रैफर किया है, क्या यह सरकार की फाइल में है? अगर नहीं है तो सिंधिया जी ये बातें कहां से कैसे लाए? अगर सिंधिया जी के पास यह सब कुछ है तो उनके पास भी जरूर होगा कि ... * का नाम, ... * का नाम आया है? क्या डिफेंस मिनिस्टर बताएंगे कि ... * कौन है? ... * कौन हैं? उनकी कंपनियां क्या हैं? कितनी कंपनियों में हैं? कौन सी कंपनियों में हैं?

^{*} Not recorded.

मेरे पास एक सूची है। मैंने यह सूची डिफेंस मिनिस्टर को भेजी है। मैं रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ... * दो कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं? तीसरी कंपनी में डायरेक्टर थे तो तीसरी कंपनी कौन सी थी? ... * कितनी कम्पनियों में डायरेक्टर रहे हैं? महोदया, मैं आपके द्वारा अधिकृत तौर पर कहना चाहता हूं कि ... * का सौ से अधिक कम्पनियों के साथ लेन-देन है या स्वयं की कम्पनियां हैं या डायरेक्टर है या इस प्रकार का पैसा लिया गया।...(व्यवधान) वे कम्पनियां हिंदुस्तान में हैं, वे कम्पनियां टैक्स हैवन में हैं। माननीय सिंधिया जी मोरीशियस का नाम ले रहे थे, पनामा का नाम ले रहे थे उसके लिए कि मनी ट्रेल ... * को कितना पैसा मिला, किसके द्वारा मिला, कौन-सी कम्पनी में मिला।...(व्यवधान) ... * हिंदुस्तान में सिर्फ दो या तीन कम्पनी में ही डायरेक्टर बनता है और उसमें से एक कम्पनी उस समय की सत्ताधारी पार्टी के नेता के मित्र परिवार की है, क्या यह कोइंसीडेंस हो सकता है? ...(व्यवधान) वह कम्पनी किसी को दो दुकानें बेचती है। वे दुकानें 50 लाख में बेची जाती हैं। मेरा प्रश्न है कि ... * की सभी कम्पनियां 50 लाख से साढ़े पांच करोड़ रुपए का प्रोफिट क्या यह इनडायरेक्ट मनी ट्रेल है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाएं, मंत्री जी को बोलने दें।

...(व्यवधान)

डॉ. **किरीट सोमैया:** महोदया, मेरे पास यह डाक्यूमेंट है। मुझे बताया जाए कि इस प्रकार से कितनी कम्पनीज के साथ ... * की डीलिंग हुई है।...(व्यवधान) इसमें जो नाम सामने आए हैं, मैं वही बोल रहा हूं। मैं रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की दूसरी डील्स हुई हैं, क्या उनके बारे में भी बताएंगे? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया: मैं रक्षा मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ईडी और सीबीआई से आग्रह करेंगे कि ... * के जिन-जिन कम्पनियों में...(व्यवधान)। आईडीएस एनफोटेक का नाम लिया गया, इसका मालिक कांग्रेस के मित्र परिवार का मंत्री रहा है। क्या यह संयोग की बात है जिसके ऊपर कार्रवाई हुई उसके और मंत्री महोदय के संबंध थे।...(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर : अध्यक्ष महोदय, बहुत से सवाल पूछे गए हैं और जो प्रश्न इस विषय से संबंधित हैं, उनका मैं सदन में उत्तर दूंगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सदन को देखने के बाद टीवी पर

_

^{*} Not recorded.

डिबेट का चित्र याद आ गया है जिसमें आठ-नौ सदस्य बिना एक-दूसरे की बात को सुनते हुए केवल अपनी ही बात कहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप विषय से संदर्भित उत्तर दे दीजिए।

श्री मनोहर पर्रिकर: मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है और मैं किसी का नाम लेना भी नहीं चाहता हूं।...(व्यवधान) You want me to take those names and I can take. I have the courage but I will go by Parliament practices. They do not want to listen....(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बोलिए, इन्हें बीच में बोलने की आदत है। आप चेयर को एड्रेस कीजिए। भूरिया जी, आप अब बीच में कोई कमेंट मत कीजिए।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप किसी के कमेंट का उत्तर मत दीजिए। I have not allowed anybody. So only you have to reply

श्री मनोहर पर्रिकर: अध्यक्ष महोदया, कई सवाल उठाए गए हैं। हाऊस के सभा-पटल पर मैं कई तथ्य बताऊँगा। पहला तथ्य है,...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, I am not allowing anybody.

... (Interruptions)

श्री मनोहर पर्रिकर : स्पीकर मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जो तथ्य रखना है, उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस वर्ष 1994 में शुरू हुआ है, वर्ष 1999 में नहीं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पहला वाक्य है- Air Headquarters observed in January, 1994.... (Interruptions) They viewed against the above limitations. They started this process, however, this process got derailed. ... (Interruptions)

बाद उसे वर्ष 1999 में वापस रिवाइव किया गया। मैं यह पहला तथ्य बताता हूँ। ...(व्यवधान) I would like to mention another thing as to who did the cabin height to 1.8 metres.... (*Interruptions*) I am placing on the Table of the House documents which will prove that it is the UPA Government which did this.... (*Interruptions*) This is NSA's minutes of the meeting dated 1st March and the 9th May which in

O.R. No. 5 says very clearly that the internal cabin height of, at least, 1.8 metres will be mandatory. This is agreed by all.... (*Interruptions*) यह सबने मान लिया है कि पाँचवीं वार नम्बर पर 1.858 मीटर को मैनडेटरी किया, यह 9 मई 2005 का गवर्नमेंट का डाक्युमेंट मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। यह लोग जो असत्य बोल रहे हैं...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Anurag Singh Thakur, please take your seat.

... (Interruptions)

श्री मनोहर पर्रिकर :मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो फेक ट्रायल हुई है, ...(व्यवधान) वह बराबर नहीं हुई और जो इन्होंने सवाल उठाये, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री खड़गे जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: मैं कहना चाहता हूँ कि इतना लम्बा-चौड़ा भाषण देने के बजाए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एन्क्वायरी होने दीजिए, ...(व्यवधान) अगर वे इसके लिए तैयार हैं, तो हम फेस करने के लिए तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष: किस बात के लिए एन्क्वायरी?

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: जो यह वाकया है, जो यह घोटाला है, उसके बारे में एन्क्वायरी कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री मनोहर परिकर: मैडम, जो निशिकांत दुबे जी ने बताया और जो यहाँ बताया गया, उसे ध्यान में रखना पड़ेगा।

14.19 hours

(At this stage, Shrimati Sonia Gandhi and some other hon. Members left the House.)

श्री मनोहर परिंकर: निशिकांत दुबे जी ने जो सवाल उठाया कि क्या एयरपोर्ट-टू के ऑफिस में आग लग गयी थी? मैं यहाँ कंफर्म करना चाहता हूँ कि 3 जुलाई, 2014 को श्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आठ दिनों के अंदर एयरपोर्ट-टू के ऑफिस में, जहाँ सब रिकार्ड रखे जाते हैं।...(व्यवधान) एयरपोर्ट ऑफिस-2...(व्यवधान) एयरपोर्ट-2, जहां सब रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जिसमें सब फाइलें रहती हैं, वहां मिस्टीरियसली आग लग गयी थी। ...(व्यवधान) इस मिस्टीरियस आग से सब फाइलें जलकर खाक हो गयीं। मैं जिस कारण से नहीं बोल सकता हूं, अभी मैं इसे भी इनवेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को बोलने वाला हूं, लेकिन जिस वजह से आग लगी थी, वह तय हो जाएगा। जिसके मन में आग लगाने की बात थी, अगर थी तो, मुझे लगता है कि वह अनसक्सेसफुल हो गया क्योंकि जो अधिकारी था, यह मामला सेंसिटिव होने के

कारण, उसने अपने पेपर्स अपनी ड्रॉअर में लॉक किए थे। केवल तीन फाइलें बच गयीं और ये तीनों फाइलों एडब्ल्यू101 के संबंध में हैं। मैं निशिकांत जी को करेक्ट करना चाहता हूं, उन्होंने बोला 12 फरवरी, 2013। यह 12 फरवरी नहीं है, वह क्या दिन था, वह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो ओरसी की अरेस्ट हुई, वह 12 फरवरी को हुई, लेकिन यह जो डाक्यूमेंट उन्होंने साइन करके डाला है, यह 11 फरवरी का है। उससे एक दिन पहले का है। आपने गलती से 12 फरवरी कह दिया। उन्होंने लिखा है:

"Based on the above study considered a basic weight of 13.56 tonnes appended below are the key facts emerging out of the study. ..."

जो हम लोगों ने अभ्यास किया, उससे यह फैक्ट आ गया। It further says:

"Effective pay load capacity at MSL in OGE configuration is nil above 30 degree centigrade. ... "

मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्प्रेचर जाएगा तो यह कुछ भी सामान नहीं उठाएगा। Again it says:

"With day time temperature usually above 10 degree in most of the plains of North India, pay load capacity in OGE configuration is limited to 300 kg reducing with every degree rise in temperature above 10 degree.

(b) Effective pay load capacity at 3,500 feet, AMSL in OGE configuration is nil above minus five degree.

At Srinagar, 5,450 feet AMSL, effective pay load is nil in OGE configuration at all ranges of temperature. Even in IGE configuration, a reduced pay load is to be accepted. The common VVIP sorties to Nehru Helipad cannot be undertaken. Similar in the case of Gulmarg and Pahalgam, where VVIP sorties have been flown in the past using Mi-17 4 helicopters."

उसके आगे वह बोलता है:

"इसलिए इसकी पूरी टेस्टिंग करने की आवश्यकता है।

अगर फेयर ट्रायल इंडिया में किए गए होते तो पता चलता। Afterwards, a strange message came on 27^{th} of February to stop flying. यह 27 फरवरी को आ गया। हेडक्वार्टर से मैसेज आ गया कि इसको स्टॉप करो और इसकी टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इससे वह सब रुक

गया। मुझे मालूम नहीं कि टेस्टिंग करने के बाद वह पास होता या नहीं। I do not go into that. But I have a document to prove that there was a question mark raised. सवाल जरूर उठाए थे और बहुत सीरियस सवाल हैं। अगर इंडिया में फेयर ट्रायल किए गए होते तो उसी समय इस सवाल के जवाब मिल जाते। I am not saying that helicopter is not capable because प्रेजिडेंट को आयरन फिस्ट एक्सरसाइज के लिए पोखरन ले जाना था, इसके लिए यह सवाल आया था। बाद में उन लोगों ने कहा है कि आईजीए कंडीशन में, अर्थात जमीन के नजदीक में, 10-15 फीट ऊंचाई से टेक-आफ करने की केपेबिल्टी होने पर प्रेजिडेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वह वीवीआईपीज के लिए रिस्की है और इसे पहले ही प्रॉपरली चेक करना चाहिए था। अगर हम देश में ही आरएफपी कंडीशन के अंदर पैरा 75 का यूज नहीं करते तो मुझे लगता है कई मामलों में पैरा 75 को यूज करते समय वीवीआईपी की सुरक्षा की चिन्ता करनी चाहिए थी। वह नहीं की गयी। अलग-अलग सवाल उठाए गए। क्या सरकार एक्शन लेगी? ...(व्यवधान) पिलेटस के बारे में वर्ष 2012 में काफी चर्चा हुई थी, लेकिन जब में आया, उस समय 60 या 62 प्लेन्स आलरेडी फ्लाइंग में थे। मुझे यह लगा कि अगर मैं उस समय इसे उठाऊं तो एयरफोर्स के पास पायलट की जो शॉर्टज 164 पर आई है, वह 1000 पर पहुंच जाती।

So, sometimes, you are under constraint to continue even not in a very healthy atmosphere. मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो इनवेस्टिगेट करूंगा। लेकिन इक्विपमेंट फ्लाई करने से नहीं रोकेंगे और वही हमारे उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने उसको ब्लैक लिस्ट किया है, हम लोगों ने नहीं किया है। अभी तक सिर्फ ब्लैकिलिस्टिंग हुई है, कार्रवाई अभी शुरू हुई है। यह एडवोकेट के एडवाइस पर है, लेकिन पुट ऑन होल्ड जेटली जी ने 3/07 को किया है। उसके बाद में यह पता चला कि इनके पास कई प्लेटफार्म्स हैं, इसमें से नेवी के शिप्स पर जो गन होती है, उसको फिनमकेनिका की सबसिडयरी बनाती है। क्या हम उस गन का सामान लेना बंद कर दें? मेरा सवाल है कि देश की सुरक्षा पहले है या इन लोगों ने जो पैसा बनाया है वह है? उसके लिए देश की सुरक्षा, राष्ट्रपति जी की सुरक्षा आपने डेंजर में डाल दी। ..because you made money, you agreed. May be, which person made it is the question mark. राय जी ने जो कहा...I am slightly confused. In Rajya Sabha, they were on our side. ...(व्यवधान) लेकिन आपने जो बताया I will correct myself. जो क्वेश्चन इधर रेज़ किया, उसके बारे में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी की सिक्योरिटी गड्ढ में डाल दी तो क्या अब देश की भी डाल दें। ऐसा मैं नहीं करने वाला हूं। मुझे लगता है कि जेटली जी ने लीगल अडवाइस लेकर, वह तो खुद सुप्रीम

कोर्ट के लॉयर हैं तो भी उन्होंने प्रोपर तरीके से अडवोकेट जनरल का अडवाइस लेकर, क्योंकि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ने सवाल उठाए। हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें फिनमकेनिका का कम्पोनेंट है, पार्ट्स हैं और आइटम्स भी हैं, उनका क्या करेंगे, क्या उनको बंद कर दें? Let the naval ships be without bullets; let the helicopters not fly because parts are being manufactured by Finmeccanica's subsidiary! So, we permitted for contracts, which have been already signed. जो कांट्रेक्ट साइन किए गए हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स सप्लायी करने के लिए परमिशन दे दी क्योंकि...national security is important.

में यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने फिनमकेनिका के जितने कांट्रेक्ट्स पाइपलाइन में थे, वह पूरा पुट-ऑन-होल्ड है, एक भी चीज नहीं खरीदी गयी है। So, no one need to worry.

On one thing I was very comfortable and very happy that time and again the then Defence Minister, and now everyone agreed that corruption happened. इसकी खरीद और इसके पैसे का लेन-देन यूपीए के टाइम में हुआ था। स्वाभाविक है कि उस टाइम में हुआ करण्यान हमारे साइड में से किसी ने नहीं किया होगा। उस साइड ने ही किया होगा, अगर किया होगा तो? So, it is basically logical that money has been paid to someone from the other side, not from this side... (*Interruptions*) That part, I think, has been clearly agreed.

Madam Speaker, I would make it very clear that इसके पहले वर्ष 2005 का जो मैंने रेफर किया था ...because of Paper reports. The Defence Minister, immediately, based on the Paper report of corruption banned and blacklisted Devel company of South Africa from dealing with the Defence totally.

Are you aware of what happened? पेपर रिपोर्ट के आधार पर तो किया, लेकिन सोचा नहीं। क्योंकि नालंदा में बीएमसी बनाने की जो फेक्ट्री चल रही थी, उसके लिए टेक्नीकल कोलबोरेशन कांट्रेक्ट उनसे किया था। We had paid them the full amount. और सरकार ने बैन डाल दिया कि उनके साथ डील मत करो।...After paying the full amount without thinking that अगर पैसा दिया है तो कम से कम सामान ले लो, उसका टेक्निकल अडवाइस ले लो। वह नहीं ली और ऊपर से पैसा दे दिया, जिसको रिकवर करने की चिंता नहीं की।

While our Government judiciously realized that there are so many products which have components from this company, we permitted only component

purchases from national security angle और वह जो बोल रहे हैं कि सब कांट्रैक्टर है, How are you going to find out if Finmeccanica's subsidiary company is supplying one small avionics box to Boeing or Airbus or to someone? How do you know? They might be one of the sub-components. हमें कंडीशन डालनी पड़ेगी कि एक पार्ट अगर फिनमैकेनिका से है तो हम नहीं खरीदेंगे। अभी आपको भी मालूम है कि चाइना से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट डिफैंस के लिए नहीं खरीदते। There is a ban. The WTO permits it on national security reason. Have you put a ban on the Chinese mobile? It is because the ban or the put on hold is only for defence. लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स लेने के लिए नहीं है। If you are going to manufacture a civilian helicopter, it is none of the concern of the Ministry of Defence to stop you from selling your product because if I have not stopped Chinese product from the market which I cannot do legally, how can I stop other's product? तो यह क्या हो रहा है, 'मेक इन इंडिया' में किसने पार्टिसिपेट कर लिया। लेकिन यूपीए वालों ने फिनमैकेनिका को बैन करने के बाद भी परमीशन दी थी। This is dated 22^{nd} February, 2014. मुझे लगता है कि श्री एंटनी डिफैंस मिनिस्टर थे, 2014 में हम नहीं थे। This report indicates that the Ministry of Defence has extended the deadline for the submission of bids in 4.5 billion tender for 56 military transport aircraft in an exceptional move to accommodate the bribery accused, Italian military equipment manufacturing group. अगर आपकी नीयत ठीक थी और आपने उन्हें बैन करने का एक्शन चालू कर दिया था तो How did you permit Alenia C-27J Spartan aircraft which is manufactured by Finmeccanica's Alenia Aermacchi, a Finmeccanica company? Why did you allow them to continue in the process? Luckily for us, this company did not quote and it became single vendor in favour of Airbus. लेकिन आपने इनकी रिक्वैस्ट पर एक्सटेंशन दिया और यह फरवरी, 2014 में दिया। What are they talking about? सब करप्शन के जितने मामले हैं, ब्लैक लिस्ट के जितने मामले आए हैं, उनके जमाने में जितना आर्म्स डील किया है, उसमें ही है। यह सरकार दो वर्ष से है, सीबीआई ने क्या किया, उसका जवाब दे दुंगा। I am proud to say that there is not a single allegation and I had respect for Jyotiraditya Scindia Ji. मैं प्राऊडली बोल रहा हूं कि एलिगेशन अभी तक हमारे ऊपर नहीं आया। लेकिन

making it very clear that while I thought that Jyotiraditya Scindia Ji is a very good orator, he was totally not true when he said and I am using the word untruth.

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): यह अनपार्लियामैन्ट्री वर्ड है।

श्री मनोहर पर्रिकर: असत्य बोल रहे थे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: असत्य बोल रहे थे।

SHRI MANOHAR PARRIKAR: He took total liberties with the truth by saying that राफेल का डील वे कर रहे थे, उसकी कीमत दस बिलियन डालर्स थी। एक तो राफेल का डील हुआ ही नहीं, उनके डिफैंस मिनिस्टर ने उधर लिखकर रखा था, क्योंकि वह डिफैंस मिनिस्टर बहुत डरते थे कि उनकी इमेज ये लोग खराब करेंगे। उन्होंने लिखकर रखा कि एल-1 डिटरमाइन हो गया, आप सीएनसी करो, मतलब प्राइस निगोशिएट करो, फाइनलाइज करो और बाद में मेरे पास वापस लेकर आओ, चैक अप करने के लिए कि यही कंपनी एल-1 है कि नहीं। मैंने जिंदगी में ऐसे कमैन्ट नहीं लिखे। लेकिन उन्होंने खुद का इंश्योरेंस कमैन्ट से निकालकर रखा था। वह करप्शन निगोशिएशन कमेटी, ऐसा डाउट उन्हें भी था। इसके लिए यह सब लिखकर उन्होंने रखा था। उनका अनुभव अगस्टा से यह है, उनको पूरा एक्सपीरिएंस मिला होगा तो यह रफेल डील पर लिखा था। दुसरा, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने रफेल डील फाइनलाइज़ किया है, 9 बिलियन डॉलर्स किधर से इनको मिलता है, मुझे मालूम नहीं है। हमने तो पूरा स्टेटमेंट प्रैस में भी दे दिया है। आप प्रेस वाले उसको इतना परफेक्ट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि कभी-कभी जिसके बारे में भी हो, उसको भी लगता कि हो गया है क्या? हमारी बी.जे.पी. भी उसमें फंस गई। उनके किसी आई.टी. सैल वालों ने लिख दिया कि 8.8 बिलियन डॉलर्स पर यह डील हो गयी है। प्रैस वाले ने मुझे पूछा। मैंने बोला अभी तक डील नहीं हुआ है। पैसा कम कर-कर के उसमें हम लोग काफी बचाएंगे और दिखा देंगे कि इनके समय जो डील हो रही थी, उस डील से हमारी डील काफी कम कीमत पर होगी। मैं सभी चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन थोड़ी चीजें जो यहां आ गईं, अभी ई.डी. के डायरेक्ट कौन कटोच थे, वह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब सी.बी.आई. के पास एफ.आई.आर. फाइल हो गई 12 मार्च में, उसको ई.डी. में जाने के लिए 8-9 महीने लग गए। After 9 months, in December it reached the ED. From December to June end, the file was kept in a drawer without acting on it. It is on 3rd July, when Arun Jaitley Ji was Finance Minister and Defence Minister that the Enforcement Directorate registered a case under the Money Laundering Act. उसके बाद में एक्शन क्या लिए हैं?

I will tell some actions.

-- 3/7, registration of ECIRDLZO15/2014 under Section 3 of PMLA 2002.

- -- 22/9, search at premises of Gautam Khaitan, one of the accused.
- -- Arrest of Gautam Khaitan.
- --PAO No.10/2002-14 related to Gautam Khaitan, his wife Ritu Khaitan and M/s Aeromatrix Info Solutions Private Limited.
- -- 15 November, 2014, cognizance taken by court in the criminal complaint against Gautam Khaitan, Ritu Khaitan and others.
- --20/12 कोर्ट ने भी मान लिया कि इस केस में मतलब है।
- --PAO 4/15, Media Exim Private Limited, the company being run by Christian Michel in the name of R.K. Nanda. इसके खिलाफ केस 31.03.2015 में लगाया।
- --Letter of request to competent authorities of Tunisia and Italy on 14.5.2015.
- -- PAO 19/2015, attachment related to Tyagi Brothers.
- -- 29.9.2015, open ended non-bailable warrant issued in respect of Mr. Christian Michel.
- --On 23.10.2015, open ended non-bailable warrant issued in respect of Mr. Gerosa Carlo Valentino Ferdinand, Swiss national, and Mr. Haschke, Italian citizen on 26.10.15.... (*Interruptions*)
- --Letter of request to UK sent to competent authority on 2.11.2015.
- --Letter of request to Singapore and UAE sent to headquarters for onward transmission.
- -- Red Corner Notice published against Carlo and Haschke.
- -- Red Corner Notice published against Christian Michel on 4.1.2016.
- -- Request for extradition of Mr. Christian Michel on 8.1.2016.

ये सब चीजें इटैलियन कोर्ट में हो गईं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Do not answer something like that. No, you need not answer something like that, please.

श्री मनोहर परिकर: हमारी ये सब चीजें इटैलियन कोर्ट का जजमेंट आने के पहले की हैं। सी.बी.आई. ने जो कहा है, वे सब चीज़ें मैं इधर बता नहीं सकता हूँ, because that will actually give... (Interruptions). I can tell you this much that CBI is very serious. और छोटे फ्राई, वही तो मैंने बोला, बहती गंगा में हाथ धोने वालों के पीछे अभी इन्क्वायरी चल रही है, लेकिन जो हाथ धो रहे हैं, उनको अंदाजा रहता है कि पानी का टैम्परेचर कितना रहता है, पानी कितनी जोर से बह रहा है तो उनसे हम लोग अंदाजा कर रहे हैं कि पानी किस तरफ बह रहा था, ठंडा था, गरम था, पानी में हिन्दी थी, अंग्रेजी थी, इटालियन थी, जर्मन थी और क्या मामला था। ये सब ट्रैक करने के मामले होते हैं, but I assure you that I will not disappoint you. Though CBI and ED do not come under me, I have already started monitoring the matter. I am also taking interest in the sequence of events personally. ... (Interruptions)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): How can you monitor the CBI inquiry? It is not under you.... (*Interruptions*)

श्री मनोहर पर्रिकर: इन्क्वायरी के बीच में ही सब को छोड़ दें?

HON. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

... (Interruptions)

श्री मनोहर परिकर: स्पीकर मैडम, अभी आपने सच बोल दिया। सी.बी.आई. इंडीपेंडेंट है, I am not telling CBI what it should do. I am only finding out whether they are doing something or not. अगर वह नहीं है तो मैं आपको सी.बी.आई. के ऊपर जवाब क्यों दूं। I am not interfering or trying to find out what they are doing. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Hon. Minister, please do not answer to anybody's question. Please address the Chair.

... (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह टाकुर: बैठो न, अगर आपको समझ आ रही है कि क्या कार्रवाई की है।

HON. SPEAKER: Nothing will go in record except the hon. Minister's reply.

... (Interruptions)... *

-

^{*} Not recorded.

श्री मनोहर पर्रिकर: आप बैठिये। इनको अगर लगता है, मैं जिसको मोनीटरिंग बोल रहा हूं, वह सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ ऑर्डर का मोनीटरिंग नहीं है तो मेरे शब्द मैं थोड़ा चेंज करता हूं। सी.बी.आई. की प्रोग्रेस मैं मोनेटर कर रहा हूं। I think this will explain to them. I am not going into what CBI is doing but I am checking that they are doing something. मैं सोचता हूं कि इतना तो मुझे करना ही चाहिए। If I do not do that, how will I explain it to Parliament?. ... (Interruptions)

स्पीकर मैंडम, इससे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एविथिंग एक्सप्लेन हो गया, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कई चीजें यहां बताई गईं, उसमें 100 नेवल हैलीकॉप्टर्स के बारे में बात की। हमारी सरकार डिजीटल इंडिया को देखती है तो हम लोगों ने अभी आर.एफ.आई. इण्टरनेट और ओपन इस पर डाल दिया है। जो आदमी चाहे, वह उसके इन्फोर्मेशन डाल सकता है। What is RFI? It is 'Request For Information'. अभी ओपन सोर्स में है और वैबसाइट पर है और किसी को अगर खुद की इन्फोर्मेशन देनी है, चाहे वह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों या ... * हों या अगरता वैस्टलेंड हो, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। आर.एफ.आई. में अगर उन लोगों ने डाल दिया तो मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे ध्यान में आ गया, जब इन लोगों ने रेज़ किया। इनका इनके साथ कितना क्लोज़ सम्बन्ध है, वह ध्यान में आ जाता है। I did not know about it that they have loaded their information on RFI. जब ये लोग प्रैस में हवा करने लगे तो मैंने चैक कर लिया। Then, they told me that we cannot stop anyone from what he wants to upload on RFI. Anyone can upload anything. तो इसमें ये भी आ गये हैं। इनका सम्बन्ध ... * के पास है। वह प्रधानमंत्री को क्या लैटर लिखता है, सब डिटेल्स सिंधिया को मालूम है। वे डिटेल्स भी मुझे मालूम नहीं हैं।

हमारे कोंकणी में एक कहावत है, जिसका मतलब है कि जो यात्रा होती है तो गंडेरी जो बेचते हैं, उसके बाजू में रेवड़ी, मतलब तिल और गुड़ का जो होता है, वह बेचते हैं। दोनों गरीब रहते हैं, दोनों का ठौर-ठिकाना नहीं रहता है तो एक का कुछ काम हो गया तो दूसरा उसका पुलिस में विटनैस रहता है। मतलब तो जाहिर ही है, इसके पास कुछ नहीं है तो पुलिस उसको बेल पर रिहा नहीं कर सकती। लेकिन उसकी बेल स्योरिटी कैसे ले ले, क्योंकि उसका भी कुछ ठौर-ठिकाना नहीं है। इनको कौन विटनैस मिल गया, इनका विटनैस ... * है । ये इधर बोल रहे हैं। हम लोग अगर इटालियन कोर्ट की बात को उठा दें तो वे इम्मीडेटली न्वॉयज़ कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं और वह सुनाई न दे, इसके लिए ये सब कर देते

* Not recorded.

हैं। लेकिन, ये खुद जैसा चाहें, वैसा करते हैं। इन्होंने जज को कोट किया है। मैंने उसे पूरा देखा था। नॉर्मली मैं टेलीविज़न इतना देखता नहीं, लेकिन उस पर्टीक्युलर रिपोर्टर ने मुझे एस.एम.एस. भेज दिया कि देखो जरा। इसलिए मैं देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा - XYZ....मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। क्यों मैं खाली-पीली बदनाम होऊं? XYZ के खिलाफ हम लोगों के पास एवीडेंस नहीं है। उन्होंने कहा - AP मतलबwhatever it is. Why do I have to unnecessarily spoil my own reputation by taking the names? पूरी दूनिया को मालूम है कि यह क्या है? सिंगोरा, ये, वह सब मालूम है। Let us not go into that, but the point is that when he said that, he said the next sentence that it is for the Indian investigation authorities to investigate, taking whatever reference I have made in my judgement, and it is for investigation agencies in India to prove guilt of people who are suspected. उन्होंने कहा कि यह हमारा काम नहीं है। जिसने पैसा दिया, उसे जेल में डाल दिया। किसी ने अगर पैसा दिया तो किसी ने तो लिया होगा। मैं नॉर्मली किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन with your permission, you will understand the reference, जो आदमी अभी सी.बी.आई. में ग्रिल हो रहे हैं - ... *. वे तो वर्ष 2007 में ही रिटायर हो गए। ऑर्डर देने के समय वे नहीं थे। यह ठीक है कि उन्होंने उसे एस.क्वू.आर. ट्रीट करने में मदद कर दी, अन्दर के डॉक्यूमेंट्स को उधर जाने में मदद की होगी। इसके लिए थोड़ा-बहुत प्रसाद उनको मिला होगा। यह मैं नहीं बोल रहा हूं। पर, ऑर्डर कब गयी? ऑर्डर गयी दिनांक 08 फरवरी 2010 को। उस समय वे नहीं थे। इतने छोटे काम को उन्हें जो मिलना था, वह मिल गया होगा या नहीं मिला होगा, पार्टली मिला होगा। वर्ष 2010 में जिसने इसका ऑर्डर दिया, उसे कितना मिला होगा, वह ढूंढना है। मैं आपको कहता हूं - 250.32 मिलियन यूरो। कई लोगों को लगा कि मैंने राज्य सभा में पढ कर दिखाया, वह पहली बार था लेकिन मैं कभी कागज़ नहीं देखता हूं। मेरे मन में पूरे फिगर्स रहते हैं। उस समय 250.32 मिलियन यूरो एडवांस के रूप में पे किए गए थे। उस एडवांस पेमेंट से जो कुछ जिसे मिलना था, वह डिस्ट्रीब्यूट होता होगा।

मेरा स्पष्ट मत है कि इसके लिए उस एडवांस को, जब तक हो सके, तब तक ये लोग वापस विदल्ला करने के बारे में सोच नहीं रहे थे, क्योंकि तब तक कुछ मिला नहीं होगा। You can make out the mind. You require a criminal mind to think about a criminal, but you do not have to be a criminal yourself. Why did they immediately not put on hold the full procurement in February, 2012? बेचारे एंटनी के हाथ बांध कर रखे हुए थे। लेकिन, जिस दिन

ओर्सी अरेस्ट हो गया, उस दिन उन्होंने यह रियलाइज़ किया कि अभी अगर मैं रूकूंगा तो my sainthood robes would be derobed. इसलिए भाग-भाग कर नोट्स साइन करके, सभी फाइलें सी.बी.आई. के पास उन्होंने भिजवा दी। एक दिन में भी नहीं, दो-तीन घंटे में। What I realise from the officers is that he was in panic virtually. He sent it because he wanted to protect his image. I agree up to an extent 'bechara'. I do not know whether he knew or did not know, but the moment, जब वह कम्पलसरी हो गया, पूरे देश में यह बात आ गयी कि ओर्सी अरेस्ट हो गया, करप्शन चार्ज में अरेस्ट हो गया, रेड हो गयी है, पेपर्स मिले हैं। At that time, Antony did not wait. He immediately went for CBI inquiry. लेकिन सीबीआई को देने के बाद वापस जनवरी, 2014 तक these people again did nothing.

Actually, there are so many irregularities. I am shocked and this is the biggest shock for me. How could you have given an order and accepted tender of a company to whom you have not given the tender? मुझे लगता है कि एक सीवीसी के लिए सफीशिएंट है एक पेपर। They had lost sense of proportion. They thought that they will be permanently in the ruling. The smell of money or the sight of Euro probably was so attractive or intoxicating that यह छोटी-मोटी चीज भूल गए। ... (*Interruptions*)

Actually, they should take consultancy from Michel and some other people. कभी अगर जिंदगी में चांस मिल गया तो कम से कम स्टेपवाइज कैसे खुद के स्टेप्स वाइप ऑफ करने का ...(व्यवधान) हां, लीपापोती कैसे करना है, यह कंसल्टेंसी उनको लेना पड़ेगा।

स्पीकर मैडम, बाकी चीजों में जो उनके एलीगेशंस थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा because if I have to go into allegations, then I will have to take name of the very person for whom he was trying to make those allegations. So, I have decided not to take the names, but I can tell this much as regards this that I will ensure that the CBI and ED do their job. I will not monitor it. वह थोड़ा सा शब्द समझने में गलत गया, लेकिन मैं इतना बोलता हूं कि I will monitor whether they are doing their job or not. I think that it is permitted. हर एक चीज सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो उनके सामने इतने केस हैं ...(व्यवधान) आपने एक बराबर चीज कह दी है Michel Christian is a fugitive. Therefore, they should not treat him as. ... (*Interruptions*) if he is telling gospel truth.

आपको मालूम नहीं है that they can get any document from Michel very fast and within no time. They are lucky, I said because they have support from all these people including Italian translation into English. We will definitely recover bribe-we will recover something like 398 million Euros, which is the damage that we are claiming. This process will start now. In the meantime, I will only say that in October 2014 the lower Italian court had actually said that it is only an income tax theft and not a crime. So, बीच में इसके लिए थोड़ा सा मोमेंटम जो लेटर एलआर होते हैं, उसका इफेक्टिव यह नहीं मिला। With this judgement, the criminal conspiracy is established. We will now get the documents very fast. If you could tell me about good Italian translators because it is very difficult to find them. I am searching because we have so many papers in Italian. ... (Interruptions)

Meantime, only one point, which was raised by one of the Members as to whether Westland was banned earlier. I would like to inform him that Pawan Hans Corporation owned by the Government of India was given 21 Westland helicopters in 1985, which were used for oil and natural gas at Bombay High. This was given to them in 1985 under the British grants as the British Government wanted to save this company. Two-three helicopters crashed and then it was realised that this was not very good technically. The question was whether this matter was checked by Air Force when they recommended Agusta Westland (AW) while in 2000 Agusta acquired Westland. I cannot certify that this aspect was looked into. It might not have been visible to them.

I think that I have answered most of the issues, Speaker Madam. I hope Members are satisfied and Members will support the Government in finding the truth. The truth may lead to very unwanted realism. What we could not do in Bofors, maybe, we will do it in AgustaWestland.

[Placed in Library, See No. LT 4760/16/16]

HON. SPEAKER: Now, if the House agrees, Private Members' Business may be taken up at 4.00 p.m.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. SPEAKER: All right.

The House stands adjourned to meet again at 4.00 p.m.

14.55 hours

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

16.20 hours

The Lok Sabha re-assembled at *Twenty Minutes past Sixteen of the Clock.

(Shri Anandrao Adsul in the Chair)

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION Steps to ensure welfare of Employees Provident Fund pensioners

HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up further discussion on the following resolution moved by Shri N.K. Premachandran on the 11th December, 2015:-

"This House urges upon the Government to take immediate steps to –

- (i) restore the benefits of commutation and return of capital to the Employees Provident Fund pensioners;
- (ii) provide pension to the beneficiaries of Employees Provident Fund pension on the basis of average salary of twelve months immediately preceding retirement;
- (iii) ensure payment of full pension to pensioners as per the Employees' Pension Scheme, 1995 after realisation of full amount of commuted pension from pensioners;
- (iv) increase minimum pension to rupees three thousand per month under the Employees' Pension Scheme, 1995;
- (v) implement welfare schemes for pensioners including housing scheme by utilising the unclaimed provident fund amounting to about rupees twenty seven thousand crore;

^{*} At 1600 hours quorum bell was rung. No quorum was made. At 1604 hours quorum bell was rung again and no quorum was made. At 1608 hours once again quorum bell was rung and no quorum was made. Thereafter, the Secretary-General informed the members as follows:

[&]quot;There is no quorum. The House cannot meet till there is a quorum. Hon. Chairperson has directed that the House will now meet at 1620 hours."

(vi) revise the whole Employees Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience; and

(vii) extend Employees Pension Scheme, 1995 to various other sectors." THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): He has left his election campaign in the State of Kerala just to participate in the discussion on his Resolution.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. I am thankful to all the hon. Members of this House who are present in making the Quorum for discussing this Private Members' Resolution. As the Hon. Minister, Shri Rajiv Pratap Rudy has righly said, I have come to the House exclusively for attending this Private Members' Resolution. I am thankful to the Chairman as well as Members who are present here.

Sir, this is a very important issue regarding employees pension scheme and my Resolution is in respect of having a drastic amendment to the Employees Pension Scheme. This is a scheme which was introduced in the year 1995. Now, 20 years have elapsed. After 20 years of the experience of this Scheme we have to look into it to make it better so as to protect the welfare of the workers and to provide benefits to the employees after their retirement.

Sir, it is well known that the Employees Provident Fund and miscellaneous Act of 1952 is social security legislation for the benefit of the workers. It was a novel idea to give benefits and financial assistance to workers after their retirement, resignation, superannuation or disablement. Employees Provident Fund Organisation is implementing three schemes namely, Employees Provident Fund Scheme of 1952, Employees Deposit Linked Insurance Scheme of 1976 and Employees Pension Scheme of 1995.

Sir, all employees with wages up to Rs.15,000 per month working in factories and establishments are eligible for PF Membership also. You may kindly

note that during 2014-15 an average of 3.49 crore of persons working in 3.6 lakh establishments had contributed in the three schemes. The total corpus of the provident fund is Rs.3,79,485.51 crore. Out of the aforesaid three schemes, Employees Pension Scheme is the most popular scheme and it is being availed of by lakhs and lakhs of workers in our country.

This Employees Pension Scheme replaces the Family Pension Scheme of The Family Pension Scheme was started in the year 1971 and was introduced by virtue of Section 6(a) of the Provident Fund Act. In order to implement the Family Pension Scheme, the rate of contribution of employers and employees has been increased to 8.33 per cent. Till 1971, under the Provident Fund Scheme there was no contribution on the part of the Government of India. When the Family Pension Scheme was introduced, the Government of India's contribution of 1.16 per cent was also introduced. So, 8.33 per cent contribution of the employer, 8.33 per cent contribution of employee, 1.16 per cent contribution by the Government of India was introduced. After the employers and employees contribution of 1.16 per cent each plus the Government of India's contribution of 1.16 per cent, which comes to a total of 3.48 per cent, has been devolved on the Family Pension Scheme of 1971. So, the Family Pension Scheme of 1971 was providing for pensionery benefits to the members of the family in the event of death of the member while in service. But this Family Pension Scheme is replaced by the Employees Pension Scheme. Employees Pension Scheme came into operation on 19.11.1995 to replace the Family Pension Scheme. The total contribution including Government share collected under the Scheme during 2014-15 is Rs.24,251.50 crore. The total corpus of the Employees Pension Scheme is Rs.2,38,531.84 crore. As on 1st April, 2005, the total number of pension beneficiaries was 50.31 lakhs, that means half crore of pensioners are there but the minimum monthly pension which is allowable to these workers is just Rs.1000 by virtue of the order of 1.9.2014. This minimum pension is not applicable to those who have opted for return of capital or those who have opted

for commutation also. Under Employees Pension Scheme, no contribution of employee is required. It is well aware that in order to implement the Employees Pension Scheme, right of contribution of employer and the right of contribution of the employee have been increased to 12 per cent each. Out of the 12 per cent of the employer's contribution, 8.33 per cent shall go to the employee's pension fund and the Government of India's contribution of 1.16 per cent will also go to the Employees Pension Scheme. So this is the corpus fund or this is the right of contribution on the part of the employer plus the Government of India. There is no contribution on the part of the employee and 12 per cent will entirely go into the provident fund and 8.33 per cent of the employer's contribution will be going to the Employees' Pension Scheme.

Sir, why am I making all these narrations? You may kindly see that this 1.16 per cent of Government of India's contribution was made in the year 1971. Now 45 years have elapsed. In 1971, the Government of India's contribution to the Family Pension Scheme was 1.16 per cent of the wages. In the pension scheme introduced in the year 1995 also, the contribution of the Government of India is just 1.16 per cent. So far it has not been increased.

Therefore, my first submission to the hon. Minister and to the Government of India is that the contribution of the Government of India in the Employees Pension Scheme should be increased from 1.16 per cent to a moderate rate. It is because 45 years have elapsed so far as the contribution was fixed in the year 1971. Now even after four and a half decades of this experience, the same contribution is existing but as far as employer's contribution and employee's contribution are concerned, they have been increased from 8.33 per cent to 12 per cent. But the contribution of the Government of India is still the same as that of 1971. So my first point of submission to the Government is to kindly increase the Government of India's contribution in the Employees Pension Scheme from 1.16 per cent to a considerable rate.

Secondly, regarding Employees Pension Scheme, this Pension scheme has gone into retrospective effect of implementation, *i.e.*, from 1.4.1993 this has the retrospective effect of implementation. Those who are not members of the family pension scheme were given an option to pay the back contribution of 1.16 per cent each and thousands of workers are kept out of the scheme as they cannot pay this amount. So, thousands of workers are still not within the purview of the Employees Pension Scheme only because of the reason that they are not able to pay back right of contribution of 1.16 per cent.

So my second point of submission to the Government is that all the workers who were in service from 1.4.1993 to 15.11.1995 should be included in the Employees Pension Scheme and the benefit should be given, if they are members of the Pension Scheme. Otherwise it will be an injustice as far as the workers, who are not able to pay this 1.16 per cent back wages contribution, are concerned. It is only because of their not being able to pay this 1.16 per cent of the back wage contribution they are out of the Employees Pension Scheme. So, that may be considered and allowed. That is the second point that I would like to make.

The third very important point that I would like to make is regarding the revision of pension. At the time of introduction of this pension scheme, I remember, the then Labour Minister, the late P.A. Sangma, in the year 1995 unequivocally stated on the floor of the House that this is the first time that the Government is introducing this Pension scheme and every 10 years Employees Pension Scheme will be reviewed and appropriate changes will be made so as to enhance the pension amount. That was the assurance given by the then Labour Minister, the late P.A. Sangma on the floor of the House. But unfortunately that has not been done so far. If you consider the Employees Pension Scheme, then you will find that it is a big loss to the workers particularly engaged in the organised sector. As far as the workers in the unorganised sector are concerned, I do admit that the cashew workers, the coir workers, agricultural workers and so many other workers definitely will benefit them and is useful. As far as the workers in the

organised sector are concerned, Employees Pension Scheme is a big loss to them. I will substantiate that. Also, how is the pension amount being calculated? Nobody knows how this pension amount is being calculated. I know that even the Provident Fund Officers are not aware of this calculation. In case of a doubt or if I seek a clarification on this issue, they are not capable to convince us about how this calculation is made by which the pension amount is ascertained or calculated. A worker after retirement at the age of 58 years gets a negligible and a meagre amount of pension.

According to my information, pension formula is, pensionable salary multiplied by pensionable service divided by 70. This is the formula which is adopted by the PF authorities to calculate the pension. I have asked so many officials, even the Provident Fund Commissioners. I had asked them as to what is the criteria and norm in making such a formula. Nobody was able to clarify as to why this formula has come and what is the mode of calculation in ascertaining the pension. My point is that the amount is very meagre and this needs to be revisited. Further, it is very interesting to note that from 1996 to 2000 increment was given as an interim relief but after 2000 no increment and there has been no revision of pension. Till 2000 there was revision of pension, incremental benefit was given and modifications also were made but subsequent to the year 2000 there have been no increment and no other benefit has been given. So my point is that the norms applicable in calculating the pension amount have to be revisited. I have already mentioned that the former Labour Minister, the late P A Sangma had given an assurance in the Parliament in this regard and definitely that assurance has to be honoured by the subsequent Government. But unfortunately it has not been done. So, my third point is that the amount of pension should be enhanced in keeping with the present living index. Also, the mode of calculation of pension should also be changed. The formula for calculation of pension and the amount that was available in 1971 or in 1995 or in 2000, the same formula, the same norms are applicable even today. No DA is applicable to employees in their pensions. So, it

is a very meagre and a very negligible amount. So, the amount of pension should be enhanced keeping in tune with the present living index and the mode of calculating the pension should also be changed. That is the third point that I would like to make.

In my opening remarks itself I have stated that 20 years have lapsed after the implementation of the Employees Pension Scheme. Almost 21 years have elapsed. Normally, when a beneficial scheme is implemented by the Government, year after year, the benefit will be increased or enhanced. But it is quite unfortunate to note that as far as the Employees Pension Scheme is concerned, year after year, the existing benefits available to the workers are being taken away. This has never happened in any beneficial scheme. Whether it is pension or any allowance, in our experience, we have seen that the available benefits will be increased in subsequent years or the benefits will be enhanced. But as far as Employees Pension Scheme is concerned, year after year, it is not like that. I do not go by the Bengaluru experience. Our hon. Minister is also here. With the timely intervention of the Government, that strike was subsided. Because of the decision taken by the Provident Trust Board, unscientific and illogical decisions are being taken day by day and as a part of these decisions, unrest is coming among the workers. It is the result and effect of that unrest among the workers that the Bengaluru garment workers have gone on strike and it has become a casualty in the city of Bengaluru. The entire garment industry is adversely affected only because of the unscientific and illogical and unrealistic decisions being taken by the PF authorities. They do not know the interests and aspirations of these workers. These people are poor workers from the marginal sections of society. Vulnerable sections of society are the poor workers who are the PF pensioners. Taking away their rights or the benefits can never be justified.

I will substantiate one by one. Cutting down the pension benefits and increasing the contribution of workers can never be justified.

The first three points should be taken care of by the Government. The following points are on the benefits being taken away during the course of these 20 years.

Firstly, I will speak on the commutation benefits. In this case, there is no UPA or NDA difference. All the Governments are doing the same thing because the PF authorities are doing all the mischief, according to me. These Commissioners or officials are not concerned about the pathetic conditions of poor workers. Para 12(a) of the Employees Pension Scheme relates to the benefits available to the pensioners. A pensioner who is entitled to commute 100 times of one-third of eligible pension and entitled to receive two-thirds of the original pension. This is there in the commutation benefit which was available to workers as per the Scheme. They can commute 100 times of one-third of the original pension and they are entitled to receive two-thirds of the original pension. This is the commutation benefit available to the workers who can commute or take advance from the pension amount.

From 26.09.2008, during the UPA Government, this commutation has been withdrawn. It is quite unfortunate. This commutation benefit is withdrawn as far as these poor workers are concerned. This commutation benefit is there for the Government servants, whether they are Central Government servants or the State Government servants or of the public sector undertakings. What is the justification or the explanation for taking away the benefit of commutation of these poor workers? This is there in Para 12(a) of the scheme.

Section 12(a) of the Employees Pension Scheme is very specific that these workers are entitled to commute the pension amount. How can you take it away unilaterally? The PF Trust Board has taken a decision that this commutation benefit will be withdrawn.

So, the fourth point is, this commutation benefit has to be restored.

Coming to the return of capital, this is as per para 13 (1), (2) and (3) of the Employees Pension Scheme. This benefit is like this. The pensioner was entitled

to forego a portion of his pension and his nominee was entitled to get 90 to 100 times of the pension amount. This was also withdrawn on 26.09.2008 at the time of the UPA Government.

Suppose the Pension Scheme was not in existence, this is a benefit which was available to the dependents or the legal heirs of the deceased worker or the pensioner.

My next point is return of capital. I come from a constituency in which lakhs of cashew workers are there. The poor cashew workers are downtrodden people. Most of them belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Ninety per cent of the workforce in the cashew industry is women. We have to empower women. These poor women workers call it a death benefit. Unfortunately, this benefit has also been taken away. It is the right of the pensioner to forego a part of his pension so that if any accident happens to him or to her then his legal heirs or dependents will be getting 90 to 100 times of the pension so that the family is protected. That is the first benefit available to these poor workers.

My point is, suppose this amount is there in the Employees Provident Fund, then they will be getting interest also. Then, why has this benefit been taken away? This return of capital or the death benefit available to the legal heirs or to the dependents of the deceased pensioner has to be restored. So, these are the two main points, that is the return of capital has to be restored as such and the commutation benefit should also be restored.

My third point is this. I would like to call the attention of the entire House to the fact that a pensioner who has commuted an amount of Rs. 12,000 or Rs. 30,000 for example, this Rs. 30,000 will be reimbursed from his pension because a part of the pension will be reduced from the original pension. Even after the entire realisation of this Rs. 30,000, if the amount is commuted, again this division or this reduction of pension will be going on. How can it be justified? Even in the Consultative Committee meeting we raised this issue. The hon. Minister was also

there. Suppose I have taken an advance of Rs. 1 lakh from my bank or I have taken Rs. 1 lakh from my PF account. By 20 years or 30 years or by 12 years, the entire amount which I have taken as advance is realised from my pension. Even then the reduction from the pension will continue till the death of the pensioner. It is totally inhuman. It is unjust. It is illogical. This has to be reviewed.

I may be pardoned if I say the pension of poor cashew and coir workers is being looted by the PF authorities. This can never be justified and this can never be allowed because already you have realised the amount. Then, why should it continue till the death after the realisation of the amount which was given to him as advance by means of commutation? This is the point which I would like to make.

For a pensioner who opts for return of capital dies before 20 years, his nominee is entitled to get the pension till the completion of 12 years. That benefit has also been taken away. So, this has to be taken care of.

Another benefit which was taken away during these 20 years is, which is number four, there was an option at the time of introduction of this Employees' Pension Scheme in the year 1995 that one can opt for pension either on the basis of the actual salary which you are receiving or on the basis of the ceiling limit of the salary. The option is available to the worker. Either you can opt for pension on the basis of your actual salary or otherwise you can opt for the pension on the basis of the ceiling limit. Now, the ceiling limit is Rs. 15,000 per month. So, you can either opt for Rs. 15,000 or the actual salary. This was the option available. Most of the workers in the organised sector – I know from my experience – in FACT, KMML, HMT, all these workers have opted for pension on the basis of the actual salary. What has happened now? I am saying in the case of Employees Pension Scheme there is no difference between the UPA and the NDA as both these Governments are taking away the benefits which were available to the poor workers. I have no hesitation in telling it very specifically.

From 1.9.2014, you are imposing an additional contribution of 1.16 per cent of the amount above the ceiling limit of Rs.50,000. Suppose a person who is having an amount of Rs.15,000 more as the salary, and the workers who have opted on the basis of the actual salary, then, additional 1.16 per cent of employees contribution is also being imposed by virtue of the order of 1.9.2014. So many workers have gone to the High Court. I am also the union president of many of these establishments.

In the FACT Alleppey of Cochin, hundreds of employees have gone to the High Court by paying fees to the advocates; they have all got the orders because it is not correct. You have implemented a scheme in 1995 wherein you have promised and assured that as per the scheme a worker can opt for the pension either on the basis of his actual salary or on the basis of the ceiling limit of salary. Subsequently in 2014, you are issuing an order to the effect that those who are above Rs.15,000 of the ceiling limit, then, they have to pay 1.16 per cent as additional contribution. This can never be justified; it has to be relooked. This was regarding the reinstatement of the benefit which was taken away.

Fifthly, another order has been issued by this Government. In calculating the pension, at the time of implementation and during all these years, the salary was counted for the 12 months, prior to the date of retirement. Suppose a worker is retiring today, his pensionable salary will be calculated on the basis of the average of 12 months salary during the last 12 months.

On 1.9.2014, along with the aforesaid order, another order has also been issued. It is about the average of 60 months, that means, five years. See how the PF authorities are doing research as to how to curtail the benefits of pensioners? That is why I am saying that this is a social legislation; this is a beneficial legislation to the workers. The authorities are researching as to how to take away the existing benefits. From 1.9.2014, the pensionable salary is calculated on the average of 60 months, which means five years. Formerly, it was only 12 months. This is also the contribution of the NDA Government.

Sixthly, recently the NDA Government has issued a new direction – a very interesting direction. I am really surprised as to why the trade unions, including my trade union, are not agitating in our country. Even the Bengaluru garment workers have started their *suo motu* agitation. None of the Central trade unions were there. You may kindly see this.

Another order has been issued. Formerly, eligibility for getting pension was 10 years of service; now, it is changed. Instead of having 10 years of service, a new clause has been incorporated by which 10 years of contributory services without break is required for getting pension. You are also a trade union, Hon. Chairman. We are all not taking this issue seriously. Sir, 10 years of continuous contributory service without break means 3,650 days of actual work for entitlement of pension. That means, a worker has to work all the 365 days. Then only, you are eligible for pension. How can this be justified? I am arguing this logically. A worker has to complete 3,650 days of work. Only then, he is eligible for pension. Nowhere in the world, 365 days of work is necessary or required for getting any benefit. What are the working days in a month according to our calculations? It is a maximum of 26 days in a month. This means that a worker has to pay his contribution even if there is no work. Even if there is no work, he has to pay contribution, only then he will be able to complete 3,650 days of work so that after 10 years he will get pension.

My point is, if you want to get pension immediately after 10 years, then you have to work for 3,650 days. Otherwise, it will take up to 15 years or 20 years. ... (*Interruptions*) This is a recent order. Definitely this is a contribution of the NDA Government. It is not a question of NDA or UPA. The political executive is not interfering in these issues. That is the fact. The political executive should have a say in all these matters because we are for the poor people, we are for the marginalized section of society, social justice has to be provided to poor workers; otherwise this will happen anyway. So, this beneficial legislation is polluted by way of dilution of the entire scheme. Therefore, this has to be reconsidered.

My seventh point is, from 10.6.2008 onwards – this is the contribution of the UPA Government – they reduced the rate of pension of new pensioners. This has been done by the order of 2008.

I would like to make another point here regarding medical benefit. Now the workers do not have any medical benefits. They are getting a meagre amount of pension. My suggestion to the NDA Government and also to the hon. Minister is, ESI medical benefit may be made applicable to all PF pensioners and that may be made mandatory so that these poor people, after their retirement, will be benefited. This point may also be taken into consideration.

Another point is regarding entitlement age for pension. Earlier, at the age of 50 years you can voluntarily resign and you are entitled to pension if you are having 10 years of continuous service. The recent order – I am not citing the order due to paucity of time – says that this limit of 50 years of age has been increased to 54 years. Today I have seen another note – I am not sure about it, the hon. Minister may kindly clarify – that this age of 54 years has been increased to 58 years. That means, only if you attain the age of 58 years, then you will be entitled to pension. I am not sure, this is subject to correction. But the increase of age limit from 50 years to 54 years is correct. That order is there with me. In the past, 50 years was the age limit for getting the reduced pension. If am a pensioner, at the age of 50 years or 52 years, I can very well resign and I am entitled for pension if I have 10 years of continuous service. Now, it is applicable only at the age of 54 years. If I am correct, then this age limit has recently been increased to 58 years. This also has to be considered.

Sir, coming to minimum pension, the former UPA Government, at the fag end of their tenure, declared that the minimum pension will be Rs. 1,000 per month. They have issued an order also that it will be made effective from 1.4.2015. Unfortunately it was not done because subsequent to the election, new Government has come to power. We intervened in the matter, we met the Prime Minister, the Prime Minister finally issued a direction and this minimum pension

has been increased to Rs. 1,000 per month from 1.9.2015. But this minimum pension is not available to all the workers, because a person who has opted for return of capital, a pensioner who has opted for commutation, will not be getting this minimum pension of Rs. 1,000 and also a pensioner who has opted for pension at the age of 51 years or 52 years, will also not be entitled for this minimum pension of Rs. 1,000. So, the minimum pension of Rs. 1,000 per month to all the pensioners, that promise has not been fulfilled.

So, my point is, at least the minimum pension should be raised to Rs. 3,000 per month because Rs. 3,000 per month is nothing as far as a worker is concerned to meet the ends of justice in his family. My point is that it should be enhanced to, at least, Rs. 3,000 per month. The trade union's demand is to make it Rs. 6,000 per month. I am appealing to the Government, in a realistic manner, to kindly consider the point and enhance the minimum pension to Rs. 3,000 per month.

My other suggestion is that this Rs. 3,000 should be made applicable to all the workers and all the pensioners whether they have opted for RoC, commutation or reduced pension. Whatever it may be, the minimum pension, declared by the Government, should be made applicable to all pensioners and workers.

Now, I am coming to another point which is regarding the consumers' cases. I would appeal to the Government to see as to how much amount is being spent in the consumer courts or in the District Consumer Redressal Forum or State Consumer Redressal Commission by means of appeal and all other things. Lakhs and lakhs of rupees is being spent in contesting cases against the pensioners in the consumer courts. Recently, in a case no. RP: 4796/13 before the National Consumer Dispute Redressal Commission, the funds of the Employees Provident Fund are being misused. This is the observation made by the National Consumer Dispute Redressal Commission. The hon. Minister may kindly see this. The observation made by the National Consumer Dispute Redressal Commission is that the funds of the Employees Provident Fund are being misused in order to contest cases in consumer courts and other forums. I would like to request the

Government to examine the huge amount of money which is spent unnecessarily in contesting weak cases in appellate forums. This may also be taken into consideration. That is the suggestion which I would like to give.

Now, I am coming to my final point. While inaugurating the Employees Provident Fund Pensioners Association in Bengaluru, the hon. Minister has declared the amount of money which is pending unclaimed in the Provident Fund Account. To my information, the hon. Minister may be correct. According to the prior information, an amount of Rs. 27,000 crore was lying unspent in the Provident Fund Account. It is because there is no claimant. But the latest information is that more than Rs. 50,000 crore is lying unspent as the money is not being claimed by the claimants because of so many issues. This money is being kept idle. Why are we not able to utilise this money for social benefits of these workers? Yes, it is an unclaimed amount for long. This money may be utilised for welfare activities of the pensioners like medical benefits, housing benefits, etc. I think, even in the Consultative Committee also, the hon. Minister is going to propose it in a way so that the housing facilities have to be provided to the PF pensioners. It is a very good proposal. I do agree with that proposal. I would request you to see that the unclaimed amount of thousands and thousands of crores of rupees may be utilised for the benefit of pensioners. That will be more effective as far as the pensioners are concerned.

My resolution is having all these points. At the time when this Pension Scheme was introduced, it was a demand of the workforce. I had also spoken at that time that the Employees Pension Scheme should be a third benefit. It should be a third retirement benefit than the Provident Fund and Gratuity. The Provident Fund and the Gratuity are the statutory benefits. The Pension Scheme should be a third retirement benefit available to the workers. But it is quite unfortunate to note that after 20 years of experience it is seen that most of the benefits, already given after 1995, are being taken away. This can never be allowed. A beneficial legislation for the workforce shall never be diluted or shall never be polluted.

17.00 hours

Nowhere in the world the existing benefit is taken away unilaterally without consulting the stakeholders. My point is that the whole matter has to be reviewed in accordance with the needs and requirements of the present situation. I hope that this Government and especially the hon. Minister, who is very sympathetic to the workforce in our country, will do the needful. In the Bengal strike, he immediately intervened. I know that. He is a pro-labour. He is also from the labour force. I would appeal to the hon. Minister to consider all these points.

I am also making one suggestion. Twenty years are over. Let us have a revisit of the entire Employees' Pension Scheme, revamp this Scheme and make the minimum pension as Rs.3,000. Also please restore the return on capital and also the commutation benefit. The reduced minimum pension age has to be retained as 50 years. I would request this Government to go in line with these suggestions.

The only hurdle, which the Government always says, is that there is financial crisis. As far as the organized sector workers are concerned, I can very well cite the calculation. Say a worker is getting Rs.25,000 as salary. Suppose his PF contribution is deposited even in a nationalised bank, not in a private bank, I am very sure that the interest available on his contributed amount is more than that of his pension. I can very well establish it with statistics and with arithmetic. This is the situation.

I fully agree that as far as cashew workers, coir workers and the workers in the unorganized sector are concerned at least they will be getting a minimum pension amount of Rs.1,000. On the 1st September, 2014, when this minimum pension of Rs.1,000 was made, as directed by the Government and the hon. Minister, in my constituency I had inaugurated that function. In my parliamentary constituency alone, there were more than 200 pensioners who were getting less than Rs.25 per month as pension. This was the situation. Now, the

last UPA had been increased it to Rs.1,000 but not implemented it. Subsequently, the present Government implemented it. All these workers are not getting even this pension amount of Rs.1,000.

All these points are very humane and genuine. The illogical conclusions by the PF authorities can never be justified. I know it very well. People are not aware of all these things – how it is being calculated; what is the amount; what is the rate of contribution; etc. Many irregularities are taking place in factories and establishments also in respect of deduction of PF amount, for which monitoring is required. Now, I am only confining to pension alone. Otherwise, there are many things to be said about the Provident Fund Scheme.

So, my humble submission to the hon. Minister and also to the Government, through you, Sir, is that the entire Employees' Pension Scheme has to be revamped and it has to be revisited. My suggestion is that, if possible a Joint Parliamentary Committee, consisting of a few number of Members may be deputed to look into the affairs of the Employees' Pension Scheme, to have a detailed discussion and also to prepare a Report. Let this Scheme be revisited and revamped so that the poor workers get more and more benefits and also the social security of the workers is protected. That will be the greatest thing which this Government can do for the poor workers and the marginalized sections of this society. That is the content of my Resolution.

I would say to the Government and also to the entire House that this Resolution is nothing controversial, there is no dispute in respect of any political barriers and the entire content of my Resolution is fully for the poor, for the labourers and workers. I would appeal to this august House to approve and adopt this Resolution.

With these words, I conclude. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON (SHRI ANANDRAO ADSUL): Motion moved:

"This House urges upon the Government to take immediate steps to -

- (i) restore the benefits of commutation and return of capital to the Employees Provident Fund pensioners;
- (ii) provide pension to the beneficiaries of Employees Provident Fund pension on the basis of average salary of twelve months immediately preceding retirement;
- (iii) ensure payment of full pension to pensioners as per the Employees' Pension Scheme, 1995 after realisation of full amount of commuted pension from pensioners;
- (iv) increase minimum pension to rupees three thousand per month under the Employees' Pension Scheme, 1995;
- (v) implement welfare schemes for pensioners including housing scheme by utilising the unclaimed provident fund amounting to about rupees twenty seven thousand crore;
- (vi) revise the whole Employees' Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience; and
- (vii) extend Employees' Pension Scheme, 1995 to various other sectors."

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): सभापित जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारियों की पैंशन का विषय जो हमारे एन.के.प्रेमचंद्रन जी ने उठाया है, उस पर बोलने की अनुमित दी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं श्री एन.के.प्रेमचंद्रन जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसे विषय को लेकर आप इस सदन में आए हैं जो श्रमिकों और इंप्लाइज़ के लिए, उनके कल्याण के लिए एक संकल्प आपने जो इस सदन में रखा है, इसके लिए भी मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ।

सभापित जी, जहाँ तक श्रमिकों का सवाल है, और उनका हक देने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में अगर सबसे पहले श्रमिकों को हक देने का किसी ने कार्य किया है तो बाबसाहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने किया है। इसके पहले श्रमिकों का एक्सप्लाइटेशन होता था। 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे तक उनसे काम लिया जाता था, मगर बाबासाहब ने संविधान में एक प्रावधान किया कि उनके लिए नियम बनाए और उनके हक के लिए बाबासाहब ने संविधान के ज़रिये जो कार्य किया, मैं बाबासाहब को नमन करता हूँ। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम बाबासाहब अंबेडकर की जन्म जयंती मना रहे हैं, तब इस विषय का जो संकल्प सदन में आया है, मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छी बात है।

सभापित जी, हमारे प्रधान मंत्री जी युवा श्रमिकों को श्रमयोगी कहते हैं। वे कहते हैं कि देश के निर्माण में अगर किसी का सबसे अहम योगदान है तो हमारे श्रमयोगियों का योगदान है और इनकी संख्या बहुत विशाल है। इसीलिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने 'श्रमेव जयते' का सूत्र दिया है। इनकी सरकार आने के बाद श्रमजीवियों के बारे में जो कार्य किया गया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन कार्य किया गया है।

जहाँ तक कर्मचारी भविष्य निधि की बात थी, जहाँ तक किसी ईकाई में 20 कर्मचारी काम करते थे, उनको इसका जो प्रावधान मिलता था, रिकाग्निशन मिलता था, मैं मंत्री जी और सरकार को बधाई देता हूँ कि 10 कर्मचारी वाली ईकाइयों को भी इसमें शामिल किया गया है और इसकी वजह से बहुत बड़े तबके में श्रमजीवियों को बहुत लाभ होने वाला है। यह लाभ की संख्या अगर मैं बताऊँ तो 50 लाख श्रमजीवियों, जिनको पहले पी.एफ. और ई.पी.एफ. का लाभ नहीं मिलता था, वह उनके दायरे में आने वाला है और जब वह ई.पी.एफ. के दायरे में आएँगे तो उनको सभी लाभ मुहैया किया जाएगा और इसके लिए मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूँ।

अभी प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि जो मिनिमम पैंशन की बात थी, पहले मिनिमम पैंशन सिंगल डिजिट में दिया जाता था। कई लोगों को आठ रुपये दिया जाता था, कई लोगों को दस रुपये दिया जाता था।

सरकार ने 1000 रुपये जो मिनिमम पैंशन का जरिया बढ़ाने की बात की है, इसके लिए मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूँ। इसकी वजह से कई लोगों को इसका फायदा रहेगा।

महोदय, मैं अहमदाबाद से संसद का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अहमदाबाद एक ज़माने में भारत का मानचैस्टर कहा जाता था। अहमदाबाद और मुंबई दो शहर ऐसे थे जिसमें टैक्सटाइल मिलें बहुत संख्या में थीं। करीब 75 से भी ज्यादा टैक्सटाइल मिल्स अहमदाबाद में थीं। इसके बाद कई मिलें अपने आप में क्लोज़ डाउन हो गईं और आज करीब पाँच से छः मिलें ही चालू हैं। इन मिलों के जो बेरोज़गार कर्मचारी हैं, उनको पैंशन मुहैया कराई जाए और लाभों से जो कई लोग आज वंचित हैं, मैं यहाँ मौजूद श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि अहमदाबाद के जो टैक्सटाइल वर्कर्स थे, जिनकी मिलें बंद हुई हैं, कर्मचारियों को जो लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। उनके रीहैबिलिटेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हमें देखना पड़ेगा।

जहाँ तक विरष्ठ पैंशन बीमा योजना का सवाल है, हमारी सरकार पैंशन सोसाइटी बनाने की बात लेकर चलती है। हमारी सरकार और हमारे वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे को हम बढ़ाना चाहते हैं। आज 10 या 12 प्रतिशत कुछ कर्मचारी हैं जो राज्य सरकार में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं, केन्द्र सरकार में काम करते हैं, ऐसे लोगों को आज पैंशन मिलती है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जिनको पैंशन नहीं मिलती है। उनके लिए पैंशन का प्रावधान हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की योजना के हित में किया है। वाजपेयी जी के नाम से जो पैंशन की योजना हमारी सरकार ने दाखिल की है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसका दायरा बढ़ाया जायेगा और सभी लोगों को पैंशन का जो हक है, उन्हें मुहैया किया जायेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

जो असंगठित क्षेत्रों के लोग हैं, जो अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर के लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं, उनको कोई हक मुहैया नहीं कराया जाता है। इस सरकार ने उन अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर के लोगों को लाभ मुहैया कराने के लिए जो काम किया है, उनको जो यूनीक आईडेंटीफिकेशन कार्ड दिया गया है और इसके माध्यम से जो उनको अनेक माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का कार्य किया है, मैं समझता हूं कि एक जो ठेले वाला होता है, जो प्लम्बर होता है, जो असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लेबर की तरह काम करता है, उनको आज किसी भी प्रकार का हक हासिल नहीं है। आज सरकार उनको हक देने के लिए आगे आई है और सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सभी को रोजगार सम्पन्न करने की बात कही है। सभी का जो कौशल है, उनका जो हुनर है, उसको ध्यान में रखते हुए, छोटी सी अवधि में सरकार उनको ट्रेण्ड कराने का कार्य कर रही

है, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा कार्य है और इसकी वजह से आने वाले समय में बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन का कार्य होने वाला है। इसके लिए इस साल के बजट में 1700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए सरकार का अभिनन्दन करता हूं।

जहां तक संगठन के करीब 6.57 करोड़ सदस्यों को यूनीक आईडेंटिटी कार्ड मुहैया कराया गया है और करीबन 2.49 करोड़ श्रमिकों ने मोबाइल नम्बर के माध्यम से इसका प्रयोग किया है, अब तक 8.77 लाख लोगों ने मोबाइप एप डाउनलोड किया है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.) के सदस्यों को सहायता प्रदान कराने के लिए ऑन लाइन सहायता के डैस्क का भी इसमें सृजन किया गया है।

जहां तक बोनस का सवाल है, बोनस भुगतान संशोधन अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पात्रता सीमा को दस हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 21 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है। जहां तक उसकी गणना सीमा है, उसे 3500 हजार रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये किया गया है। मैं समझता हूं कि इसकी वजह से हजारों श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा और भारत रत्न बाबासाहेब अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती वर्ष में इनको यह लाभ मिलने वाला है तो इस लाभ के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि श्रमिकों के लिए सरकार को अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। एक पैंशन सोसायटी की तरह हमें उनको इसमें समाविष्ट करना है और जब श्रम मंत्री यहां मौजूद हैं, तब मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये बहुत छोटे-छोटे लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब तबकों के लोग हैं, तब उनको इस प्रकार की पैंशन की सुविधा सरकार मुहैया कराएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका अभिनन्दन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Sir, I stand to support the resolution moved by hon. Member Premachandran Ji.

Sir, I was trying to understand the very fundamental goal of this provident fund. The meaning of provident in English is prudent, far-sighted, judicious, thrifty etc. The etiology is from the latin word and it actually came from the word 'providence'.

So, what is the meaning of providence? The meaning is, fate, destiny, goodwill, *kismath*, acts of God and God's will. The working middle classes are going through tough times and we have lot of schemes for the poor. It is the middle class who braves the brunt of all the changes we make or all the taxations we make. They take the country's economy on their shoulder. Tax paying is done by them. The PF offers a great security to the employees and the working middle class. Any attempt of taxation or putting restrictions or restrictions on how it should be deployed after its withdrawal actually goes against the very principle of provident fund.

Currently, approximately, Rs.8 lakh crore is with the Government in provident fund. It is understandable that whenever a new Government comes or a new Finance Minister comes, this amount of Rs.8 lakh crore is very tempting for them, and they would like to see how they can tinker with it so that it will help the Government. I am sure enough every Government, when it comes, especially in the first term, does try to tinker with it. The previous Governments had also tried to tinker with it. Arun Jaitley Ji's proposal that 60 per cent of the amount withdrawn from the EPF would be taxable, if not invested in annuity. And if invested in annuity, it would not be taxable on the withdrawal but the return on the annuity would be taxable. All these are restrictions.

Fortunately, I think, the Government is proactive, and I think the Government, after a lot of public outcry and being called anti-middle class, actually repealed this. But I would like to request the Government not to reintroduce this in any other manner.

Secondly, regarding restoration of commutation benefits, I think, Premachandran Ji covered it, and this is very, very important. This again goes against the very principle. The concept of pension is to give at least a substantial amount and even the minimum wage was fixed at Rs.7,000 following which the Bonus Payment Act was amended. But the minimum pension of Rs.1000 is just not sustainable and it does not serve the very purpose. In fact, in our State we give Rs.1,000 pension to everybody, including to the poor farmer, not just to the working middle class. Everybody in our State gets Rs.1,000 pension. So, I think this definitely needs to be increased. I agree with Premachandran Ji to fix it at least at Rs.3,000 considering the minimum wage fixed is Rs.7,000 and it is based on the cost of living.

The next point I would like to address is the unclaimed PF amount. I was just corrected. I thought Rs.27,000 crore of unclaimed pension was lying with the Government. My data is old. I think it is more than Rs.50,000 crore. I have two or three points related to this. Actually, I was trying to get the ageing data of this, how much is unclaimed for three years, for five years, for 10 years, 20 years, 30 years and so on. I am unable to get the data. I think we should treat all these unclaimed amounts in a different manner. For example, I was working in a big company. I did not claim my provident fund for more than seven years but I am still alive, and I would like to draw it now. But somehow I have not claimed it for the last 20 years or 30 years, and, most probably, nobody is going to claim that. So, I think we should treat that separately. It is not just the unclaimed but it will not be unclaimed in the future also. Those definitely have to be deployed in a very efficient manner. For example, I think the suggestion of using it in housing scheme or geriatric health care or maybe, even re-distribute everything, about 20 years of unclaimed, to the current PF accounts, is good. So, there are many good ideas. I think the idea of giving it to housing and health care is a very, very good idea, and we need to segregate after ageing the pensions.

Next is, pension is deployed somewhere. Even the unclaimed pension is not frozen and lying idle. It is deployed somewhere. It is invested somewhere. But the interest accrued on this, if I claim after certain years, will not come to me. I think that definitely needs to be looked into because the money is earning something. Whatever that money is earning, in my case if I claim after seven years, let it go to me or whoever I nominate. So, I think we have to analyse the aging and treat each one separately.

Then, how to deploy Rs.8 lakh crore? Approximately 15 per cent can be deployed or invested in stock market equities. Who manages this fund? The reputed fund managers – SBI, ICICI Securities, HSBC, UTI – manage this fund. Probably about Rs.1 lakh crore is being managed by these people. But last year instead of making money these fund managers actually lost 9 per cent because they invest this amount in stock market, which fell down last year. Maybe some of this amount has to be insured, if it is possible, against significant losses.

Secondly, the whole idea of pension fund is security. If we invest this in a speculative market, the security is removed. So, 15 per cent amount should be varying and it should be invested with the times. If stock market is not performing well, I think these fund managers and the Government should proactively change or reduce this amount.

The point that hon. Member Shri Premachandran raised about 12 months and 16 months is absolutely unfair. I think this is a tinkering and experimentation. If the Government tinkers with it, let them tinker with it for the benefit of the deserving middle class. It is not for the benefit of the Government to use it effectively but for the middle class people.

Then, regarding the issue of back wages of 1.116 per cent that they have to pay, I think they are unable to afford it.

Then, Sir, I think currently the overall yield is quite less. But if the yield is more that benefit should also go to the people. I think the interest on PF is 8.85 per cent. We should look it considering the inflation rate, bank interest rate and others.

Maybe we should consider it increasing to 9 and a half per cent, which I think is possible to do.

Before I close my discussion, I would like to point out that it is not just in name that it should be pension, but it should be in letter and spirit. And, it is not just for the working middle class, we should also explore ways to bringing the unorganised sector, which Premachandran ji mentioned as well, into it. Many State Governments other than having Government employees have the part-time employees, the contract employees, the outsourced employees and various other categories of employees. It is extremely important to bring those people also under the PF and pension scheme. I think the Government will be proactive because we have seen they have been proactive when there is a protest by the middle class. I wish the Government will do it. I also wish that they take into consideration the logical points which Mr. Premachandran ji raised. With this, I support this Resolution. Thank you.

श्री ओम बिरला (कोटा): माननीय सभापित महोदय, 'श्रमेव जयते' और 'सत्यमेव जयते' से पूरा देश परिचित है। जितनी ताकत सत्यमेव जयते में है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रमेव जयते में है। अगर इस देश के राष्ट्र का उत्थान करना है, इस देश के अंदर श्रम योगी को सम्मान दिलाना है, तो हमें संगठित और असंगठित मजदूरों के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता है।

आज इस देश के अंदर आवश्यकता यह है कि हम किस तरीके से असंगठित क्षेत्र के मजदूर, कामगार, श्रम करने वाले व्यक्ति को प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, यह आजादी के 67 साल बाद भी चुनौती है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को समझते हैं। एक मजदूर की तरह मजदूरी करके उन्होंने देश की इस गरीबी को देखा है। मजदुर की तरह काम करके वे देश के प्रधानमंत्री बने। एक राज्य के मुख्यमंत्री के बाद देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मजदूर की चिंता की है। इसिलिए इस देश के अंदर उनको पता चला कि मजदूरों की मेहनत की कमाई का 27 हजार करोड़ रुपया, जिसको क्लेम करने वाला कोई नहीं था, आज भी उसमें से अधिकतम राशि का क्लेम करने वाला कोई नहीं होगा, किसी सरकार ने 67 साल में नहीं सोचा कि ये मजदूर, कामगार और कर्मचारी जो अपनी मेहनत से पैसा जमा कराते हैं और भविष्य की अपेक्षाओं को पाल कर रखता है, लेकिन मजदूर पलायनकर्ता भी होता है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री वाला, कोई भी नियोक्ता, आज कल किसी भी मजदूर को, किसी भी कामगार को, किसी कर्मचारी को कभी परमानैंट करने की कोशिश नहीं करता है। उसकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से मजदूरों को कुछ दिन रखें और उनको जो श्रमिक सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे सुविधाएं उनको न मिले। इसलिए मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान मजदूरी करने के लिए, पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए कई किलोमीटर दूर आकर, कई प्रदेशों में नौकरी करते हैं, पलायन करते हैं और वे लगातार पलायन करते गये, उसके कारण उनका पैसा अटका रहा। प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की है, उन्होंने सरकार बनते ही कहा कि 27 हजार करोड़ रु. उस मजदूर को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश का एक यू.एन.ए. कोड बने। जिसके आधार पर कभी कोई मजदूर, कहीं भी किसी प्रदेश में चला जाए, किसी स्थान पर चला जाए, उस नम्बर के आधार पर वह कहीं भी पैसा निकाल सकता है।

माननीय सभापित महोदय, आप खुद मजदूर क्षेत्र से आये हैं। आप जानते हैं कि कोई भी उद्योगपित पहले किसी इम्पलॉइज को रखता था तो कोशिश करता था कि उसका पी.एफ नहीं काटा जाए, उसका रिजस्ट्रेशन पी.एफ. में नहीं हो। हम कई बार देखते थे कि इंडस्ट्री के अंदर केजुअलटी हो गई, दुघर्टना हो गई तो उस कर्मचारी को पेंशन देना पड़े, इसलिए वह बैकडेट के अंदर फॉर्म भरा कर पी.एफ ऑफिस में

रजिस्ट्रेशन कराता था। लेकिन सरकार यह जानती थी। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि ऑन-लाइन जिस इंडस्ट्री के अंदर 10 उपभोक्ता, 10 कर्मचारी, 10 कामगार, 10 मजदूर होते हैं, उसका ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन किया जाये।

सबकी चिन्ता एक ही है। हम भी इस बात से सहमत हैं। किसी सरकार ने पहली बार सोचा है कि मजदूर को कम से कम 1000 रुपये मिलें। किसी शासन ने विचार नहीं किया। किसी को 50 रुपये, 100 रुपये, डेढ़ सौ रुपये पैंशन मिलती थी। लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि 1000 रुपये मिनिमम पैंशन मिलनी चाहिए। सरकार ने विचार किया कि 20 नहीं, 10 कर्मचारी होने के बाद ईपीएफ, पीएफ का रिजस्ट्रेशन होना चाहिए क्योंकि देश के अंदर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इसलिए कानून पारदर्शी बने और उत्तरदायी भी बने। मैं प्रेम चन्द जी की कई बातों से सहमत हूं कि देश के अंदर जितने भी असंगठित कर्मचारी, मजदूर हैं, उनकी संख्या संगठित मजदूर और कर्मचारियों से बहुत ज्यादा है।

आज मेरे एक साथी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट मिले थे। उनकी चिन्ता सही थी कि इस देश में कर्मचारियों की चिन्ता करते हैं, किसान की चिन्ता करते हैं, लेकिन संसद के अंदर कभी असंगठित मजदूर जो चाहे खेत में काम करने वाला हो, सड़क में काम करने वाला हो, उसे सरकार की तरफ से कहीं भी श्रमिक योजना या अन्य योजना के माध्यम से कुछ नहीं मिलता ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, पैंशन के आधार पर भविष्य में उसकी अपेक्षाएं पूरी हो सकें।

हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है, प्रधान मंत्री जी का भी मत है कि इस देश के अंदर संगठित, असंगठित कर्मचारी हों, तमाम लोगों को पेंशन भोगी बनाना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। उनकी भविष्य की जो चिन्ताएं रहती हैं, उनसे वह सुरक्षित रह सके। इसिलए प्रधान मंत्री जी ने अटल पैंशन योजना, कई तरह की पैंशन योजनाएं लागू की हैं। उस पैंशन योजना के माध्यम से कम से कम विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी, क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी नौजवान की शादी इसिलए करता है कि पत्नी साथ होगी, बच्चे साथ होंगे तो मेरा भविष्य सुरक्षित होगा। सरकार गार्जियन की तरह उनकी चिन्ता कर रही है। तमाम क्षेत्र के लोगों को पैंशन भोगी बनाने की कार्य योजना बना रही है।

मैं तीन-चार बातों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कर्मचारी भविष्य निधि का जो वर्तमान दायरा है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ठेके पर काम करने वाला मजदूर हो, छोटा कर्मचारी हो, उसे भी इस दायरे में शामिल करना चाहिए, उसका भी ईपीएफ कटना चाहिए क्योंकि अभी भी देश में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर और कर्मचारी ईपीएफ के दायरे में नहीं आते। इसलिए मेरी मंत्री जी से मांग है कि हमें ईपीएफ का दायरा बढाने के लिए

पार्लियामैंट कमेटी बनानी चाहिए, श्रमिक संगठनों से सुझाव लेने चाहिए, असंगठित मजदूर का काम करने वाले लोगों से सलाह लेनी चाहिए ताकि हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के दायरे को बढ़ा सकें।

सभापित महोदय, मैं चार बिन्दुओं पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने कोशिश करके 20 कर्मचारी से 10 किए। हमें और कोशिश करना चाहिए कि अगर एक कर्मचारी भी हो तो वह भी इपीएफ के दायरे में आना चाहिए। किसी सरकारी गैर सरकारी के अंदर कोई कर्मचारी काम करता है, कम से कम उसे इपीएफ का लाभ मिलना चाहिए, वह पेंशनभोगी बन सके और उसको लाभ मिल सके। मैं इस बात से सहमत हूं, सरकार पर वित्त का बोझ हो सकता है, 1000 रुपये पेंशन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। हम किस तरीके से इस कर्मचारी की मजदूरी को पेंशन बढ़ा सके इसके लिए भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

सभापित महोदय, मैं जब इएसआईसी के अस्पतालों को देखता हूं मुझे चिंता होती है। माननीय मंत्री जी आप उन अस्पतालों की हालत देखिए तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है कि 2015 में अंदर अग्रणी स्वास्थ्य योजना शुरू की है लेकिन और बेहतर चिकित्सा सुविधा हम कैसे दे सकते हैं इसकी भी कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और बोनस भुगतान संशोधन 2015 योजना लाए हैं, बोनस भुगतान में दस हजार रुपये से इक्कीस हजार रुपये और साढ़े तीस हजार रुपये से साठ हजार तक की कार्य योजना लाए हैं। हमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से बात करके इस देश के असंगठित मजदूरों को हम किस तरीके से सुरक्षित कवच दे सकते हैं इसकी कार्य योजना बनाना चाहिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मेरे मित्र प्रेमचन्द्रन जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक अच्छे विषय पर संकल्प लाकर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ काम करता रहा हूं। मुझे लगता है कि प्रेमचन्द्रन जी को केरल चुनाव जरूर ध्यान में रहा है। वह कानून के अच्छे जानकार हैं। मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने सदन के सामने रखकर मांग प्रकट की है। आंकड़े पर बहुत बहस हो सकती है। मैं एक संगठित मजदूर और दूसरा असंगठित मजदूर की बात करना चाहता हूं, पीएफ सभी का नहीं कटता। सरकार के पास जो राशि पड़ी है यह उन लोगों की है जब पीएफ नम्बर ठेकेदार का होता था मज़दूर का नहीं होता था। लोग बुंदेलखंड से चलकर दिल्ली आते थे और दिल्ली में काम करके चले जाते थे, पीएफ कट जाता था और कोई क्लेम करने के लिए लौटता नहीं था। यह मेहनतकश लोगों का पैसा है, वह गिरकर मर जाते थे लेकिन उनका पीएफ नम्बर नहीं होता था, उसे ठेकेदार लेकर आता था उसके बाद कोई उनको क्लेम नहीं मिलता था, ठेकेदार की मर्जी से जितना मिल गया उतना ठीक है और वह वापस चले जाते थे। इस सरकार ने एक बड़ा काम किया है, जो मजदूर क्षेत्र के लिए काम करने वाले लोग है अगर वे गैर राजनीतिक मानसिकता के हैं तो उनको आदरणीय मोदी जी की सरकार को हृदय से धन्यवाद करना चाहिए। 1997 में जो कानून पेंशन का बना है और उसके बीच में सरकार में आपके विचाराधारा के लोग भी साथ में रहे लेकिन वह पेंशन को 1000 रुपये नहीं कर पाए। प्रस्ताव पारित कर देना अलग बात है लेकिन उसके धनराशि चाहिए वह नहीं कर पाए। अगर कोई बधाई का पात्र है तो वह मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने 1000 रुपये पेंशन का एलान करके उसे क्रियान्वयन करने का काम किया। मैं अपने को सोलंकी जी के साथ संबद्ध करता हूं, लगभग 6 करोड़ लोग भटकते थे और वह पेंशन 100 रुपये होता था वह इसलिए लेने नहीं आता था कि बस का किराया उससे ज्यादा होता था। वह आज ऑनलाइन पेंशन ले सकता है और वह हजार रुपये हो गई है, हालांकि इससे संतुट नहीं हुआ जा सकता लेकिन उसकी सराहना जरूरी की जा सकती है। ब्याज दर की बात होती है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ब्याज दर इस सरकार ने बढाई है, एक बार अटल जी की सरकार आई थी तब कुछ परसेंटेज में ब्याज दर बढ़ी थी। आज 8.8 हुई है बीच विवाद हुआ था प्रधानंत्री जी के हस्तक्षेप से ठीक हो गया।

सभापित महोदय, मैं सोचता हूं कि हम किन बातों पर कहना चाहते हैं। आखिर मुझे लगता है कि जिस 1000 रुपए की पेंशन की मैं बात कर रहा हूं, उसकी हम लोग मांग करते थे। जब मैं मजदूरों के बीच में काम करता था, उस समय हमारा जो एजेंडा था, जिसे हमने कहा था कि यह हमारा चार्टर है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वह चार्टर, इस सरकार का दो साल का समय पूरा नहीं हुआ और मेरे मजदूर

महासंघ के चार्टर को इस सरकार ने पूरा कर दिया। इसिलए मैं तो इस सरकार को धन्यवाद दूंगा। मैं इस सरकार को इसिलए धन्यवाद नहीं दे रहा हूं कि मैं इस पार्टी का सदस्य हूं, बिल्क इसिलए कि जब हम मजदूरों के बीच में काम करते हैं, तो सिर्फ दलीय विचार नहीं होता। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की विचारधार होती है और उसे इस सरकार ने पूरा किया है।

महोदय, कभी ऐसा अवसर आएगा जब विचारधाराओं पर बोलना पड़ेगा, तो इसका दावा सिर्फ हम कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का विचार अगर किसी विचारधारा का है, तो वह पं. दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा जो एकात्म मानव दर्शन का है। वह कहीं और नहीं मिल सकता। जो मजदूरों की बातें, वर्ग संघर्ष के लिए कर सकते हैं। हम अगर वेज की बात करेंगे, तो वर्ग संघर्ष को ध्यान में रखकर करते हैं। मैं इसे सामाजिक सुरक्षा की गारंटी का मामला नहीं मानता, बल्कि मैं यह मानता हूं कि वर्ग संघर्ष के लिए अगर हम किसी के वेतन और भत्ते की बात करें, तो ये तो टकराव की बातें हैं। इसलिए मैं इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमें मजदूरों की समस्याओं को देखने के अपने नजरिए में कहीं न कहीं बदलाव की जरूरत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बदलाव की जरूरत इसलिए नहीं है कि वह हमारा वोट बैंक है, बल्कि हमें उसके इस आधार का भी विचार करना पड़ेगा कि वह उस मानसिक गुलामी और भिक्षावृत्ति से कब बाहर आएगा।

महोदय, मैं इस मामले में इस सरकार की 'अटल पेंशन योजना' को जरूर आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं, जिसमें सरकार ने कहा कि आपकी उम्र 18 साल है। आप चाहे जिस हैसियत में हैं, चाहे मजदूर हैं, किसान हैं, पढ़ रहे हैं, इसका विचार नहीं किया, बल्कि कहा गया कि आपका शरीर साथ दे रहा है, इसलिए आप 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक, जितना भी कमाते हैं, आप कमाइए, लेकिन उसका एक हिस्सा, सरकार के पास इन्वेस्ट करिए और आप 40 से 60 साल तक, जमा पूंजी से जीवन-यापन करें। बाद में साठ वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 5000 रुपए महीने की पेंशन का इंतजाम हो जाएगा। आपको पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी सरकार के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों के सामने किसी को गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा तंत्र स्थापित करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये चीजें जरूरी हैं।

सभापित महोदय, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ने उम्र को लेकर एक और बात कही है कि कट एज, 50 वर्ष की जगह 54 वर्ष कर दी है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका दूसरा पक्ष भी उन्हें बोलना था कि इन्वेस्टमेंट को 3 परसेंट से 4 परसेंट पर भी बढ़ाया जाएगा, फिर आपको उसमें भी इस बात को जोड़ना चाहिए था। ऐसा कई बार होता है कि जो हमारे लिए सुविधा जनक होता है, हम वही बात

कहते है और उसका दूसरा पक्ष नहीं कहते। हमारे एक मित्र ने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि जो पेंशन बनाने का तरीका रहा है, वह निश्चितरूप से दोषपूर्ण है, मैं इस बात को मानता हूं। अगर नहीं होता, तो मोदी सरकार को 1000 रुपए की पेंशन का ऐलान नहीं करना पड़ता। यदि मूल वेतन के आधार पर पेंशन का फैसला होगा, तो आप यह बात मानकर चिलए कि वह कभी न्यायसंगत नहीं हो सकता। कभी न कभी तो आपको उसे एक समय-सीमा के अंदर रिवाइज करना पड़ेगा, अन्यथा जो समान वेतन की परिस्थिति बनती है, वह नहीं बन पाएगी।

सभापित महोदय, मेरा दूसरा आग्रह है कि जिस पैसे की बात, मोदी सरकार ने कही है कि हमारे पास कोई कहता है कि 27 हजार करोड़ रुपए है, श्री प्रेमचन्द्रन जी की नजर में वह 50 हजार करोड़ रुपए हो सकती है, लेकिन उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, परन्तु इस सरकार ने फैसला किया कि उस पैसे से हम गरीब आदमी के आवासों को बनाने का काम करेंगे। मैं इस नाते मोदी सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, मैं दो-तीन बातें जरूर कहूंगा कि कुछ विसंगतियां हैं, जिन्हें ठीक करने की जरूरत है और अब यह समय की मांग है। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं। उन्होंने मिनीमम वेज को भी ठीक करने की बात कही है। मैं चूंकि एश्योरेंसेस कमेटी में हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि इस बारे में बहुत सारे एश्योरेंसेस हैं। वेतन के मामले को लेकर बहुत सारी बातें हैं। मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा।

महोदय, न्यूनतम वेतन के बारे में आज तक कोई पैमाना नहीं बनाया गया है और इस सदन में लगातार एश्योरेंसेस दी जाती हैं, जो कभी पूरी नहीं होतीं। इसिलए मुझे लगता है कि मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसमें इसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार करने की बात नहीं कही गई है। यदि किसी चीज पर बहस होनी है, तो इस पर होनी चाहिए। मैं एक किसान हूं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि किसान घाटे की खेती कर रहा है। इस देश की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो भूगर्भीय परिस्थिति है, उस आधार पर इस देश में कभी भी एकसमान वेतनमान नहीं हो सकता। शहरों और गांवों के आधार पर भी नहीं हो सकता। वह कहीं न कहीं उस बारे में हिन्दुस्तान के पूरे नक्शे को देखकर, उसकी जरूरतों को देखकर, वहां काम करने वाले मजदूरों को देखकर तय किया जा सकता है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

इसलिए नहीं कि मैं सनातनी हूं। मैं यह दूसरे कारणों से करता हूं, क्योंकि बुन्देलखंड में आवारा पशुओं से खेती बचती नहीं है। लेकिन क्या इसका विचार नहीं करना पड़ेगा? यदि मैं किसी मजदूर को 200 रुपये दिन का देकर कहूं कि वह गोबर उठाने का काम कर ले, तो वह 200 रुपये में खेत, दुकान में काम कर लेगा, लेकिन गोबर उठाने का काम नहीं करेगा, जबकि वह एक दृष्टि से बड़ा अच्छा काम है। इसलिए

मुझे लगता है कि कई बार ऐसे क्षेत्र भी होंगे, जो देश की जरूरत हैं। लेकिन मजदूर उतने ही पैसे में अगर उससे कम मेहनत का काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो इन पर भी विचार करना पड़ेगा। इसलिए वेतनमान तय करना है, वेज तय करना है, तो न सिर्फ कार्य, बल्कि कार्य के तरीके के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करने की जरूरत है।

सभापित महोदय, अब बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैं सरकार को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के लोगों के बारे में विचार किया है, उसके लिए मोदी सरकार बधाई की पात्र है। यह विषय चर्चा के लिए जरूरी है, चाहे संगठित क्षेत्र का मजदूर हो या असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो। मैंने एक स्लोगन दिया था कि श्रमेव साधनम्, यानी श्रम के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। जब हम जीवन में अपने, समाज और देश को खड़ा कर सकेंगे, तभी श्रमेव जयते होगा।

सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और फिर से प्रेमचन्द्रन को धन्यवाद देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): सभापित महोदय, जो संकल्प माननीय एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार व माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने कर्मचारियों की चिंता करने का कार्य किया है। उन्होंने न्यूनतम पैंशन बढ़ाकर उसे एक हजार रुपये करने का काम किया है। करीब 27 हजार करोड़ रुपया, जो कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा वर्षों से पड़ा था, उसे कर्मचारियों के हित में उपयोग करने का फैसला लिया गया है।

सभापित महोदय, मैं सरकार और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में संशोधन का प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत कवरेज के लिए सीमा रेखा 20 से घटाकर 10 कर्मचारियों का प्रस्ताव आपके पास विचाराधीन है। इससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, इसलिए आपको इसे शीघ्र लागू करना चाहिए।

सभापित महोदय, मैं श्रम मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी पहल से निष्क्रिय पड़े पी.एफ. के खातों पर एक अप्रैल से ब्याज देने का फैसला किया गया है। इससे नौ करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसमें 32 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जमा थे। यूपीए सरकार के समय में वर्ष 2011 में इन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें सिक्रय करके उन पर ब्याज देने का निर्णय लिया है।

मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि ई.पी.एफ. के कैडर का पुनर्गठन करने का जो फैसला उन्होंने लिया है, उससे 19 साल से पदोन्नित की प्रतीक्षा कर रहे 20 हजार कर्मचारियों को लाभ होगा। बोनस का भुगतान, संशोधन अधिनियम, 2015 के द्वारा पात्रता की सीमा जो दस हजार रुपये थी, उसे 21 हजार रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है और गणना की सीमा जो 35 सौ रुपये थी, उसे बढ़ाकर 60 हजार रुपया किया गया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बदलाव से लाखों श्रमिकों को लाभ होगा।

सभापित महोदय, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से अगले तीन वर्षों में एक करोड़ अकुशल श्रमिकों एवं युवाओं को प्रशिक्षण देने का जो निर्णय लिया गया है, उसके लिए भी मैं माननीय वित्त मंत्री, माननीय श्रम मंत्री जी और सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

सभापित महोदय, जुलाई, 2015 में एक राष्ट्रीय कैरियर सेवा प्रारंभ की गयी है। इसके अंतर्गत सन् 2016-17 के अंत तक सौ मॉडल कैरियर केन्द्रों की स्थापना करने का जो निर्णय लिया गया है। इससे निश्चित तौर से हमारे श्रमिकों और कार्य करने वाले इच्छुक युवाओं को लाभ होगा।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पी.पी.एफ. और ई.पी.एफ. पर ब्याज दरें कम न की जाये, जिससे हमारे कर्मचारी बंधु निश्चिंत

होकर अपनी सेवाएं प्रतिठानों और राष्ट्र की सेवा में लगा सकें। इसमें जो थोड़ा परिवर्तन किया गया था, उससे लोगों को तकलीफ हुई हैं। उनकी ब्याज दरें भी कम की गयी हैं। मेरा अनुरोध है कि इसकी ब्याज दरें स्थिर रखनी चाहिए और समय के साथ उसे बढ़ाने का काम करना चाहिए।

सभापित महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि आयकर राहत की जो सहुलियतें अस्थायी दी जा रही हैं, उन्हें स्थिर करना चाहिए। इसके साथ-साथ जिन लोगों ने दस साल तक नियमित नौकरी नहीं की, अब होता यह है कि जिन लोगों ने टुकड़ो-टुकड़ों में नौकरी की होती है, उन्हें पैशन का लाभ नहीं दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी टुकड़ों-टुकड़ों में भी दस साल तक की है, तो उन्हें भी पैंशन देने का काम करना चाहिए। इसके लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है, इसे सरकार को निश्चित तौर पर लागू करना चाहिए।

हमारी सरकार पीपीएफ एकाउंट पर स्कीम लागू करने जा रही है, एक कर्मचारी, एक पीपीएफ एकाउंट। इसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इसके लागू होने से कर्मचारियों को लाभ होगा।

मैं सरकार से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि असंगठित मजदूरों की चिंता करने की जरूरत है। मैं बुन्देलखंड से आता हूं, वहां से लोग काम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। यह विषम परिस्थितियों और सूखे का प्रदेश है। वहां के छोटे बच्चों को भी एसिड में हाथ डालना पड़ता है और उनको पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती है। यहां तक कि कुछ ठेकेदार लोगों को ले जाते हैं, काम करवाते हैं, ईंट भट्टों में काम करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन पूरी मजदूरी नहीं देते हैं और उनको बंधक तक बना लिया जाता है। आपको ऐसे मजदूरों की चिंता करने की आवश्यकता है।

महोदय, मनरेगा की मजदूरी वर्तमान दर से बहुत कम है। गांव के रोजगार में मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपए कर देंगे तो जरूर गांवो में लोगों को रोजगार मिलेगा। मनरेगा में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं, ऐसा करने से लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र की चिंता दूर होगी।

में संकल्प का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR): Thank you, hon. Chairman Sir.

First of all, I would thank Shri Premachandran for bringing in such a nice Resolution regarding the pension of EPF employees. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने सरकार में आने के पश्चात् 44 से ज्यादा श्रम से संबंधित कानूनों को एक कोड़, एक संहिता के रूप में बना दिया। लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। मेरे साथियों ने भी कहा है और इसके लिए हमें विशेष रूप से धन्यवाद देना होगा कि पहली बार मजदूरों के बारे में, पेंशन के बारे में माननीय प्रधानमंत्री और सरकार ने सोच की और जो पैसा बेकार पड़ा था, जो अनक्लेम मनी था, 27000 करोड़ से ज्यादा पैसे का यूज कैसे किया जाए, इस पर ध्यान दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि लेबर एक्ट में संशोधन करके हर एक आदमी, जिसने भी 90 दिन से ज्यादा काम किया है, आर्गेनाइज और अनआर्गेनाइज सैक्टर में किया है, को युनीक नंबर दिया है। इससे यह फायदा होगा कि वह देश में कहीं भी काम करेगा तो कम से कम उसका पैसा तो समय पर मिलेगा। इस बात को सुनिश्चित किया गया है।

महोदय, पेंशन के मामले में हालांकि प्रेमचन्द्रन जी ने 3000 रुपए की मांग की है, समय की आवश्यकता के अनुसार यह बढ़ेगी लेकिन आज की तारीख में न्यूनतम पैसे की जगह 1000 रुपए का निर्णय लिया है, लागू किया है, यह सबसे उचित है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। पेंशन हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी कुछ और निवेदन भी करना चाहता हूं कि स्ट्रिक्ट मानिटरिंग इस होनी चाहिए। जब 40 आदमी थे तो 20 से कम बता रहे थे, अब आपने यदि 10 कर दिए हैं, अभी हुआ है या नहीं, मुझे पता नहीं है, यदि आपका 10 का इरादा है तो कम से कम एन्श्योर करें और मानिटरिंग सिस्टम मजबूत करें तािक हर कंपनी सही फिगर बताए। कंपनी अपना रिजस्ट्रेशन सही कराए और मानिटरिंग हो। मैंने कई प्राइवेट सैक्टर और आर्गेनाइजेशन्स देखी हैं कि वह सही जानकारी नहीं देती हैं।

महोदय, मैं विड्राल के बारे में कहना चाहता हूं, हालांकि पेंशन के बारे में प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि उम्र 58 साल तक कर दी, वह बीच में न निकलवाए और एक आदमी कन्टीन्यु सर्विस में रहे, इसके यही दो कारण हैं। उसे लोन के रूप में 100 प्रतिशत विड्रा करने की छूट है। वह अपना पूरा पैसा बेटी की शादी में या किसी और सामाजिक रीति-रिवाज में निकलवा सकता है। यह फैसिलिटी एम्पलाइज़ को दी हुई है। यह जरूरी नहीं है कि एज़ कम की जाए। सरकार ने जो आयु सीमा रखी है, बहुत सोच कर रखी होगी और लोन की भी अच्छी सुविधा दे रखी है। जैसा मेरे साथियों ने कहा कि सौ-सौ रुपए ऐसे ही लग जाते हैं, क्योंकि पेंशन लेने जाना पड़ता था। मेरा निवेदन है कि बैंक्स की शाखाएं ज्यादा से ज्यादा खोली जाएं

जिससे कि पेंशन लेने के लिए लोगों को दूर न जाना पड़े। एटीएम की सुविधा भी हर जगह होनी चाहिए। जब उनके खाते में पैसा आएगा तो बैंक भी उन्हें जाना ही पड़ता है। अगर एटीएम पास होगा तो उनका समय और पैसा दोनों बच सकता है।

मंत्री जी सदन में बैठे हैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लोन का प्रोसेस भी सिम्पल होना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। प्रेमचंद जी ने बहुत बातें कह दी हैं। उनका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है। उनकी कुछ बातों के लिए तो पूर्ण समर्थन है और कुछ बातें जो वे कहना चाहते हैं उससे ज्यादा हमारी सरकार ने पहले ही कर दी है। पहले श्रमिकों को जो बहुत कम मिलता था, वे मुश्किलें पहले ही मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने कम कर दी हैं। वर्ष 1995 के पेंशन रूल्स बहुत पुराने हो चुके हैं। आपने जो सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि एक कमेटी बनाकर देख लिया जाए कि वास्तव में इसके रूल्स में संशोधन की आवश्यकता है तो वह अवश्य किए जाने चाहिए।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली): महोदय, आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। प्रेमचंद्रन जी ने निम्नलिखित स्टैप्स लेने के लिए अर्ज किया है -

- "Restore the benefits of commutation
- Provide pension to the beneficiaries of Employees Provident Fund pension
- Ensure payment of full pension to pensioners as per the Employees' Pension Scheme, 1995
- Increase minimum pension to Rs.3000 per month
- Implement welfare schemes
- Revise the whole Employees Pension Scheme; and
- Extend Employees Pension Scheme, 1995 to various other sectors."

महोदय, जब भारत का संविधान बना था, उस समय हमारे देश में जो सोच थी, उसी के तहत हमने भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने सोच कर रखे थे कि भारत में पीएफ और पेंशन जैसी स्कीम व इक्वल पे फार इक्वल वर्क लागू हो। समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उसकी भलाई सोच कर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी भारत के संविधान में दर्जा दिया गया लेकिन 65 साल बीतने के बाद भी जिस तरह से पेंशन भागी का जो ग्रुप है, वह बहुत लिमिटेड था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाज के अंतिम छोर में बैठे आदमी के लिए यह सोचा। 10 परसेंट लोग पेंशन लेते हैं, 90 प्रतिशत लोगों को पेंशन नहीं मिलती है क्योंकि वे असंगठित सैक्टर में काम करते हैं या ऐसे सैक्टर में काम करते हैं जहां पेंशन की स्कीम नहीं है। इस बात को सोच कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अटल पेंशन स्कीम व सोशल सिक्योरिटी की स्कीम बनाई है, यह अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम है और 65 साल के बाद पहली बार मजदूर के लिए, गरीब के लिए सोचा गया तो यह पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा सोचा गया, यह बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं कि पेंशन के बारे में सोचा।

HON. CHAIRPERSON: Chaudhary ji, you many continue next time.

Now it is 6 o'clock. There are many Members who want to speak during 'Zero Hour'. If the House agrees, we will extend the time by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes

18.00 hours

HON. CHAIRPERSON: Now we will take up 'Zero Hour'.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासी श्री संतोष कुमार सोनी, जो एक बहुत ही गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, जिनकी मासिक आय लगभग चार हजार रुपये से अधिक नहीं है, की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

18.01 hours (Shri Ramen Deka *in the Chair*)

उनके घर से सटे एक खाली प्लॉट में बीएसएनएल के एक कर्मचारी द्वारा बीएसएनएल का टावर लगाया गया, जिसमें 11 हजार के.वी. बिजली की सप्लाई होती है। चूंकि उसी में उसकी पुत्री पलक सोनी इसी टावर से दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसके कारण वह दोनों हाथों से अपंग हो गयी और वह पूरी तरह से विकलांग हो गयी। उसका ऑपरेशन लगभग 17 बार किया जा चुका है। फिर भी उसकी स्थिति ठीक नहीं हुई है।

पलक सोनी के उपचार में अस्पताल में काफी रुपये व्यय हुए और न्यायालय से न्याय पाने की कार्यवाही में भी काफी पैसा व्यय हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसकी किसी प्रकार की सहायता न बीएसएनएल विभाग द्वारा की गयी और न ही मंत्रालय द्वारा कोई सहायता की गयी, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गयी है।

इलैक्ट्रिक सप्लाई अथारिटी, जिसके द्वारा वहाँ पर बिजली की सप्लाई होती थी, उसके द्वारा भी उसे कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि पलक सोनी, जो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण दोनों हाथों से अपंग हो गयी है, की आर्थिक सहायता की जाए तथा बीएसएनएल के उस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और वहाँ पर अवैध तरीके से जो टावर लगाया गया है, उसको तत्काल वहाँ पर से हटाया जाए। सरकार के द्वारा भी उसे आर्थिक सहायता पहुंचायी जाए, मेरी यह मांग है।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Kaushal Kishore.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Sir, nearly 1050 employees working in the Hindustan Antibiotics Limited, which is the first pharmaceutical Company established by the Government of India in the year 1954 at Pimpri near Pune, Maharashtra, are not getting their salaries on month to

month basis. As on today, 18 months' salaries are due to be paid by the Central Government owned Company resulting into almost starvation condition of those employees and their family members.

Sir, the miserable conditions of those employees are being published in the daily newspapers published from Pune and Mumbai. To save 1050 employees and their family members, I strongly demand that the Ministry should ensure, at least, the payment of wages as per the Payment of Wages Act on a monthly basis.

It is to be mentioned here that last year also I raised this issue on the floor of the House and at that time hon. Union Minister of Chemical and Fertiliser, Shri Ananth Kumar, had assured the House that the situation would be normalized soon but all that is in vain.

I urge upon the Government to mitigate their problems immediately and save the employees of this establishment.

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Sankar Prasad Datta.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): सभापित महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दो जनपद आते हैं- बाँदा और चित्रकूट। बाँदा जिले में केन्द्रीय विद्यालय काफी पहले खोला गया था, लेकिन अपना भवन न बन पाने के कारण एवं राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जमीन उपलब्ध न कराने के कारण बन्द हो गया है। अस्तु, उक्त बाँदा जनपद केन्द्रीय विद्यालय की सुविधा से वंचित है।

इसी तरह चित्रकूट जनपद में केन्द्रीय विद्यालय वर्तमान में नगरपालिका परिषद के रैन बसेरा, सीतापुर में चल रहा है। इसके लिए जमीन भी नगरपालिका से सटे डिलौरा ग्राम सभा में कलेक्ट्रेट के पास दे दी गयी है और विभाग के नाम रिजस्ट्री भी कर दी गयी है, लेकिन केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय अधिकारी उस जमीन पर कब्जा लेकर वहां निर्माण कार्य नहीं करा रहे हैं, वे हीला-हवाली कर रहे हैं। कई बार इस हेतु मैंने मानव संसाधन समिति की बैठक में भी बात उठाई, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त से भी मैंने कई बार कहा, वर्तमान आयुक्त मल्ल जी से भी कई बार लिखा-पढ़ी की गयी है, लेकिन वहां पर अभी काम शुरू नहीं किया गया है, उस जमीन का कब्जा नहीं लिया गया है। नगरपालिका परिषद वहां से वह विद्यालय हटाने के लिए बार-बार दबाव डालती है। इस प्रकार से चित्रकूट जनपद का भी यह केन्द्रीय विद्यालय बन्द हो जाएगा।

अस्तु, आपके माध्यम से मैं सरकार से और मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बाँदा जिले में बन्द स्कूल को शुरू कराएं और चित्रकूट में जो जमीन केन्द्रीय विद्यालय के लिए ली गयी है, उसका कब्जा लेकर वहां शीघ्र निर्माण शुरू कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Bhairon Prasad Mishra.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Hon. Chairman, Sir, Mahatma Jyotirao Govindrao Phule was a pioneering social reformer. He campaigned extensively against the injustices of the caste system and for the rights of the lower castes and women. In 1851 he opened India's first school for girls and asked his wife Savitribai Phule to teach the students. He went to establish more such schools for girls and even opened an indigenous school for the Dalit castes or Mahars and Matangs. He championed the cause of widow remarriage, fought against female infanticide and even opened his own house to Dalits as part of his drive against untouchability.

Mahatma Phule was unsparing in his critique of Brahmanical orthodoxy and fanaticism. He published several works – notably *Ghulamgiri*, which highlighted the oppression against lower castes. His social reform against idolatry and superstitious practices were pioneering efforts that inspired many other social reformers across the country.

One of the criteria for awarding the Bharat Ratna is 'public service of the highest order'. Mahatma Phule ranks alongside towering personalities of modern India. In recognition of this, I request the Government to award him a Bharat Ratna.

HON. CHAIRPERSON: Shri P. P. Chaudhary and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri B. Vinod Kumar. श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं जिस इलाके - संथाल परगना, झारखण्ड से आता हूं, वहां 75 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसकी स्थिति बुंदेलखण्ड और लातूर से भी ज्यादा खराब है।

वहां की 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं एनीमिक हैं, 69-70 प्रतिशत बच्चे एनीमिया के शिकार हैं, कुपोषण

के शिकार हैं। वहां एक भी उद्योग-धन्धा नहीं है। हमारा कोयला पंजाब चला जाता है, बिहार चला जाता है, बंगाल चला जाता है। हमारा पानी बंगाल चला जाता है। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जिस तरह आपने बुंदेलखण्ड के लिए पैकेज दिया है, कालाहांडी का पैकेज दिया है, उसी तरह से संधाल परगना के लिए विशेष पैकेज दें। वहां पहले से ही एक अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट घोषित है, पिछले तीन साल से वह सैंक्शन्ड है, लेकिन शुरू नहीं हो पा रहा है। झारखण्ड सरकार वहां एम्स देना चाहती है, उसके लिए लैण्ड दे दी गयी है, आज भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि झारखण्ड एक्टिव कंसीडरेशन में है तो वहां एम्स की स्थापना हो क्योंकि कैंसर और टी.बी. के सबसे ज्यादा मरीज वहां हैं।

सभापित महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर, जो संथाल परगना को क्रॉस करने वाला था, जसीडीह और मधुपुर से क्रॉस करने वाला था, उसके एलाइनमेंट को इन्होंने बख्तियारपुर से बदल दिया है और अब उसे हजारीबाग होकर ले जा रहे हैं। वह इलाका पहले से फर्टाइल और डेवलप्ड है, मैं नहीं कहता हूं कि उस इलाके का विकास न हो, लेकिन धनबाद, हजारीबाग या कोडरमा आदि का पहले से डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन हमारा यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ है और बिहार का भी कुछ इलाका है-जमुई, बांका और भागलपुर से सटा हुआ इलाका। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर का जो एलाइनमेंट बदल दिया गया है, उसे संथाल परगना होकर ही ले जाया जाए। अगर यह कॉरीडोर बन जाता है तो निश्चित तौर पर उद्योग-धन्धे लगेंगे, वहां से लोग विस्थापन नहीं करेंगे, वहां के लोग पलायन नहीं करेंगे और वे जो बेदर्दी एवं गरीबी की जिन्दगी जी रहे हैं, उससे उनको मुक्ति मिल सकेगी। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अतिमहत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन एसोचैम ने आगाह किया है कि वर्ष 2018 तक भारत में हर साल 30 लाख मीट्रिक टन कचरे का उत्पादन होगा। इसके सुरक्षित उत्पादन के लिए यदि अभी से कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो बाद में इसकी व्यवस्था कर पाने में बहुत कठिनाइयां आएंगी। देश में लगभग 18.5 लाख मीट्रिक टन कचरा निकलता है और इसमें दस साल से लेकर 15 साल तक बच्चे इस कचरे को चुनने और तत्व निकालने में शामिल होते हैं। उनकी जिंदगी यूं ही व्यतीत हो जाती है और वे कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं इस कचरे से होने वाले नुकसान का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि लगभग 38 प्रकार के रसायनिक तत्व इसमें शामिल होते हैं और बहुत सारे

रसायनिक तत्व तो ऐसे होते हैं जिनका रिसाइकिलंग नहीं किया जा सकता है। जिसका प्रभाव मिट्टी की गुणवत्ता से लेकर के हमारे शरीर पर भी पड़ता है। यद्यपि भारत सरकार ने इस संबंध में वर्ष 2012 में ई-कचरा प्रबंधन और संचालन नियम, 2011 लागू किया था, लेकिन इसका प्रभावकारी ढंग से ईम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण, वन विभाग और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ई-कचरे के निबटारे की लापरवाही को गम्भीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए तथा उसके निपादन की जिम्मेदारी उसी कम्पनी को दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Sharad Tripathi, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, are permitted to associate with the issue raised by Shri Vishnu Dayal Ram.

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल): महोदय, मैं आपका ध्यान अतिमहत्वपूर्ण विषय सिंथेटिक मैंथोल का व्यापक बढ़ता आधार से प्राकृतिक मैंथोल का अस्तित्व बरकरार रख पाने की चुनौती से निपटते भारतीय किसानों की ओर से आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदय, भारतीय मैंथा ऑयल एवं उद्योग एक निर्यातोन्मुख उद्योग है। देश में लगभग 25 से 30 लाख किसानों जिनमें प्रमुखतः भारतीय मैंथा उद्योग में एक खास स्थान रखने वाला मेरी लोक सभा क्षेत्र सम्भल, उत्तर प्रदेश सहित बिहार, पंजाब व मध्य प्रदेश में यह लघु व छोटे उत्पाद ही जीविका का एक मात्र साधन है। इसके निर्यात से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होता है। मैंथा की खेती करके किसानों द्वारा मैंथा ऑयल का उत्पादन किया जाता है जो कि बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों एवं फार्मा उद्योग में एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। हाल ही में कुछ विदेशी कम्पनियां नई तकनीकों का प्रयोग करके पेट्रोलियम पदार्थों व केमिकलों द्वारा सिंथेटिक मैंथोल का निर्माण कर रही हैं और सिंथेटिक मैंथोल को भारतीय बाजार में प्राकृतिक मैंथोल की तुलना में काफी कम मूल्य पर बेच रही हैं। इसका दुष्प्रभाव भारतीय विदेशी विनमय पर भी पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 5514.28 करोड़ रुपये, वर्ष 2013-14 में 4526.80 करोड़ रुपये अर्जित विदेशी मृद्रा है। इसमें भारी गिरावट आयी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि किसानों और भारतीय मैंथा उद्योग के हित में सिंथेटिक मैंथोल आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जाए ओर भारतीय मैंथा की उन्नत प्रजाति यथाशीघ्र उपलबध कराने की कृपा करें। जिससे यहां का किसान मैंथा उत्पादन में प्रति हेक्टेयर में वृद्धि होने पर बाजार की प्रतिस्पर्द्धा में कम मूल्य पर भी मैंथा ऑयल बेचकर अपने परिवार की आजीविका चला सके।

श्री पी.पी.चोधरी (पाली): सभापित जी, सेंट्रल पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेज की सभी कम्पनियों को सीएसआर कमेटी बनाना आवश्यक है, जिसका कार्य कम्पनियों के लाभ के कुछ हिस्से को सामाजिक सुधार में खर्च सुनिश्चित करना है। ऐसा पाया गया है कि कुछ कम्पनियों द्वारा सीएसआर के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि कुछ नवरत्न जैसी बड़ी कम्पनियां भी सीएसआर के तहत बजट को अत्याधिक कम मात्रा में आवंटित कर रही हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि कुछ कम्पनियां बजट तो आवंटित कर रही हैं परंतु पूर्ण मात्रा में खर्च नहीं कर रही हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि महारत्न, मणिरत्न और नवरत्न जैसी पूरे देश में व्यापार करने वाली कम्पनियों के द्वारा सीएसआर के माध्यम से कराए जाने वाले कार्य एक सीमित क्षेत्र के लिए नहीं होने चाहिए। अनेकों प्रस्तावों को कम्पनियां यह कह कर लौटा देती हैं कि वह स्थान उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में देश के वे जिले जहां एक भी पीएसयू नहीं है उनकी पहचान केवल पिछड़े जिलों के रूप में ही रह जाती है। वर्तमान में सीएसआर निर्देश में भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर प्राथमिकता से ध्यान देने का प्रावधान नहीं है।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि लोक उद्यम विभाग द्वारा सीएसआर के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Devji M. Patel, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, and Shri Sharad Tripathi are allowed to associate with the matter raised by Shri P.P. Chaudhary.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to take part in the 'Zero Hour'. It is the most important topic that I am going to talk which is the problem of every M.P. in the Lok Sabha and Rajya Sabha also.

The Ministry of Rural Development has constituted Vigilance and Monitoring Committees at the district level. In these Committees one M.P. is appointed from each district as Chairman of this Committee and the other MPs are the co-Chairmen of this district. Proper procedure is not being followed for the meetings that are conducted at the district level.

Beyond all that, MPs are not aware as to what are the funds that are being received in the respective constituencies. So, there is no communication from the

Government of India that so and so funds are sent from the Government of India and that they have to be monitored. There is no proper procedure that has been given to the Members to conduct these reviews. So, the meetings are conducted just like General Body meetings or Zilla Parishad meetings.

I actually wanted to bring to the notice of this august House that procedures have to be followed and Members have to be intimated.

I would like to make one more small request to the Government. I would request the Minister of Rural Development, through you, that in order to ensure qualitative conduct of meetings, procedures should be followed and the Reports should be submitted in a uniform proforma and responsibility should also be fixed on the officers. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Shri P.P.Chaudhary, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prashad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kothapalli Geetha.

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दोली): सभापित महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे समय में यह बहुत अर्जेन्ट मामला सामने आया है। मैं और माननीय विनोद सोनकर जी हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हम लोग वहां गये थे। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है।

आर.टी. एक्ट, 2009 बाल शिक्षा अधिनियम 6 से 14 वी के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है। उसे सुनिश्चित कराना केन्द्र सरकार का कर्तव्य है और केन्द्र सरकार ऐसा कर भी रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि वहां 2011 में टीईटी पास 1 लाख 19 हजार से ज्यादा शिक्षक पढ़े हुए हैं और जबिक उत्तर प्रदेश की विधान सभा में एक सवाल के जवाब में दिया गया है कि उनके पास तीन लाख से अधिक पद रिक्त हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का क्या छिपा हुआ एजेंडा है कि 2011 से पास अध्यापकों के रहते हुए, जिनका टर्म अभी नवम्बर, 2016 में समाप्त हो जायेगा, उसके बाद उनके जीवन में अंधेरा छा जायेगा। इन वर्षों में उन्होंने जगह-जगह छोटे-बड़े स्कूलों में पढ़ाकर अनुभव प्राप्त करने के साथ अपना स्किल भी डैवलप किया है। लेकिन तीन मई की वह काली रात इस उत्तर प्रदेश और देश में भूली नहीं जाएगी कि प्राइमरी के टीईटी पास वे लड़के अपना हक मांगने के लिए धरना दे रहे थे, उनमें महिलाएं थीं और युवा शिक्षक थे। अचानक उनके ऊपर इतना बर्बर लाठीचार्ज किया गया कि उसे देखकर

ऐसा लगा कि जिलयांवाला बाग का जनरल डायर भी फेल हो गया। इस कारण कानपुर की गर्भवती महिला मरणासन्न हालत में पहुंच गई। आज उत्तर प्रदेश में इस अत्याचार से त्राहि-त्राहि मची हुई है। ऐसे अत्याचार के खिलाफ हमारी भारतीय जनता पार्टी का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल वहां गया और वहां के बारे में रिपोर्ट की।

महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त संदेश दें और ऐसे अत्याचारी और आततायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो तथा माननीय मानव संसाधन मंत्री उन बेरोजगार नौजवानों को सर्व शिक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में रिक्त पदों पर नौकरियां दिलाएं। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Rajendra Agrawal, Shri Sharad Tripathi and Shri Vinod Kumar Sonkar are allowed to associate with the matter raised by Dr. Mahendra Nath Pandey.

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द): महोदय, आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन के पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी सऊदी बिन लादेन ग्रुप द्वारा निर्मित की जा रही परियोजनाएं वहां की सरकार द्वारा बंद कर दी गई हैं और इस वजह से ग्रुप तंगी से गुजर रहा है। फलस्वरूप कंपनी ने करीब 70 हजार कामगारों को नौकरी से निकाल दिया है। इनमें से आधे से ज्यादा कामगार भारतीय हैं और उनमें से भी 25,000 लोग राजस्थानी हैं। इन सभी कामगारों को पिछले आठ महीनों से वेतन भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण कामगारों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। अब कंपनी ने सभी कामगारों का एक्जिट वीजा भी जारी कर दिया है। कंपनी को कामगारों के करीब 4394 करोड़ रुपये (660 मिलियन डालर) के वेतन का भुगतान करना है, लेकिन ऐसा करने में कंपनी ने अपनी असमर्थता जताई है। कंपनी के इस रवैये से कामगारों की हालत गंभीर बन गई है।

अतः आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विकट परिस्थिति में सरकार अपने स्तर पर सऊदी सरकार से सम्पर्क कर इन मुसीबतों में फंसे कामगारों को सहायता प्रदान करवाये।

मान्यवर, कल भी यह विषय यहां पर हमारे आदरणीय सदस्य ओम बिड़ला द्वारा उठाया गया था। इस विषय पर सरकार का ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वहां जो कामगार हैं, उनके भूखों मरने की स्थित आ गई है और उनकी स्थिति बहुत खराब है।

HON. CHAIRPERSON: S/Shri C.R. Chaudhary, P.P. Chaudhary, Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Hariom Singh Rathore.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): माननीय सभापित महोदय, हमारे देश के महान समाज सुधारक श्री ज्योतिबा गोविंदराव फुले, जिन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है, ने अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए जीवन पर्यन्त संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में एक गरीब परिवार में हुआ। उन्हें शिक्षा के प्रति बहत लगाव था। उन्होंने स्कॉटिश मिशन स्कूल से 1847 में हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय के बड़े-बड़े सामाजिक रिफोर्मिस्ट के लेखन से प्रभावित हो कर उस समय प्रचलित सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। वे महिला शिक्षा के हामी रहे और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत कार्य किया।

विवाह के पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को शिक्षित किया और दिलत जातियों के उत्थान और उनको शिक्षित करने के लिए फुले ने अगस्त, सन् 1848 में भारत के प्रथम महिला स्कूल की स्थापना की। जाति प्रथा के सामाजिक कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने अपने घर के कुएँ और तालाब सभी के लिए खोल दिए। विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने आवाज उठायी और प्रत्येक जाति की महिलाओं के लिए संस्था का निर्माण कर उन्हें आजाद जीवन जीने का हक दिलाने का प्रयत्न किया। 24 सितंबर, 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसे समाज के हर वर्ग की महिलाओं का समर्थन प्राप्त था।

दिलतों के मसीहा ज्योतिबा फुले के समाज सुधार के कार्यों और बिलदान के फलस्वरूप महात्मा गांधी उन्हें महात्मा ज्योतिबा ज्योतिबा फुले पुकारा करते थे। उनके स्मरण के रूप में जयपुर और मुंबई के अनेक शैक्षणिक संस्थाओं के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। पुणे और मुंबई तथा देश अन्य भागों में कई संस्था, मार्ग और पार्क उनके नाम से जाने जाते हैं।

महोदय, आपके माध्यम से मेरी पार्टी शिवसेना और असंख्य देशवासियों की ओर से सरकार से मेरा अनुरोध है कि महात्मा ज्योतिबा फुले को इस साल में उनके दलित समाज के उत्थान और महिला शिक्षा कार्यों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न अवार्ड से नावाजा जाए।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Rahul Shewale.

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Mr. Chairman, Sir, Bangladesh border fencing issue is a long pending demand of the people of

Assam. Construction of fencing with barbed wire is still incomplete due to various reasons at 263 kms. of land border between India and Bangladesh in the State of Assam. To prevent illegal migration of people from Bangladesh and also to prevent smuggling of livestock's food items and drugs, it was announced that border roads with flood lights and fencing will be constructed within a stipulated time. It is strange that for 30 years the Government is struggling with the border issue, but the fencing work has not been completed in the districts like Karimganj, Dhubri and other parts of Assam. The riverine border of 44 kms. in Karimganj and Dhubri districts is open till now. In some areas, people living inside fencing on the Bangladesh side have not yet been rehabilitated on the Indian side for creating no man's land in the border.

So, on behalf of our party AIUDF, I urge upon the Union Government to compete the sealing of border at the earliest in the interest of Assam as well as to stop illegal infiltration in Assam.

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Radheshyam Biswas.

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): सभापित महोदय, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ उसे पूरा करने दें।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र झुंझुनू दिल्ली से करीब ढाई सौ किलोमीटर और जयपुर से दो सौ किलोमीटर दूर है। मेरे जिले में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसके कारण पेयजल में अनेक अशुद्धियां आ गई हैं। परिणामस्वरूप जिले में कैंसर के रोगी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मेरे परिवार में मैंने दो युवा सदस्यों को खोया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे जिले में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल नहीं है। इसके कारण गंभीर बीमारियों का इलाज क्षेत्रवासियों को नहीं मिल पाता है। दिल्ली और जयपुर जाने में कई समय तो मरीजों का उपचार न मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है। बहुसंख्यक सैनिक और अर्धसैनिक बल मेरे जिले में मौजूद है। मैं आपके माध्यम से यह उम्मीद करूंगी कि मेरी सरकार मेरे जिले में एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध करवाए।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Santosh Ahlawat.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, my submission is in respect of the National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) 2016-17 for medical entrance examination.

Sir, the recent Supreme Court judgement that the NEET has to be conducted in two phases, that is, on 1st May, 2016 and on 24th July, 2016 has created a crisis. If the decision of the hon. Supreme Court becomes final, it will create hardship to the students of Kerala, because in the State of Kerala we have already conducted the Entrance Examination and the rank list is being prepared. Further, the direction of the Supreme Court is to conduct two tests with two question papers within a time span of two months for preparing a common rank list for admission is totally discriminatory because two question papers and two days of examination for preparing a common rank list can never be allowed.

I urge upon the Government to initiate urgent action to submit the facts and realities before hon. Supreme Court for seeking a favourable order to protect the interests of students.

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। आज विशेषकर के उत्तर भारत के राज्यों में एम्स जैसे अस्पतालों की कमी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से मैं चुनकर आता हूँ, वहाँ पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एम्स की घोषणा की थी, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा उसकी औपचारिकता पूर्ण न हो पाने के कारण अभी तक वहाँ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से माँग करना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से, जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, वहाँ अभी एक सर्वे हुआ है, कैंसर जैसी घातक बीमारी का सबसे अधिक वहाँ पर अध्ययन पाया गया है और वहाँ से सबसे अधिक कैंसर के मरीज इलाज कराने आते हैं, चाहे एम्स में इलाज के लिए आते हों या मुम्बई के कैंसर हॉस्पिटल टाटा मैमोरियल आदि में जाकर के अपना इलाज कराने के लिए विवश होते हैं। जब तक उनको पता चलता है तब तक उनकी बीमारी बढ़ जाती है। कल ही मैंने अपने क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष श्री अशोक राय को बहुत प्रयास के साथ एम्स में भर्ती कराया और उसके बाद आज वे नहीं भी रहे। इसका हमें खेद है, मैं उन्हें श्रद्धांजिल भी अर्पित करता हूँ।

में चाहूँगा कि एम्स जैसे अस्पतालों में जब तक हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं बन पाता है एक विशेष वार्ड की स्थापना की जाए, जहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैंरो प्रसाद मिश्र को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Sir, various Indian Universities and Institutes undertake Government approved degree and diploma courses in Hotel Management and Catering. A look at their curriculum reveals that there is a mandatory coverage of preparing non-vegetarian food.

It shall be appreciated that a substantial number of vegetarians from the Indian population cannot opt for this course in view of the aforesaid mandate of learning to prepare non-vegetarian food. Significant numbers of aspiring vegetarian students have to miss out the opportunity of pursuing the career in Hotel Management and Catering for the sheer inability to take up the aforesaid course.

It is imperative that such course, whether leading to degree or diploma, should have an option of learning preparation of vegetarian food only. Maybe India and the world could then have the finest chefs in the realm of vegetarian cuisines, who are presently shying away from the course.

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Sharad Tripathi and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Dr. Satya Pal Singh.

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में एक बहत ही सेन्सेटिव मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, मैं एक मिनट इसमें फालतू लूँगा और उसके लिए माफी चाहूँगा। आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया का जो लॉ है, उस लॉ के अनुसार दिल्ली के अन्दर जगह-जगह आर्किलॉजिकल की दीवारे हैं। जिसके कारण सड़क आगे नहीं बढ़ पाती है। तुगलकाबाद एम.बी.रोड़ के अन्दर आप जाएंगे तो वहाँ पीडब्ल्यूडी की 100 फीट की सड़क है। आर्किलॉजिकल की दो दीवारें जो मकबरे, किले को जोड़ती हैं, उसको चौड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका लॉ यह है कि जब तक आर्किलॉजिकल परमीशन नहीं देगा

तब तक वह दीवार नहीं तोड़ी जा सकती और ऑर्किलॉजिकल के लॉ में परमीशन लेने की जरूरत है। महरौली बाजार जो पुराना कद्दमी बाजार रहा है, अंग्रेजों के जमाने में वहाँ पुलिस स्टेशन होता था, तहसील होती थी। वहाँ पर पॉपुलेशन एक लाख हो गई, लेकिन रास्ता वही पुराना है। अब वहाँ आर्किलॉजिकल में कुतुब की एक दीवार आती है, वह दीवार आराम से 50 फीट पीछे हट सकती है। वह दीवार हट जाए। मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि जनता के हित के लिए कानून होते हैं न कि जनता को परेशान करने के लिए कानून का उपयोग हो। जो आर्किलॉजिकल सर्व ऑफ इन्डिया के मंत्री हैं, वे इसका संज्ञान लें, इस कानून में बदलाव लाएं, उन दीवारों को पीछे हटाने की परमीशन दें, जिससे सड़कें चौड़ी हो सकें और लोगों को आने-जाने में दिक्कतें न हो। हारी-बीमारी के कारण कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ जाम लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैंरो प्रसाद मिश्र और श्री शरद त्रिपाठी को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चम्पारण जिले में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क के निर्माण कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को आने-जाने में विशेषकर बरसात के समय एक गाँव से दूसरे गाँव जाने में काफी कठिनाई होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि बिहार सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है और इन सड़कों की लागत बढ़ती महँगाई के कारण दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के कार्यपालक अभियंताओं ने पत्र लिखकर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने हेतु धनराशि की माँग की है, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के पाँच ग्रामीण कार्य प्रमंडलों को तत्काल धनराशि की आवश्यकता है। इन प्रमंडलों का विवरण इस प्रकार है।

महोदय, बेलसंड में 42 सड़कों की संख्या है, जिसके लिए 46 करोड़ 20 लाख, सीतामढी में 8 सड़कों की संख्या है, जिसके लिए 4 करोड़ 20 लाख की माँग की गई है, शिवहर में 7 सड़कों हैं, जिनके लिए 13 करोड़ 50 लाख, पकडीदयाल की 17 सड़कों के लिए 7 करोड़ 28 लाख एवं ढाका ग्रामीण कार्य प्रमण्डल की 22 सड़कों के लिए 6 करोड़ 88 लाख रूपए की आवश्यकता है। मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और वहाँ ग्रामीण विकास की कई योजनाओं के कार्य भी संतोाजनक ढ़ंग से नहीं हो रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के पाँच ग्रामीण प्रमंडलों की 106 सड़कों के लिए माँगी गई धनराशि को बिहार सरकार से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (ड्रमरियागंज): सभापति जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक अत्यंत ही लोमहर्षक और दुखद घटना के संबंध में आपके माध्यम से सरकार को संज्ञानित करना चाहता हूँ। कल मथुरा में प्राथमिक विद्यालय में और वहाँ के आंगनवाड़ी केन्द्र में अक्षय पात्र द्वारा मिड डे मील के अंतर्गत जो पैक्ड दूध दिया जाता है, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, आवासीय कांशीराम योजना के 70 बच्चे जो उस विद्यालय में पढ़ रहे थे, उन बच्चों के बीच में अक्षय पात्र के द्वारा पैक्ड दूध दिया गया। तीन बच्चों की तत्काल मौत हो गई, एक आंगनवाड़ी सहायिका की मौत हो गई और 45 बच्चे अस्पताल में जीवन-मौत से जूझ रहे हैं। आखिर इस घटना का ज़िम्मेदार कौन है? आखिर उन बच्चों का गुनाह केवल यह था कि वह अक्षयपात्र या भारत सरकार द्वारा दिए गए पैसे, जो राज्य को दिए गए थे, जिस राज्य का दायित्व था कि उनको गुणवत्तापरक दूध दिया जाए, जो दूध उनकी ज़िन्दगी के लिए पुष्टाहार साबित होता, जो दूध उन बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रेरित करने का एक संबल बनना चाहिए, वही दूध मौत का कारण बन गया, माँ की गोदें सूनी हो गईं, और एक सहायिका नहीं रही। इस तरह से चार लोगों की मौत निश्चित रूप से अत्यंत दुखद है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर स्थिति अत्यंत विस्फोटक है और लोगों में रोा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि मृतक के परिवार आश्रितों को कम से कम दस-दस लाख रुपये दिये जाने चाहिए । ...(व्यवधान) आगे भी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री शरद त्रिपाठी को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी): माननीय सभापित जी, हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिला में एनएचपीसी द्वारा निर्मित पार्वती परियोजना स्टेज 2 और 3 जो 2003 में आरंभ की गई थी, इन परियोजनाओं में जिला कुल्लू छन्नी नाला से 202 बीघा भूमि डंपिंग साइट के लिए अधिग्रहीत की गई थी, पुश्तैनी मकान भी थे। उन्हें न तो भूमि अधिग्रहण का मुआवज़ा दिया गया और न ही हिमाचल सरकार और एनएचपीसी के मध्य हुए करार के अनुसार रोज़गार दिया गया। वर्ष 2003 में जो भूमि अधिग्रहीत की गई, जिससे 606 परिवार विस्थापित हुए, जिसमें मात्र 13 लोगों को रोज़गार दिया गया और किसानों की उपजाऊ भूमि की कीमत केवल 70 हजार

रुपये बीघा के हिसाब से एनएचपीसी पैसा देना चाहती है जो किसानों, बागवानों और विस्थापितों के साथ घोर अन्याय है। हिमाचल सरकार एवं एनएचपीसी के मध्य कई बैठकें हुईं जो एकतरफा बैठकें थीं। क्योंकि उसमें स्थानीय निर्वाचित एक ही राजनीतिक दल के लोगों को आमंत्रित किया गया था और जो बैठक में निर्णय लिए गए, वे अभी तक लागू नहीं हुए। बाद में वे निर्णय ही बदल दिए। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि हिमाचल सरकार और एनएचपीसी के मध्य जो अनुबंध हुआ, जो आर.आर. प्लान बोलता है, तथा विस्थापितों, एनएचपीसी प्रबंधक वर्ग तथा हिमाचल सरकार के मध्य जो 28/08/2014 को बैठक हुई, उसे धरातल पर लागू करवाने की कृपा करें तािक किसानों, बागवानों तथा विस्थापितों को राहत मिल सके तथा वर्षों से हिमाचल प्रदेश के विस्थापितों के साथ हो रहे अन्याय पर विराम लगे।

माननीय सभापति : श्री शरद त्रिपाठी को श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): सभापति महोदय, पाँच दिन के नोटिस के बाद आज मौका मिला है।

सभापित जी, किसान के प्याज का मूल्य मध्य प्रदेश की रतलाम मंडी में 20 पैसे प्रित किलो है। परसों मुफ्त में प्याज़ बँटी। हम अकालग्रस्त सूखाग्रस्त भी हैं। मैं आपके माध्यम से उन राज्य सरकारों को, जो केन्द्र सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ते रहते हैं, वे अब कहाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी भारत सरकार के मंत्री जी ने कहा कि वे 15 लाख टन प्याज़ खरीदेंगे। प्याज़ ऐसी चीज़ है जो 30 दिन के बाद सड़ने लगती है। अगर किसान उसको रखेगा तो किसान को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो राज्य सरकारें ज्यादा प्याज़ की खपत करती हैं, केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करके उनसे कहे कि वे प्याज़ भी खरीदें और उनका प्रोक्योरमेंट करें क्योंकि उसको रखना आसान नहीं होता है, वह कोल्ड स्टोरेज के बगैर साबुत नहीं रहता है। सभापित महोदय, मैं तो प्याज़ नहीं खाता लेकिन कम से कम उस किसान के बारे में सोचना होगा जो वास्तव में इस त्रासदी में कि हम सूखे से भी एक तरफ पीड़ित हैं और एक व्यापारी ने कहा है कि 9 रुपये किलो से कम अगर प्याज़ बिकंगी तो कभी किसान को फायदा नहीं हो सकता है। आज देश में 40 रुपये किलो तक प्याज़ बिक रही है, उसके संरक्षण की ज़रूरत है।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापित जी, आज़ादी के समय से मेरठ छावनी स्थित फायरिंग रेंज में A से लेकर I तक कुल नौ बट्स थे जिनमें बाद में छः बट्स बंद हो गए -A, B, C, D, H तथा I, अब सिर्फ 3

बट्स ही काम कर रहे हैं। इन बट्स में खुले आकाश के नीचे मिट्टी के टीले बनाकर फायरिंग की जाती है जिनसे चलने वाली गोलियाँ लगभग तीन साढ़े तीन किलोमीटर तक निकल जाती हैं जिसकी चपेट में आने से आसपास के गाँवों के लोग घायल हो जाते हैं। इसकी वजह से सोफीपुर, मामेपुर, ललसाना और उल्देपुर के ग्रामीणों और पशुओं की सुरक्षा खतरे में रहती है। बफल रेंज के तहत बनाई जाने वाली विशेष तरह की फायरिंग रेंज चहारदीवारी के अन्दर होती है तथा इसमें ऊपर से नीचे की ओर फायरिंग की जाती है। इस रेंज में चलने वाली गोलियों के छिटकने या आम जनता के घायल होने की आशंका कम होती है। मेरठ छावनी में ऐसी रेंज के लिए पर्याप्त 3.5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भी उपलब्ध है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ में भी राजस्थान के पोकरण की तर्ज पर बफल फायरिंग रेंज का निर्माण किया जाये, जिससे न केवल मेरठ की फायरिंग रेंज डेंजर जोन में चिन्हित होने के दायरे से बाहर होगी, बल्कि आसपास के सोफीपुर, मामेपुर, ललसाना व उल्देपुर के ग्रामीणों व पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कोठा प्रभाकर रेड्डी (मेडक): सभापित महोदय, तेलंगाना स्टेट के अन्दर सिकन्दराबाद केंटोनमेंट है। वहां डिफेंस लैंड है, वहां कई सालों से, आजादी के पहले से यह प्राइवेट कब्जे में लीज़ लैंड में है। इसमें पूरा सिविलयंस का अटैचमेंट है, वहां कुछ भी डैवलपमेंट नहीं हो रहा है, पोपुलेशन बढ़ता जा रहा है, मगर रोड के अन्दर आर्मी वाला सिविल पब्लिक को वहां पर एलाऊ नहीं कर रहा है। इसमें हजारों लैंड हैं, करीब 50 साल पहले से बहुत कम रेट में ये लोग लीज़ में हैं। गवर्नमेंट उसके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है, कुछ भी नहीं ले रही है। जो जमीन है, वह प्राइवेट कब्जे में है, उसमें शादीखाना है, वर्कशॉप्स हैं, दारू शॉप्स हैं, सब कुछ इल्लीगल एक्टीविटीज़ चल रही हैं, उसका जो भी है, वह डिफेंस लैंड को दोबारा डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए हमने कई बार चिट्ठी भी लिखी है, हमारे सी.एम. साहब ने भी कई बार रोड्स के बारे में चिट्ठी लिखी है, लेकिन उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे। सिविलियन रोड्स के लिए बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, डिफेंस डिपार्टमेंट वाले सिविलियंस के लिए रास्ते के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं। श्री राम टहल चौधरी (रॉची): सभापित महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र रांची झारखण्ड के अन्तर्गत एच.ई.सी. कम्पनी धुर्वा (झारखण्ड) में जो भारत सरकार का महत्वपूर्ण उपक्रम में आता है। पिछले कई वर्षों से इसी में सेवानिवृत कर्मचारियों के 1.1.1997 से 17.8.2008 तक पुनरीक्षण के एरियर भुगतान का भत्ता जो भी है, नहीं मिला है। कुछ सेवानिवृत कर्मचारी अपने चिकित्सा के अभाव में सही इलाज नहीं करा पा रहे हैं। बहत

से तो सेवानिवृत कर्मचारियों की तो चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो गई। एच.ई.सी. के प्रबन्धन और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच और कर्मचारी संघ के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ कि शीघ्र भुगतान करेंगे, मगर अभी तक भुगतान नहीं हुआ है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से और उद्योग विभाग के मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि सेवानिवृत जो गरीब कर्मचारी हैं, उनकी बकाये का भुगतान शीघ्र करवाया जाये। इस मामले में केन्द्र सरकार को कई बार पत्राचार भी किया है और लोक सभा में भी बराबर उठाता रहा हूं। आपसे आग्रह है कि सरकार इस बकाये के भुगतान की व्यवस्था कराये।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राम टहल चौधरी के साथ सम्बद्ध होने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): सभापित महोदय, परसों सूखे की चर्चा होने वाली है। मेरा क्षेत्र जालौर सिरोही बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और पानी का वहां हमेशा अभाव रहता है। एक जगह से हमें पूर्व में 1967 में शायद माही का एक प्लान बना था। गुजरात के साथ में करार हुआ था, जिसमें यह कहा था कि नर्मदा का पानी जब गुजरात में आ जायेगा, तब माही का पानी हमें मिलेगा। उस टाइम पर करार हुआ, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। नर्मदा का पानी तो गुजरात में आ गया, लेकिन हमारे यहां पर हमें नहीं मिला। मेरे यहां बहुत पानी की प्रोब्लम है और आपका बच्चा भी माउण्ट आबू में पढ़ा था। उसी माउण्ट आबू में एक समस्या यह हुई थी कि वहां पर पानी ज्यादा बरसा तो वह भी गुजरात में चला गया। हमारे क्षेत्र में जितना भी पानी आता है, हम बोर्डर पर हैं, हमारे एक साइड में पाकिस्तान है, एक साइड में गुजरात है, हमारा सारा पानी चला जाता है, हम पीछे रह जाते हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, निवेदन है, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि माही का जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए, वह हिस्सा जालौर-सिरोही को अगर मिले तो हमारा क्षेत्र बच सकता है, अन्यथा हमारे क्षेत्र में हमेशा पानी की समस्या रहेगी। अभी जो बारिश हुई, उसमें माउण्ट का पानी वहां गया, उसमें मैंने जब बातचीत की तो वहां से लोगों ने यह कहा, आपका ही पानी है और बाढ़ हमारे यहां ही वापस आ गई, क्योंकि वह पानी घूमकर मेरे वहां आया, लेकिन वह पीने के लायक नहीं है। मेरे यहां आकर उस पानी से ग्राउण्ट लेवल रिचार्ज नहीं हुआ और वह पानी पाकिस्तान में चला गया। हम बीच में झूल रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो माही का हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत नर्मदा का पानी गुजरात में आ चुका है तो अब माही का पानी राजस्थान को मिले, यही अनुरोध है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री देवजी एम. पटेल के साथ सम्बद्ध होने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर): माननीय सभापित जी, मैं सबसे पहले भारत के प्रधान मंत्री जी और हमारे ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद दूंगा कि पिछले दो सालों के अन्दर उन्होंने दस हजार से ज्यादा गांवों में विद्युतीकरण किया है। इस विद्युतीकरण के अन्दर जो रिन्युएबल इनर्जी है, वह इनर्जी सोर्सेज में तीसरे नम्बर पर आ रहा है। रिन्युएबल इनर्जी में सोलर इनर्जी सबसे महत्वपूर्ण है। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, जहां पर सन्नी डेज साल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अभी राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा सोलर इनर्जी दे रहा है। चूंकि मेरा संसदीय क्षेत्र नागौर है, मेरा ऊर्जा मंत्री से निवेदन है कि वहां नागौर में एक सोलर पार्क दिया जाए, तािक नागौर सोलर इनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और देश को सोलर इनर्जी दे सके।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri C.R. Chaudhary.

श्रीमती सावित्री ठाकुर (धार): सभापित महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरा लोक सभा क्षेत्र धार आदिवासी क्षेत्र है। धार जिले की सरदारपुर तहसील में 568 हेक्टेयर भूमि, जिसकी वन विभाग ने तार लगाकर फेंसिंग कर दी है और उसे खरमोर पक्षी के लिए सुरक्षित की है। वहां करीब 14 ग्रामवासियों की ज़मीन अधिग्रहित कर ली गयी है। उसमें से 35,000 हेक्टेयर भूमि पर उन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना इत्यादि और सरकार द्वारा कृषि की जो विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं, उनका भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उस भूमि को अगर वह किसान बेचना चाहे, तो उसके क्रय-विक्रय पर भी रोक लगी है और उसकी रजिस्ट्री पर भी रोक लगी है। उन्हें न तो बैंकों से ऋण दिया जा रहा है और उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि वहां से खरमोर पक्षी लुप्त हो चुके हैं। इन किसानों को उस ज़मीन की रजिस्ट्री करने और उसके क्रय-विक्रय करने की अनुमित दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Savitri Thakur.

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़): सभापित महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में आंवला सबसे ज्यादा पैदा होता है। शायद देश में

सबसे अधिक यहीं पैदा होता है। लेकिन, उसके लिए वहां कोई उद्योग नहीं है। जिस कारण किसानों को कुछ मिलता नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ की आबादी है, पर अभी तक एक भी मेगा फूड पार्क की स्थापना नहीं हो पाई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि किसानों को न्याय देने के लिए उन्हें उसका उचित मूल्य मिले। इसके लिए वहां पर एक मेगा फूड पार्क की अनुमति दी जाए और उसकी वहां स्थापना हो, जिससे किसानों को उसका पूरा लाभ मिल सके।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Kunwar Haribansh Singh.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापित महोदय, सर्वप्रथम में प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे बुंदेलखण्ड के दर्द को उन्होंने समझने का प्रयास किया। हमारे यहां जो सूखा पड़ा था, उस सूखा राहत का जो पैसा यहां से भेजा गया था, आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे बुंदेलखण्ड के किसानों को वह पैसा नहीं दिया है। मैंने पहले भी सदन में इस बात को बड़े दर्द के साथ उठाया था। जब मैंने उस बात को उठाया तो पी.एम.ओ. में माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को बुलाकर, उ.प्र. के अधिकारियों से पूछा गया कि बुंदेलखण्ड के किसानों का सूखा राहत का कितना पैसा बाकी है। सिर्फ एक हफ्ते के अन्दर 1,304 करोड़ रुपए सीधे किसानों के 'जन-धन' खाते में जमा करने का निर्देश भारत सरकार ने यहां से दिया।

महोदय, मैं बड़े दु:ख के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे बुंदेलखण्ड के किसानों का दर्द उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं समझ रही है। आज एक महीना बीतने वाला है। पर, आज तक किसी एक किसान के खाते में एक भी पैसा नहीं पहुंचा है। हर प्रकार से हम लोग उसके लिए बात कर चुके हैं। वहां की प्रदेश सरकार से बात कर रहे हैं। लेकिन, वहां किसानों को इतनी असहनीय पीड़ा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है।

महोदय, वैसे तो मैं प्रायः कविता इत्यादि नहीं बोलता हूँ। लेकिन, आज मैं बस तीन लाइनें बोलने की आपसे अनुमित चाहता हूं। हमारे अन्नदाता किसान की यह स्थिति है कि वहां गांव-गांव में लोग बोलते हैं -

जमीन ज़ल चुकी है, आसमां बाकी है, दरख्तों, तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, वो जो खेतों की मेड़ों पर बैठे हैं,

उन्हीं की आंखों में अब तक ईमान बाकी है, बादलों, अब तो बरस जाओ सूखी ज़मीनों पर, किसी के बच्चे की पढ़ाई बाकी है, किसी की बेटी का विवाह बाकी है, किसी का खेत गिरवी है, किसी का लगान बाकी है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार इस भाषा में इस बात को समझे।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Kunwar Pushpendra Singh Chandel.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालोन): सभापित महोदय, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जहां की चर्चा आदरणीय पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल कर रहे थे, वास्तविकता यह है कि बुंदेलखंड में किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति है। किसान तीन साल से बेमौसम बरसात से, सूखे से तबाह हो गया है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वहां के किसान बुरी तरीक से पलायन कर रहे हैं।

माननीय सभापित महोदय, जब वर्षा नहीं हुई थी तो किसानों ने डीजल पंप चलाकर पानी खेतों में देकर फसल को बोया था। वहां बेमौसम बरसात से फसल बर्बाद हो गई है। आज की स्थिति में जिन किसानों के पास सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए थे, आज की स्थिति में उनके बिल उनके यहां पहुंच गए हैं। मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय व खराब है, उनके जो ट्यूबवेल, बिजली के बिल हैं, उनको माफ किया जाए, जिससे उनको कुछ न कुछ राहत मिल सके।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापित जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे देश में पेयजल का संकट है। राजस्थान और मेरा क्षेत्र सीकर जहां लोग ज्यादातर खेतों में रहते हैं, वहां पर पाइप लाइन से पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा सरकार से एक निवेदन है कि जिस प्रकार से शौचालय निर्माण का एक अभियान चलाया गया, ऐसे ही खेतों या घरों में जो लोग रहते हैं, छतों का पानी कलेक्ट करके उनके लिए वाटर टैंक की व्यवस्था की जाए। उसमें पानी इक्ट्ठा हो जाएगा, न उस पानी में

आर्सेनिक होगा, न फ्लोराइड होगा और उससे शुद्ध पेयजल मिल सकता है। यह अभियान चलाया जाए तो मैं समझता हूं कि साल में दस महीने कम से कम वहां पेयजल मिल सकता है।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसको नरेगा में लेकर और एक विशेष सहायता देकर इस अभियान को चलाया जाए। इससे पूरे देश में पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*SHRI RAMESWAR TELI (DIBRUGARH): Hon. Chairman Sir, my constituency Dibrugarh is famous for tea production. And tea is the backbone of Assam's economy. It is not only the major contributor to the state's revenue, but also a major source of employment for thousands of people. But even after 67 years of our independence the children of tea labourers are still deprived of educational facilities. As we all aware, education is the vehicle through which we can achieve success in life. However, the proper light of education is yet to reach the tea workers. I, therefore, urge upon the Government to allocate adequate funds for the developments of infrastructural facilities like buildings, furniture, drinking water etc. Allocation of funds should also be made for appointment of qualified teachers, to provide books and stationary items and uniforms. Scholarships should also be awarded to the students so as to encourage them to study. I would also like to suggest that instead of wooden furniture which get damaged easily, steel furniture may be provided in the schools.

^{*} English translation of the speech originally delivered in Assamese.

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रामेश्वर तेली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Now the House stands adjourned to meet on Monday, the 9^{th} May, 2016 at 11 a.m.

18.48 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 9, 2016,/Vaisakha 19, 1938 (Saka)